नागरिक शास्त्र प्रवेशिका

लेखक

गोरखनाथ चौबे, एम० ए०

अध्यापक, नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र

प्रकाशक

सरस्वती प्रकाशन् मन्दिर

(Saraswati Publishing House)

जार्ज टाउन, इलाहाबाद

१ली बार] २००० [मूल्य १)

भूमिका

हिन्दी भाषा में नागरिक शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों का इतना अभाव है कि विद्यार्थी और अध्यापक दोनों को इने-गिने दो चार ग्रन्थों पर ही सन्तोष करना पड़ता है। अच्छा तो यह है कि विद्यार्थियों के सामने इस विषय के अनेक ग्रन्थ रख दिये जायँ। कई दृष्टिकोण से उन पर विचार किया गया हो। तभी विद्यार्थियों को नागरिकता की उचित शिक्षा मिल सकेगी। कारण यह है कि प्रत्येक विषय पर विचार करने की विभिन्न शैलियाँ होती हैं। विद्यार्थियों की रुचि भी विभिन्न प्रकार की होती है। मालूम नहीं किसे कौन सी शैली सरल और रुचिकर प्रतीत होगी। अतएव लेखकों का यह कर्तव्य है कि वे किसी भी नई शैली को लेकर अपने विषय पर विचार करें तथा पाठकों के सम्मुख अच्छे से अच्छे ढंग में उसे रक्खें।

"नागरिक शास्त्र प्रवेशिका" में भी अपनी एक नवीन शैली है। दो उद्देश्यों को सामने रखकर यह ग्रन्थ लिखा गया है। एक तो यह कि नागरिक शास्त्र का आरम्भिक ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को होना चाहिये। जो भी इस ग्रन्थ को पढ़े उसे यह भली-भाँति समझ में आ जाय कि नागरिक शास्त्र (Civics) क्या चीज़ है और इसकी जानकारी सबके लिये क्यों आवश्यक है? इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरल से सरल भाषा और दैनिक जीवन के उदाहरणों का प्रयोग किया गया है। पढ़ते समय विद्यार्थियों को यही मालूम होगा मानों वे इन तमाम बातों को पहले से ही जानते थे। किसी

भी पारिभाषिक शब्दों अथवा वाक्यों (Technical Terms) को ज्यों का त्यों नहीं छोड़ दिया गया है। उन्हें भली भाँति समझाने की कोशिश की गई है। दूसरा उद्देश्य विद्यार्थियों के अन्दर इस शास्त्र के अध्ययन की रुचि पैदा करना है। जब तक किसी शास्त्र का पूरा अध्ययन नहीं किया जाता तब तक उसका वास्तविक आनन्द नहीं मिलता। यदि नागरिक शास्त्र एक उपयोगी विषय है तो विद्यार्थियों को इसका गहरा अध्ययन करना चाहिये। मेरी यह पूरी कोशिश रही है कि ग्रन्थ इस वैज्ञानिक ढंग (Scientific view-point) से लिखा जाय कि प्रत्येक विद्यार्थी इसे समाप्त करने के बाद कुछ और जानने के लिये उत्सुक हो।

इन दोनों उद्देश्यों में मुझे कहाँ तक सफलता मिली है इसका निर्णय विद्यार्थी स्वयं कर सकते हैं।

प्रयाग
अप्रैल १९४२ ई०

गोरखनाथ चौबे

विषय-सूची

प्रथम भाग

द्वितीय भाग

प्रथम भाग

अध्याय १

नागरिक शास्त्र, परिभाषा और विषय

जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य समाज में रहता है। पहले वह अपने ही कुटुम्ब को संसार समझता है। उसका सम्बन्ध अपने ही माता पिता से अधिक घनिष्ठ रहता है। उसकी आवश्यकतायें बहुत ही थोड़ी होती हैं। उनकी पूर्ति कुटुम्ब में आसानी से हो जाती है। कुटुम्ब ही उसका स्कूल होता है। एक दूसरे के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिये इसकी शिक्षा माता पिता बच्चों को देते रहते हैं। बड़े होने पर लड़के स्कूल तथा समाज में प्रवेश करते हैं। तरह तरह के लोगों से मिलने जुलने का उन्हें अवसर मिलता है। जैसे जैसे उनकी शारीरिक और मानसिक आवश्यकतायें बढ़ती जाती हैं, उनके समाज का क्षेत्र भी क्रमशः बड़ा होता जाता है। कुटुम्ब, ग्राम, देश तथा विदेशों तक से उनका संबंध हो जाता है। ऐसी दशा में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह एक दूसरे के साथ अच्छा से अच्छा व्यवहार करे। हर एक अपने सामाजिक अधिकारों तथा एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों की जानकारी रक्खे। इसी सामाजिक व्यवहार, अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन नागरिकशास्त्र के अन्दर किया जाता है।

सकते हैं। बेडौल लकड़ी को सुडौल बनाकर सुन्दर से सुन्दर चीज़ें बनाई जाती हैं। हलवाई, चीनी और खोये से नाना प्रकार की मिठाइयाँ बनाता है। पत्थर पहले ऊँचा नीचा होता है, परन्तु सन्तरी उसे बराबर करके जब हमारे घरों में लगा देता है तो वही देखने में भला मालूम पड़ता है। जब इतनी कड़ी और बेजान चीज़ों में सुधार हो सकता है तो मनुष्य भी सुधारा जा सकता है। नागरिक शास्त्र इसी सुधार की एक योजना है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में उसे अनेक प्रकार के अधिकार दिये गये हैं। जो जितना अधिक योग्य है उसके अधिकार भी उतने ही अधिक हैं। इन अधिकारों के बदले उसे कुछ कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। अधिकार और कर्तव्य का वर्णन नागरिक शास्त्र का मुख्य विषय है। छोटे से छोटा काम करने के लिये हमें अधिकार की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम स्कूल में अध्यापक रहकर विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहें तो हम मनमाना ऐसा नहीं कर सकते। हर आदमी हर स्कूल में जब चाहे अध्यापक नहीं बन सकता। पहले स्कूल की कमीटी से यह अधिकार लेना होगा कि हम वहाँ कार्य करे। इसी तरह हर काम में अधिकार की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु अधिकार की पूर्ति कर्तव्य से की जाती है। कलेक्टर को यह अधिकार है कि वह अपने ज़िले में किसी भी अपराधी को उचित दंड दे। लेकिन इसके साथ ही उसका यह कर्तव्य भी है कि वह ज़िले का उत्तम से उत्तम प्रबन्ध करे, पूर्ण शान्ति रक्खे तथा जनता की उन्नति करे। अधिकार और कर्तव्यों की विस्तृत व्याख्या नागरिक शास्त्र के अन्दर की जाती है।

नागरिक शास्त्र का विस्तार

हम विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन क्यों करते हैं? गणित, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनो-विज्ञान, धर्म आदि शास्त्र हम क्यों पढ़ते हैं? इसीलिये कि हमारा ज्ञान बढ़े। ज्ञान ही सभी शास्त्रों का अन्तिम उद्देश्य है। जब सभी शास्त्रों का उद्देश्य एक है तो इनकी विभिन्न शाखायें क्यों हैं? इसका उत्तर भी स्पष्ट है—पढ़ने की सुविधा के लिये। भोजन के सभी पदार्थ पेट में एक ही जगह इकट्ठे होते हैं। सब का एक साथ खून बन कर विभिन्न अंगों में जाता है। फिर भी अपने स्वाद और सन्तोष के लिये हम चावल, दाल, रोटी, साग, चटनी, दही, दूध—इन सब को अलग-अलग खाते हैं। इसी तरह विभिन्न शास्त्र अध्ययन की सुविधा के लिये बनाये गये हैं, और इनका अलग-अलग रस है। एक ही वस्तु सब को अच्छी नहीं लगती। शास्त्र भी सब को एक समान प्रिय नहीं होते। किसी को गणित अच्छी लगती है तो किसी को इतिहास और किसी को भूगोल। जैसे मवेशी कई घाटों से एक ही तालाब का पानी पीते हैं उसी तरह एक ही ज्ञान की प्राप्ति के लिये कई शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि सभी शास्त्रों का एक घनिष्ट सम्बन्ध है। नागरिक शास्त्र, धर्म, राजनीति, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि शास्त्रों से मिला हुआ है। इसका विस्तार बहुत ही बड़ा है। जैसे मनुष्य की उन्नति की कोई अन्तिम सीमा नहीं है उसी प्रकार नागरिक शास्त्र किसी घेरे से घिरा नहीं है।

नागरिक शास्त्र से हमें सामाजिक रहन-सहन का ज्ञान होता

है। समाज में अच्छी से अच्छी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। केवल एक ही गुण को पाकर कोई व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। मान लीजिये कोई आदमी बहुत ही दयालु है। दूसरों की सहायता करने के लिये वह सदैव तैयार रहता है। जब कोई दुखी मनुष्य उसके पास आता है तो वह यथाशक्ति उसकी मदद करता है। हम ऐसे मनुष्य को बहुत ही ऊँची दृष्टि से देखते हैं। लेकिन उसे यह भी ध्यान रखना चाहिये कि झूठ और बनावट से कोई उसे ठग न सके। यदि उसमें यह गुण नहीं है तो वह अधिक समय तक समाज की सेवा नहीं कर सकता। संसार में मनुष्य को मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने के लिये कई गुणों की आवश्यकता पड़ती है। दया, सद्भाव, सहानुभूति, नियम पालन, आचार-विचार, शिक्षा आदि सम्पूर्ण गुण जब तक मनुष्य में न होंगे तब तक वह अपने उद्देश्य में सफल न होगा। ये विभिन्न गुण विभिन्न शास्त्रों द्वारा प्राप्त होते हैं। एक सुयोग्य नागरिक बनने के लिये केवल नागरिक शास्त्र का अध्ययन काफ़ी नहीं है।

अपने देश की राजनैतिक दशा को जानने के लिये उसे राजनीति शास्त्र का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिये। बिना भौगोलिक परिस्थिति के ज्ञान के हम यह नहीं समझ सकते कि किस प्रकार की रहन-सहन हमारे लिये उपयोगी हो सकती है। जब हम अपने देश की जलवायु, उपज, प्राकृतिक दशा तथा जन-संख्या की जानकारी रक्खेंगे तभी एक ठोस समाज बना सकेंगे। इसलिये नागरिक शास्त्र के साथ भूगोल का अध्ययन आवश्यक है। जो नागरिक अपने देश का इतिहास नहीं जानता वह अपने देशवासियों को उन्नति का पाठ नहीं पढ़ा

सकता। इतिहास में अपने देशवासियों की सभ्यता की कहानी रहती है। पिछली दशा का ज्ञान हुये बिना हम अपने वर्तमान जीवन में सुधार नहीं कर सकते और न भविष्य के लिये कोई रास्ता बना सकते हैं। नागरिक शास्त्र की जड़ भूतकाल में और इसकी अन्तिम चोटी भविष्य में है। इसलिये इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिये इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी आय-व्यय का उचित प्रबन्ध नहीं कर सकता वह अपने देश को सुखी और सम्पन्न नहीं बना सकता। आर्थिक दशा को ठीक किये बिना कोई भी व्यक्ति योग्य नागरिक नहीं बन सकता। इसलिये नागरिक शास्त्र के साथ अर्थशास्त्र की जानकारी आवश्यक है। इस प्रकार नागरिक शास्त्र सभी सामाजिक शास्त्रों से सम्बन्ध रखता है।

नागरिक शास्त्र की उपयोगिता

नागरिक शास्त्र के अध्ययन से हमें मनुष्य की सामाजिक रहन-सहन की जानकारी होती है। जब मनुष्य को समाज में रहना है तो उसे अपनी भलाई के साथ-साथ दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखना होगा। अतएव लोगों के अन्दर मनुष्य सेवा और देश प्रेम का भाव तभी उत्पन्न हो सकता है जब उन्हें नागरिक शास्त्र का ज्ञान कराया जाय। समाज में कुछ व्यक्ति चोरी, ठगी तथा अन्य दुर्गुणों से अपनी जीविका कमाते हैं। यदि उन्हें जीवन का ठीक-ठीक मूल्य मालूम होता तो वे इन घृणित कामों को कभी भी नहीं करते। ठीक रास्ते पर लाने के लिये उनके अन्दर सुधार की आवश्यकता है। यह सुधार तभी हो सकता है जब आरम्भ से ही बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाने का ध्यान रक्खा जाय। कुछ वर्षों से नागरिक शास्त्र का अध्ययन

स्कूलों और कालेजों के विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य कर दिया गया है। यदि यह विषय उन्हें ठीक-ठीक पढ़ाया जाय तो बड़े होने पर ये लड़के अपने देश की अधिक भलाई कर सकते हैं।

फ़ौज में सिपाहियों को नित्य क़वायद कराई जाती है। उनका जीवन बहुत ही नियमित रक्खा जाता है। समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को एक प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। उनके अन्दर छोटे-बड़े, नीच-ऊँच, काले-सफ़ेद का भेद भाव नहीं होना चाहिये। उनकी बुद्धि व्यापक और विचार शुद्ध होने चाहिये। उनके हर काम में उन्नति की बू होनी चाहिये। इस व्यापक दृष्टिकोण को लाने के लिये बच्चों को आरम्भ से ही नागरिक शास्त्र का पाठ कराना होगा। समाज की उन्नति सभी चाहते हैं, किन्तु सामाजिक उन्नति में ठोस काम बहुत थोड़े लोग कर पाते हैं। हमारा जीवन आदर्श तो होना ही चाहिये परन्तु उसे क्रियात्मक भी बनाना चाहिये। हमारे जीवन का मूल्य केवल विचारों से नहीं बल्कि कामों से आँका जाता है। नागरिक शास्त्र के अन्दर जीवन की सभी उपयोगी बातें आ जाती हैं। हमें सफ़ाई कैसे रखनी चाहिये, शिक्षा किसे कहते हैं अथवा हमारा व्यवहार औरों के प्रति क्या हो—इत्यादि उपयोगी बातें इस शास्त्र के अन्दर बताई जाती हैं। जिसे सँभल कर चलने की आदत है वह गड्ढे में नहीं गिर सकता। इसी प्रकार जिसे सामाजिक जीवन की उपयोगी बातें मालूम हैं वह अपने जीवन से निराश और दुखी नहीं होगा। सामाजिक जीवन को रुचिकर और सर्वप्रिय बनाने का एक मात्र साधन नागरिक शास्त्र की शिक्षा है।

नागरिक शास्त्र की उपयोगिता यहीं समाप्त नहीं हो जाती। कुछ

लोग इस लिये कुयें बनवाते हैं कि स्वयं उसका पानी पीयेंगे। जो विचारवान और हितैषी हैं वे अपने और दूसरे दोनों के लिये कुयें बनवाते हैं। प्रत्येक काम में इसी तरह की स्वार्थ और परमार्थ की भावना होती है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य स्वार्थ से परमार्थ की ओर बढ़ता है। वह अपने सुख-दुख का सम्बन्ध समाज से जोड़ लेता है। इसीलिये एक आदर्श नागरिक उन्हीं कामों को करता है जिनसे मनुष्य मात्र की भलाई हो। महात्मा गाँधी और रवीन्द्र नाथ ठाकुर को हम आदर्श नागरिक इसीलिये मानते हैं कि उनके विचारों से संसार का कोई भी व्यक्ति लाभ उठा सकता है। उनकी दृष्टि में संसार एक समाज है और सारे मनुष्य भाई-भाई हैं। नागरिकता की इतनी ऊँची चोटी पर और भी कितने ही व्यक्ति पहुँच सकते हैं। यदि देश में सेवक और सुधारक पैदा करना है तो नागरिक शास्त्र की शिक्षा आरम्भ से ही बच्चों को देनी होगी।

सारांश

जिस शास्त्र से मनुष्य को सामाजिक रहन-सहन का बोध हो वह नागरिक शास्त्र कहलाता है। स्वार्थ से परमार्थ की ओर बढ़ने के लिये इसका अध्ययन आवश्यक है। एक सुयोग्य नागरिक बनने के लिये विद्यार्थियों को इसकी शिक्षा आरम्भ से ही मिलनी चाहिये तभी वे आगे चलकर महापुरुषों की तरह संसार को एक दृष्टि से देखेंगे और समस्त मानव-समाज की भलाई सोचेंगे। जैसे मनुष्य की उन्नति का कहीं अन्त नहीं है, उसी तरह नागरिक शास्त्र का विस्तार अनन्त है। मनुष्य के ज्ञान की वृद्धि के साथ-साथ इस शास्त्र का विस्तार भी बढ़ता जायगा। समाज को शान्ति, सुखी और सम्पन्न बनाने की कला नागरिक

शास्त्र के अन्दर पाई जाती है। जब तक अन्य शास्त्रों की थोड़ी बहुत जानकारी न होगी तब तक नागरिक शास्त्र का अध्ययन अधूरा रहेगा। जीवन को क्रियात्मक बनाने की कुंजी इसी शास्त्र में पाई जाती है।

प्रश्न

१—नागरिक शास्त्र क्या है? स्कूलों तथा कालेजों में इसकी क्या उपयोगिता है?

(What is civics and why is it essential to teach this subject in schools and colleges ?)

२—नागरिक शास्त्र का विस्तार तथा अन्य समाज-शास्त्रों से इसका सम्बन्ध वर्णन कीजिये।

(Describe the scope of civics and clearly explain its relations to other social sciences.)

३—नागरिक शास्त्र के अन्दर किन-किन बातों की चर्चा की जाती है। इसका अध्ययन कैसे किया जाय ताकि इसकी पूरी उपयोगिता ग्रहण की जा सके।

(What is the subject matter of civics ? How can you derive the practical advantages from the study of this subject ?)

४—सिद्ध कीजिये कि वर्तमान परिस्थिति में भारतीय विद्यार्थियों के लिये नागरिक शास्त्र की जानकारी अत्यन्त आवश्यक है।

(How far civics is an indispensable branch of knowledge to Indian students in their present state of affairs ?)

५—"एक उन्नतिशील समाज का निर्माण करने के लिये नागरिक शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है।" उदाहरण देते हुये समझाइये।

("The study of civics is essential to form a healthy society." Clearly explain the proposition by giving concrete examples.

अध्याय २

नागरिक, उसके अधिकार और कर्तव्य

जब कहीं कोई उत्सव होता है तो उसमें बड़े-बड़े जलूस निकलते हैं, सभायें होती हैं और विद्वानों के भाषण होते हैं। पैसे ख़र्च करके दूर-दूर से लोग बुलाये जाते हैं। गवैये, व्याख्यानदाता तथा और भी गुणी लोग उसमें निमन्त्रित किये जाते हैं। क्यों नहीं लोग अपने ही गाँव या पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करके अपना काम चला लेते? बाहर से लोगों को बुलाकर पैसे क्यों ख़र्च करते हैं? इसीलिये कि वे व्यक्ति योग्य होते हैं और उनके भाषण आदि से लोगों को सन्तोष और आनन्द प्राप्त होता है? इससे यही तात्पर्य निकलता है कि गुणी और योग्य मनुष्यों की हर जगह पूजा होती है। अपने ही गाँव में ले लीजिये। जो आदमी सबसे नेक और ईमानदार है, वह गाँव का मुखिया बनाया जाता है। गाँव तथा आस-पास के लोग अपने झगड़ों का फ़ैसला कराने के लिये उसके पास आते हैं। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति किसी गाँव में जाता है तो वह सबसे पहले उस आदमी को तलाश करता है जो सबसे नेक है। उसी के दरवाज़े पर वह जाता है। अड़ोस-पड़ोस के गावों तक में उसकी इज़्ज़त होती है। इन उदाहरणों से यह बात भली भाँति स्पष्ट है कि योग्य व्यक्ति की ही सब जगह पूछ है।

प्रत्येक काम में किसी न किसी योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। हर देश की एक सरकार (Government) होती है। वह चाहती है कि उसके देश में पूरी शान्ति हो, सब लोग मिल जुल कर रहें, लोगों में बल और बुद्धि हो ताकि कोई विदेशी उन्हें दबा न सके। इसके लिये सरकार लोगों में शिक्षा का प्रचार करती है और उन्हें बार-बार उत्साहित करती रहती है कि वे अधिक से अधिक योग्यता प्राप्त करें। लोगों की सफ़ाई और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है। विदेशियों की वह उतनी परवाह नहीं करती जितनी अपने देश के रहने वालों की। उसकी प्रबल इच्छा रहती है कि उसके देशवासी स्वयं सरकार को चलावें। हर मामले में सरकार उनकी राय लेती है, उन्हीं को सरकारी विभागों में काम देती है, अपनी सेना में उन्हीं को भर्ती करती है। हर तरह से उनका विश्वास करती है और विदेशों तक में उनकी रक्षा की ज़िम्मेवारी अपने ऊपर लेती है। लेकिन सरकार यह सब कुछ केवल उन्हीं के लिये करती है जो नागरिक हैं। अनागरिक के लिये उसकी ज़िम्मेवारी बहुत थोड़ी है।

नागरिक

जब नागरिक होने में इतने लाभ हैं कि सरकार उन्हीं को नौकरी देती है, उन्हीं का विश्वास करती है, विदेशों तक में उनकी रक्षा के लिये ज़िम्मेवार है तो देश के सभी निवासी नागरिक क्यों नहीं बन जाते। जैसे सब लोग डाक्टर, वकील, प्रोफ़ेसर, कलेक्टर और जज नहीं बन सकते उसी तरह सभी लोग नागरिक नहीं हो सकते। इसके लिये कुछ शर्तें हैं। जो लोग उन शर्तों को पूरा करते हैं वे नागरिक बन जाते हैं, बाक़ी लोग अनागरिक कहलाते हैं। इससे स्पष्ट

है कि नागरिक वह व्यक्ति है जिसे कुछ अधिकार प्राप्त हैं। हर आदमी को अपनी ज़िम्मेवारी निबाहनी पड़ती है। अगर हम फ़ौज में सिपाही बनाये जाते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छी तरह लड़ें और लड़ाई के मैदान से भाग न जायँ। जितने भी पदाधिकारी हैं (कलेक्टर, जज, कोतवाल इत्यादि) सब को अधिकार दिये गये हैं और उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। अपने देश में जिस व्यक्ति को राजनैतिक और सामाजिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त हों और वह अपने कर्तव्यों का पालन करता हो उसे नागरिक कहते हैं। इन्हीं अधिकारों को नागरिकता कहते हैं। अर्थात् नागरिकता उसी को प्राप्त होती है जो नागरिक हैं।

नागरिक और नागरिकता

ऊपर कहा गया है कि सब लोग नागरिक नहीं बन सकते। अर्थात् सब को नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती। नागरिक दो प्रकार के होते हैं:—

(१) स्वाभाविक—ये जन्म से ही अपने देश के नागरिक कहलाने के अधिकारी हो जाते हैं।

(२) कृत्रिम—बड़े होने पर इन्हें नागरिक बनाया जाता है।

सभी देशों में यह नियम है कि अपने देश के माता पिता से उत्पन्न बालक उस देश का स्वाभाविक नागरिक कहलाता है। जैसे हिन्दुस्तान में किसी लड़के का जन्म हिन्दुस्तानी माता पिता से हो तो वह इस देश का स्वभाविक नागरिक कहलायेगा। स्वाभाविक नागरिक दो तरह के होते हैं। एक तो वे जिनका जन्म अपने देश में अपने देश के माता पिता से होता है। दूसरे वे जिनका जन्म विदेशों में अपने देश

के माता पिता से होता है। एक अँग्रेज़ पुरुष और अँग्रेज़ स्त्री से यदि कोई लड़का इंगलैंड में पैदा हो तो वह इंगलैंड का स्वाभाविक नागरिक कहलायेगा। लेकिन यदि उसी पुरुष और स्त्री से एक अँग्रेज़ बालक का जन्म अमेरिका, फ्रांस, हिन्दुस्तान आदि किसी देश में हो तब भी वह इंगलैंड का स्वाभाविक नागरिक कहलायेगा।

नागरिकता दो तरह से प्राप्त की जाती है:—

(१) जन्म से और

(२) स्थान से।

जन्म से नागरिकता प्राप्ति का अर्थ यह है कि माता-पिता जिस देश के नागरिक होंगे उनकी सन्तान जन्म से ही उस देश की नागरिक कहलायेगी। संसार के कुछ देश जन्म से, कुछ स्थान से और कुछ जन्म तथा स्थान दोनों से नागरिकता को मानते हैं। किसी-किसी देश में यह नियम है कि यदि माता पिता उस देश के नागरिक हैं तो, चाहे उनकी सन्तान अपने देश में हो अथवा संसार के किसी भी हिस्से में हो, वह उस देश की नागरिक कहलाती है। एक अँग्रेज़ माता-पिता से संसार के किसी भी देश में उत्पन्न हुआ बालक इंगलैंड का नागरिक कहलाता है।

स्थान से नागरिकता प्राप्त करने का नियम बहुत थोड़े देशों में पाया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि माता-पिता देशी या विदेशी कोई भी हों लड़के का जन्म उस देश में होना चाहिये। कुछ देशों में यह नियम है कि उनकी सीमा के अन्दर पैदा होनेवाली सन्तान उन देशों की नागरिक कहलायेगी। वे इस बात का ख़याल नहीं करते कि माता-पिता किस देश के निवासी हैं। इतना काफ़ी है कि अमुक बच्चे का

जन्म उन्हीं के राज्य में हुआ है इसलिये वह वहाँ का नागरिक बनने का अधिकारी है।

अभी तक केवल स्वाभाविक नागरिकता का वर्णन किया गया है। लेकिन कुछ कृत्रिम नागरिक भी होते हैं। जो जन्म से नागरिक बनने के अधिकारी नहीं हैं, बड़े होने पर जिन्हें नागरिकता प्रदान की जाती है। वे कृत्रिम नागरिक कहलाते हैं। मान लीजिये कोई हिन्दुस्तानी फ्रांस में जाता है। वहीं व्यापार करते-करते अपना घर बना लेता है। यदि इच्छा हुई तो वहीं विवाह करके एक कुटुम्ब भी बना लेता है। जब फ्रांस में रहते-रहते उसे १०-२० वर्ष बीत जाते हैं तो वह चाहता है कि फ्रांस की सरकार उसे वे सारे अधिकार देदे जो अन्य फ्रांसीसी नागरिकों को मिले हुये हैं। अर्थात् सरकारी नौकरी करने तथा चुनावों में वोट देने का उसे भी अधिकार मिल जाय। वह व्यक्ति फ्रांस की सरकार के पास इस आशय का एक प्रार्थनापत्र देगा और जब सरकार यह देख लेगी कि उस व्यक्ति के अन्दर फ्रांस की राष्ट्रीयता है अर्थात् वह फ्रांस को अपना देश समझता है तो उसकी अर्ज़ी मंजूर की जायगी। फिर वह फ्रांस का कृत्रिम नागरिक कहलायेगा। प्रत्येक देश में स्वाभाविक नागरिकों की संख्या अधिक होती है; कृत्रिम नागरिक बहुत थोड़े होते हैं। स्वाभाविक और कृत्रिम नागरिकों के अधिकारों में कोई भेद नहीं रहता। परन्तु संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इनमें भेद किया गया है। कृत्रिम नागरिक वहां का सभापति (President) नहीं हो सकता।

नागरिक की ख़ास पहचान यही है कि वह अपने देश को अपना घर समझे। अर्थात् उसमें सच्ची देश-भक्ति हो। किसी विदेशी सरकार से सम्बन्ध करके यदि वह अपने देश को हानि पहुँचाता है तो वह

सच्चा नागरिक नहीं कहा जा सकता। ऐसे व्यक्ति अपने देश के शत्रु कहलाते हैं। इसलिये प्रत्येक देश में यह नियम है कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने देश को धोका दें अथवा हानि पहुँचायें तो उनकी नागरिकता छीन ली जाय। वे अनागरिक करार दिये जायँ। जब कोई नागरिक कोई विशेष अपराध करता है, फौज से भाग जाता है अथवा अपने देश में किसी राज्यक्रान्ति का उपाय रचता है तो वहाँ की सरकार उसकी नागरिकता सर्वदा के लिये छीन लेती है। इतना ही नहीं, उसे कड़ा दण्ड भी देती है। कभी-कभी तो ऐसे व्यक्ति देश से बाहर निकाल दिये जाते हैं। यदि बाहर न भी निकाले गये तब भी उन्हें कोई सरकारी पद या वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता। जो नागरिक किसी छूत की बीमारी के आजन्म शिकार बन जाते हैं, अथवा अपाहिज हो जाते हैं, उनकी नागरिकता छीन ली जाती है। अपने देश को छोड़कर जो विदेशों में चले जाते हैं और बहुत दिनों तक अपने देश को नहीं लौटते उनकी भी नागरिकता छीन ली जाती है।

यदि एक देश का नागरिक किसी विदेश में जाकर वहाँ की नागरिकता प्राप्त करले तो वह अपने देश का नागरिक नहीं रह जाता। एक व्यक्ति एक ही देश का नागरिक रह सकता है। एक व्यक्ति दो नावों पर पैर रखकर नदी को पार नहीं कर सकता। इसमें बहुत बड़ा डर है कि कहीं वह पानी में न चला जाय। ठीक इसी तरह नागरिक का घनिष्ठ सम्बन्ध अपने ही देश से होता है। वह राज-भक्त अथवा देश-भक्त तभी रह सकता है जब अपने ही देश में निवास करे या थोड़े समय के लिये विदेशों में चला जाय। एक

नौकर दो मालिक को प्रसन्न नहीं रख सकता। एक स्त्री के दो पति नहीं रह सकते। इसीलिये प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह नियम बना दिया गया है कि वह एक ही देश का नागरिक बनकर रहे। हर देश के अलग-अलग नियम हैं। एक आदमी दो विरोधी नियमों का साथ-साथ पालन नहीं कर सकता। मान लीजिये इंगलैंड का एक नागरिक फ्रांस में आकर वहाँ का भी नागरिक बन जाता है। यदि फ्रांस और इंगलैंड में लड़ाई छिड़ जाय तो वह किसकी ओर से लड़ेगा? दोनों देश की सरकारें उसे अपना सिपाही बनाना चाहेंगी। इसी प्रकार की कठिनाइयों से बचाने के लिये कोई भी सरकार किसी व्यक्ति को दो देशों का नागरिक नहीं बनने देती।

अधिकार

नागरिकता का ज्ञान अधिकार और कर्तव्यों से होता है? पहले हम अधिकार पर विचार करें। अधिकार एक शक्ति है जो किसी व्यक्ति को प्रदान की जाती है। मान लीजिये कोई आदमी ठीक भोजन अथवा कसरत से अपनी शक्ति को बढ़ाता है। इसे कोई बाहर से उसे प्रदान नहीं करता। इसलिये इस शक्ति का नाम अधिकार नहीं है। हम रास्ते में चले जाते हैं। कोई आदमी आकर हमसे कहता है "हम तुम्हें सब को मारने का अधिकार देते हैं। जिसकी चीज़ तुम चाहो छीन सकते हो।" क्या इसे अधिकार कहा जा सकता है? कदापि नहीं। नागरिकता उस अधिकार को कहते हैं जो सरकार की ओर से किसी व्यक्ति को दिया जाता है। नागरिक को अधिकार प्रदान करना केवल सरकार का काम है। इन अधिकारों को प्राप्त कर नागरिक अनेक कठिनाइयों से बच जाता

है और उसका जीवन सुखी और उन्नत होता जाता है।

अधिकारों की संख्या अनन्त है। हम इन्हें गिना नहीं सकते। आसमान में तारे गिन लिये जायँ, बालू से तेल निकल जाय, परन्तु अधिकारों की गिनती नहीं हो सकती। इन्हें हम दो कोटि में रख सकते हैं:—

१—सामाजिक अधिकार (Civil Rights).

२—राजनैतिक अधिकार (Political Rights).

सामाजिक अधिकार वे हैं जो नागरिक को समाज में प्रदान किये जाते हैं। इन्हें भी सरकार ही प्रदान करती है, लेकिन वह इन्हें समाज के द्वारा नागरिक को देती है। इन अधिकारों की आवश्यकता नागरिक को अपने दैनिक जीवन में हर समय पड़ती रहती है। इसके बिना कोई व्यक्ति एक दिन भी अपना काम नहीं कर सकता। मान लीजिये आप किसी नदी में नहाने जाते हैं। कोई आकर कहता है कि आपको इसमें नहाने का अधिकार नहीं है। इसी तरह बाज़ार से सौदा लेना भी आप का बन्द कर दिया जाता है। कोई आप को मारने पर तैयार है। जब आप अपनी रक्षा के लिये सचेत हो जाते हैं तो वह कहता है कि आपको अपनी रक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। आपके लड़कों को स्कूल से यह कह कर निकाल दिया जाता है कि आपको इस स्कूल में किसी को पढ़ाने का अधिकार नहीं है। धीरे-धीरे आपके सब काम रोक दिये जाते हैं। क्या इतनी कठिनाइयों को सहकर कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है? इससे स्पष्ट है कि व्यक्ति को समाज में रहने के लिये कुछ अधिकारों की आवश्यकता है। आत्मरक्षा,

अपनी सम्पत्ति की रक्षा, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने, प्राकृतिक चीज़ों से लाभ उठाने तथा सार्वजनिक वस्तुओं का उपयोग करने का अधिकार सबको मिलना चाहिये। इन्हीं का नाम सामाजिक अधिकार है। ये अधिकार नागरिक और अनागरिक दोनों को प्रदान किये जाते हैं।

राजनैतिक अधिकार इन अधिकारों से भिन्न हैं। जिन अधिकारों की आवश्यकता देश के शासन प्रबन्ध में पड़ती है वे राजनैतिक अधिकार कहलाते हैं। नागरिक को ही वे अधिकार दिये जाते हैं। जो देश जितना ही उन्नतिशील है और वहाँ के नागरिक जितने ही अधिक योग्य और कुशल हैं उनके राजनैतिक अधिकार भी उतने ही अधिक होते हैं। यदि किसी देश के नागरिक मूर्ख और अयोग्य हैं तो उनके राजनैतिक अधिकार नहीं के बराबर होंगे। सरकारी नौकरियों में सब लोग नहीं लिये जा सकते। फ़ौज में हर आदमी भर्ती नहीं किया जाता। किसी चुनाव में वोट देने का अधिकार सब को नहीं होता। अन्य शर्तों के अलावा सबसे बड़ी और पहली शर्त यह है कि वे नागरिक हों। इन्हीं को वे अधिकार प्रदान किये जाते हैं। राजनैतिक अधिकारों का जो दुरुपयोग करता है उसकी नागरिकता छीन ली जाती है।

कर्तव्य

समाज में सब लोग एक ही कार्य नहीं करते। कोई सड़क साफ़ करता है, कोई स्कूल में अध्यापक है, कोई वकील है, कोई डाक्टर है, कोई सरकारी अफ़सर है, इत्यादि इत्यादि। सब के अलग-अलग काम हैं और उनकी भिन्न-भिन्न ज़िम्मेवारियाँ हैं। इन्हीं ज़िम्मेवारियों को कर्तव्य कहते हैं। अध्यापक का कर्तव्य है कि वह अच्छी तरह पढ़ाये, वक़ील

अच्छी तरह बहस करे, सड़क साफ़ करने वाला ठीक समय से अपना काम करे। जब सभी लोग अपने-अपने कर्तव्य को पूरी तरह निभायेंगे तभी समाज की उन्नति होगी। इसलिए कर्तव्य का ध्यान रखते हुये समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है। जितनी आवश्यकता हमें एक डाक्टर और वकील की है उससे कम आवश्यकता एक भंगी की नहीं है। इतना अवश्य है कि किसी का कर्तव्य अधिक होता है और किसी का कम। एक पुलीस इन्सपेक्टर का कर्तव्य अपने ही दायरे में शान्ति रखना है लेकिन कलेक्टर का कर्तव्य सारे ज़िले की रक्षा करना है। वाइसराय का कर्तव्य बहुत ही बड़ा है। उसे पूरे हिन्दोस्तान की चिन्ता रहती है।

छोटे से बड़े तक सबके कुछ न कुछ कर्तव्य हैं। नागरिक और अनागरिक दोनों को इन कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। इसी से उनकी उन्नति और भलाई होती है। सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि लोग अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं या नहीं। जो नहीं करते उन्हें वह दंड देती है। किसी मनुष्य का यह अधिकार नहीं है कि वह किसी को मार दे या उसकी सम्पत्ति छीन ले। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें सरकार दंड देती है। कर्तव्यों की अलग-अलग सीमा है। उसी के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है। यदि वह अपने कर्तव्य का पालन करके दूसरे के कर्तव्य में हाथ डालता है तो वह दंड का भागी ठहराया जाता है। एक अध्यापक किसी कचहरी में जज बनकर मुक़दमें फ़ैसल नहीं कर सकता। उसके कर्तव्य दूसरे हैं। जिसको जिस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं वह उसी प्रकार का कर्तव्य पालन कर सकता है।

जैसे अधिकारों की कोई गिनती नहीं है वैसे ही कर्तव्य भी अनगिनत हैं। जितने प्रकार के अधिकार हैं उतने ही प्रकार के कर्तव्य भी हैं। अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ-साथ चलते हैं। अधिकार के बिना कर्तव्य और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं होते। जिसे कुछ अधिकार प्राप्त हैं उसके कुछ कर्तव्य भी हैं। पुलीस-इन्सपेक्टर को यह अधिकार है कि वह अपने हल्के के चोर-डाकुओं को दंड दे। परन्तु उसका यह कर्तव्य भी है कि वह निरपराधियों को न सताये तथा अपने हल्के में पूर्ण शान्ति रक्खे। यदि हम अलग-अलग कर्तव्यों का वर्णन करें तो उनसे पार नहीं पा सकते। प्रत्येक व्यक्ति के कुछ न कुछ कर्तव्य हैं। जो जितनी ही तत्परता और योग्यता के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करता है वह उतना ही कुशल नागरिक कहलाता है।

व्यक्तिगत कर्तव्यों के अतिरिक्त कुछ कर्तव्य सरकार की ओर से निश्चित किये गये हैं। उनका पालन करना प्रत्येक नागरिक के लिये आवश्यक ठहराया गया है। यदि वह नहीं करता तो दंड का भागी समझा जाता है। सरकारी क़ानूनों का पालन सबको करना पड़ता है। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या देशी, क्या विदेशी सबको इन क़ानूनों का पालन करना पड़ता है। सरकारी टैक्स देना सभी नागरिकों के लिये अनिवार्य है। कोई भी इससे मुक्त नहीं किया जाता। अवसर पड़ने पर प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह फ़ौज में सिपाही का काम करे। किसी भी दशा में वह इससे मुंह नहीं मोड़ सकता। अधिकार और कर्तव्य के सम्यक् ज्ञान को ही नागरिक-ज्ञान कहते हैं।

सारांश

जिसे अपने देश के सम्पूर्ण सामाजिक और राजनैतिक अधिकार प्राप्त हों वह नागरिक कहलाता है। स्वाभाविक और कृत्रिम दो तरह के नागरिक होते हैं। नागरिक को कुछ अधिकार दिये जाते हैं। इन्हीं अधिकारों का सामूहिक नाम 'नागरिकता' है। जैसे अनागरिक को नागरिकता प्रदान की जाती है उसी तरह वह छीन भी ली जाती है। अपराधी और अयोग्य व्यक्तियों की नागरिकता छीन ली जाती है। नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किये जाते हैं वे दो प्रकार के होते हैं—सामाजिक और राजनैतिक। ये अधिकार अनन्त हैं। जितने प्रकार के अधिकार होते हैं उतने ही प्रकार के कर्तव्य भी होते हैं। आत्म-रक्षा, सम्पत्ति रक्षा, शिक्षा प्राप्त करना, सार्वजनिक वस्तुओं से लाभ उठाना, इत्यादि सामाजिक अधिकार हैं। सरकारी नौकरी करना तथा वोट देना—ये राजनैतिक अधिकार कहलाते हैं। राजनैतिक अधिकार केवल नागरिकों को दिये जाते हैं, परन्तु सामाजिक अधिकार नागरिक और अनागरिक दोनों को दिये जाते हैं। कर्तव्य भी अधिकार की तरह अनन्त हैं। कुछ कर्तव्यों का पालन करना सबके लिये अनिवार्य है। क़ानूनों का मानना सरकारी करों को चुकाना—ये दो कर्तव्य सब को पालन करने पड़ते हैं।

प्रश्न

१—नागरिक कौन है? क्या आप नागरिक हैं? यदि नहीं तो क्यों?

(Who is a citizen ? Are you a citizen, if not why ?)

२—नागरिकता किसे कहते हैं? इसकी प्राप्ति और विनाश क्यों कर होता है?

(What is meant by citizenship ? How is it acquired and lost ?)

३—क्या आप यह सिद्ध कर सकते हैं कि अधिकार और कर्तव्य मिले हुये हैं ? क्या एक की अनुपस्थिति में दूसरा रह सकता है ?

(Can you prove that rights and duties are co-ordinate to each other ? Is it possible in any case that one can exist without the other ?)

४—"नागरिकशास्त्र नागरिकता का अध्ययन है" । इसे अच्छी तरह समझाइये ।

("Civics is the science of citizenship." Explain and prove it.)

५—नागरिक के मुख्य अधिकार और कर्तव्य क्या हैं ? क्या इनमें कुछ अनिवार्य भी हैं ?

(What are the main rights and duties of a citizen ? Are some of them indispensable ?)

अध्याय ३

विभिन्न समुदाय

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपना सब काम समाज में ही करता है। कोई भी आदमी रेगिस्तान और जंगल में मकान नहीं बनवाता। पहाड़ों पर कोई कुआँ नहीं खोदता। मनुष्य का जन्म समाज में होता है। वहीं उसका पालन पोषण भी होता है। इसीलिये शुरू से अन्त तक समाज में रहने और काम करने की उसकी आदत पड़ जाती है। जब कभी उसे एकान्त में रहना पड़ता है तो वह घबड़ाता है। अपने घर तथा सम्बन्धियों से उसका इतना घनिष्ट प्रेम होता है कि उनसे अलग रहना उसे अच्छा नहीं लगता। यदि हम सबेरे से शाम तक के अपने कामों को देखें तो मालूम पड़ेगा कि हमारे सब काम एक दूसरे की सहायता से होते हैं। एकान्त जीवन में यह सहायता हमें नहीं मिल सकती।

समुदाय

सबेरे उठकर हम घूमने जाते हैं। यदि हमें कसरत करने का शौक है और स्वास्थ्य का ध्यान है तो व्यायामशाला (Gymnasium) भी हमें जाना पड़ता है। वहाँ बहुत से नवयुवक आये रहते हैं। कसरत के बाद हम घर आते हैं। फिर चीज़ें ख़रीदने बाज़ार जाते हैं। तरकारी वाले से साग ख़रीदते हैं, तेली से तेल लेते हैं, जूते वाले से

जूता बनवाते हैं, इत्यादि इत्यादि। दिन को भोजन के पश्चात् स्कूल जाते हैं। हमारी तरह वहाँ सैकड़ों लड़के आकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। शाम को अवसर मिलने पर मनोरंजन के लिये हम किसी क्लब में जाते हैं। वहाँ अपने साथियों के साथ तरह-तरह के खेल खेलते हैं। खूब हँसी होती है। दिन भर की थकावट और परीशानी को भूल जाते हैं। कभी-कभी हमें ऐसी जगह भी जाने का अवसर मिलता है जहाँ बड़े-बड़े विद्वानों के भाषण होते हैं। उनसे हमें नई-नई बातें मालूम होती हैं। किसी-किसी दिन हम धार्मिक या मज़हबी बातों को सुनने के लिये किसी समाज में या मन्दिर तथा मसज़िद में जाते हैं।

जिन-जिन जगहों पर हम अपने कामों के लिये जाते हैं और जितने प्रकार के लोगों से मिलते हैं उतने ही प्रकार के समुदाय होते हैं। व्यावसायिक, धार्मिक, शिक्षा, मनोविनोद, व्यायाम आदि समुदायों का वर्णन ऊपर किया गया है। कुटुम्ब भी एक समुदाय है। सुख और सहायता के लिये बहुत से लोग एक कुटुम्ब में रहते हैं। जिस प्रकार हमारे कामों का अन्त नहीं है उसी तरह समुदाय भी अनन्त हैं। इससे स्पष्ट है कि समुदाय व्यक्तियों के उस संगठन को कहते हैं जो किसी एक उद्देश्य के लिये बनाया गया हो। धार्मिक समुदाय धर्म की चर्चा के लिये बनाया गया है, स्कूल और कालेजों का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षित करना है, व्यायामशाला में हम स्वास्थ्य लाभ के लिये जाते हैं। प्रत्येक समुदाय किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिये बनाया जाता है।

समुदायों की उत्पत्ति और विनाश

जब कोई संगठन बनाया जाता है तो उसके लिये कठिन परिश्रम

करना पड़ता है। बहुत से लोगों से मिलकर उसके फ़ायदे को उन्हें समझाना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले उसका उद्देश्य निश्चित हो जाना चाहिये। तभी हम लोगों को उसमें शामिल कर सकते हैं। एक आदमी अकेले कोई काम नहीं कर सकता। बहुत से लोगों को संगठित कर और उनका एक समुदाय (Association) बनाकर काम करने से आसानी होती है। अर्थात् समुदायों की उत्पत्ति कार्य की सुविधा के लिये होती है। समाज में जितने तरह के कार्य होंगे उतने ही प्रकार के समुदाय बनेंगे। प्रतिवर्ष मालूम नहीं कितने नये-नये समुदाय बनते रहते हैं। कोई बात किसी व्यक्ति के मन में आई; उसने लोगों से उसकी चर्चा की और कुछ ही दिनों में उसका एक संगठन बन गया। इसी संगठन का नाम समुदाय है। जो समाज जितना ही उन्नत होता है उसमें उतने ही अधिक समुदाय होते हैं। अधिक से अधिक समुदायों का होना सभ्यता की निशानी है।

जो वस्तु पैदा होती है उसका नाश भी होता है। जो संगठन या समुदाय बनते हैं वे कभी न कभी नष्ट भी हो जाते हैं। ऊपर कहा गया है कि समुदाय की उत्पत्ति किसी उद्देश्य से होती है। जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उस समुदाय की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। फिर लोग उससे अलग हो जाते हैं और वह समुदाय नष्ट हो जाता है। यदि नये लोग उसी उद्देश्य से फिर उसमें आ जाते हैं तो वह समुदाय चलता रहता है और जल्दी नहीं टूटता। मान लीजिये ५० आदमियों ने एक व्यायामशाला खोली। इसका नाम स्वास्थ्य समुदाय है। जब सब लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो गया तो इसकी आवश्यकता जाती रही। फिर यह समुदाय तोड़ दिया जायगा। इसी

तरह नये समुदाय बनते रहते हैं और पुराने टूटते जाते हैं। समुदायों के बनने और टूटने का यह सिलसिला हमेशा जारी रहता है।

समुदायों से लाभ

बिना लाभ के कोई काम नहीं किया जाता। मनुष्य का यह स्वभाव है कि जिन कामों में उसे लाभ दिखाई पड़ता है उन्हीं में वह हाथ डालता है। ये लाभ कई प्रकार के होते हैं। कुछ कामों से धन का लाभ होता है, कुछ से स्वास्थ्य लाभ होता है, कुछ से आनन्द की प्राप्ति होती है और कुछ से अपनी आत्मा को शान्ति मिलती है। जब हम किसी दीन दुखिये को चार पैसा देते हैं तो हमारी आत्मा को सन्तोष होता है। इसका नाम मानसिक लाभ है। विभिन्न समुदायों से इसी प्रकार के लाभ होते हैं। यदि हमें स्वास्थ्य-लाभ करना है तो किसी व्यायामशाला का सदस्य बनना होगा। यदि हम व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापारियों के समुदाय से अपना सम्बन्ध जोड़ना होगा। यदि हम सदुपदेश सुनना चाहते हैं और सत्संगति की तलाश में हैं तो किसी साधु-समुदाय में जाना होगा। तात्पर्य यह है कि संसार में समु-दायों की संख्या और किस्में अनन्त हैं। जिनमें हम चाहें प्रवेश कर सकते हैं। यह हमारी इच्छा पर है कि किस समुदाय से हम लाभ उठायें। विभिन्न मनुष्यों को विभिन्न इच्छायें होती हैं। जैसा जिसका स्वभाव है उसी के अनुकूल समुदायों से उसे लाभ पहुँच सकता है।

एक प्रश्न उठ सकता है कि जब हमें व्यापार, व्यायाम तथा अन्य कार्यों से लाभ होता है तो हमें इनको अकेले करना चाहिये। इनके संगठन अथवा समुदाय बनाने की क्या आवश्यकता है? बात तो

ठीक है। हम अकेले व्यायाम कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का व्यापार कर सकते है, जिस सत्संगति में चाहें बैठ सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब हम इन्हीं कार्यों को संगठित रूप से करते हैं तो हमारे कामों में अनेक सुविधायें मिलती हैं और हमारी शक्ति दूनी और चौगुनी हो जाती है। हर आदमी स्कूल नहीं खोल सकता। इसलिये शिक्षा समुदाय आवश्यक है। व्यायाम करने की तरह-तरह की सामग्रियाँ एक आदमी इकट्ठी नहीं कर सकता। जब बहुत से लोग इसके लिये प्रयत्न करते हैं तो व्यायामशाला अधिक मनोरंजक मालूम पड़ती है। व्यायाम करनेवालों के सहयोग से प्रत्येक को नई-नई जानकारियाँ होती हैं। एक दूसरे को देखकर हृदय में उत्साह होता है। इसी प्रकार व्यापार समुदाय में प्रवेश करने से व्यापार सम्बन्धी बहुत से नियमों का ज्ञान होता है। व्यापारी मंडल एक दूसरे की सहायता करता है। संगठन से शक्ति बढ़ती है। समुदाय, संगठित होने के नाते, व्यक्ति को नाना प्रकार के लाभ पहुँचाते हैं।

समुदायों के भेद

ऊपर कहा गया है कि समुदाय अनेक हैं। लेकिन इन सब को हम दो श्रेणियों में रख सकते हैं। अर्थात् समुदाय दो प्रकार के होते हैं :—

१—अनिवार्य (Compulsory).

२—ऐच्छिक (Voluntary).

अनिवार्य समुदाय वे हैं जिनका सदस्य बनना राज्य के सभी नागरिकों के लिये अनिवार्य (Compulsory) होता है। यदि कोई नागरिक राज्य से अपने को अलग करना चाहे तो वह नहीं

कर सकता। राज्य एक ऐसा समुदाय है जिससे सभी व्यक्तियों को लाभ पहुँचता है। यह समुदाय सभी समुदायों से बड़ा समझा जाता है। अन्य समुदाय इसी के अन्तर्गत कार्य करते हैं। इसकी इच्छा के विरुद्ध कोई समुदाय जीवित नहीं रह सकता। इसके बनाये हुये नियमों को अन्य समुदायों को मानना पड़ता है। राज्य के अतिरिक्त दूसरा अनिवार्य समुदाय कुटुम्ब है। यद्यपि यह सरकारी नियम नहीं है कि सभी लोग कुटुम्ब में ही रहें, फिर भी सुविधा की दृष्टि से अधिकतर लोग कुटुम्ब में ही रहते हैं। केवल साधु सन्यासी कुटुम्ब से अपने को अलग रखते हैं। कुटुम्ब का सदस्य रहना मनुष्य का एक स्वभाव हो गया है। इसीलिये इसकी गणना अनिवार्य समुदाय में होनी चाहिये। प्रकृति ने इसे अनिवार्य बना रक्खा है।

ऐच्छिक समुदाय (Voluntary Associations) वे हैं जिनका सदस्य बनना लोगों की इच्छा पर निर्भर है। चाहें तो वे इनके सदस्य बनें और न चाहें तो न बनें। ऐच्छिक समुदायों की संख्या गिनी नहीं जा सकती। कुछ प्रसिद्ध और अत्यन्त उपयोगी समुदायों का ज़िक्र किया जा सकता है। शिक्षा समुदाय इन सब में आवश्यक है। जो चाहे इसमें प्रवेश कर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यदि कोई मूर्ख रहना चाहता है तो वह अपने आप को इससे अलग भी रख सकता है। व्यायामशाला वह समुदाय है जिसमें स्वास्थ्य ठीक करने के लिये लोग जाते हैं। जिसकी इच्छा नहीं होती वह नहीं जाता। धार्मिक समुदाय में वही जाता है जिसकी धर्म में थोड़ी रुचि है। जो व्यापार सम्बन्धी जानकारी हासिल करना चाहता है वह व्यापार समुदाय का सदस्य होगा। किसान अपनी उन्नति के लिये

कृषक समुदाय बना सकते हैं। विदेशी लोग अपनी रक्षा तथा अधिकारों के लिये जातीय समुदाय (Racial Association) बना सकते हैं। इसी प्रकार विभिन्न उद्देश्य लेकर अनेक ऐच्छिक समुदाय बनाये जाते हैं। लोग अपनी इच्छानुसार उनके सदस्य बनते रहते हैं।

समुदायों के लक्षण

(Characteristics of Associations)

प्रत्येक समुदाय अपनी एक विशेषता रखता है। इसी से एक समुदाय दूसरे से भिन्न समझा जाता है। हर समुदाय के कुछ न कुछ नियम होते हैं। जो भी उसमें प्रवेश करते हैं उन्हें उन नियमों का पालन करना पड़ता है। कुछ समुदायों में सदस्यों को फ़ीस भी देनी पड़ती है। जितना ही छोटा-बड़ा समुदाय होता है उतनी ही कम-वेस फ़ीस होती है। थोड़ी-थोड़ी फ़ीस की रक़म इकट्ठी होने से एक बड़ा कोष बन जाता है। इसी से समुदाय का ख़र्च चलता है। सदस्यों के लाभ अथवा उपयोग के लिये चीज़ें ख़रीदी जाती हैं, आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है तथा समुदाय को स्थायी बनाने के लिये कुछ धन बैंकों में जमा किया जाता है। जिस समुदाय में जितने ही अधिक सदस्य होते हैं उसकी आमदनी भी उतनी ही अधिक होती है।

जिस समुदाय का उद्देश्य जितना बड़ा होता है वह उतना ही व्यापक, सर्वप्रिय और स्थायी होता है। बिना धन के कोई समुदाय जीवित नहीं रह सकता। इसके सदस्यों को नियमों का पालन करना पड़ता है। कुछ समुदाय अपनी आय-व्यय का चिट्ठा प्रतिवर्ष जनता

के सामने रखते हैं। कुछ अपना सालाना जलसा करते हैं। बहुत से समुदाय सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिये तरह-तरह की बातों का प्रचार करते हैं। कुछ समुदाय सदस्यों को भर्ती करने में आनाकानी भी करते हैं। उनका प्रवेश-नियम बहुत ही सख़्त होता है। कुछ समुदायों में लोग इसलिये जाते हैं कि वहाँ उनका सम्मान बढ़ता है। कुछ समुदायों में जाने से मानहानि होती है। इसलिये व्यक्ति को सोच-विचार कर किसी समुदाय का सदस्य बनना चाहिये।

सारांश

समुदाय व्यक्तियों के उस संगठन को कहते हैं जो किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिये बनाया जाता है। समुदायों की संख्या गिनी नहीं जा सकती। जो देश जितना ही उन्नतिशील होगा उसमें उतने ही अधिक समुदाय होंगे। अर्थात् अधिक समुदाय सभ्यता के लक्षण हैं। समय के प्रवाह में समुदाय बनते और बिगड़ते रहते हैं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को हटाकर नया वस्त्र धारण कर लेता है उसी प्रकार वह पुराने विचारों को छोड़कर नये विचारों को अपनाता है। इसीलिये पुराने समुदाय नष्ट होते जाते हैं और नये समुदाय बनते जाते हैं। इन समुदायों से व्यक्ति को बहुत से लाभ होते हैं। इनका सदस्य बनने से उसकी शक्ति बढ़ जाती है और उसे तरह तरह की सुविधायें मिलती हैं। समुदाय दो तरह के होते हैं:—

१—अनिवार्य समुदाय (Compulsory Association).

२—ऐच्छिक समुदाय (Voluntary Association).

राज्य और कुटुम्ब अनिवार्य समुदाय हैं। इन्हें छोड़कर व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। सरकारी क़ानूनों ने राज्य की सदस्यता अनिवार्य कर रक्खी है, और प्राकृतिक नियमों ने कुटुम्ब की सदस्यता को अनिवार्य बना रक्खा है। केवल साधु सन्यासी इससे अलग रह पाते

हैं। ऐच्छिक समुदायों की संख्या का कोई परिमाण नहीं है। व्यायाम-शाला, शिक्षा समुदाय, धार्मिक समुदाय, व्यापार समुदाय, कृषक समुदाय, जातीय समुदाय आदि अनेक समुदाय हैं। प्रत्येक समुदाय अपना अलग नियम रखता है। सभी समुदायों के लक्षण भिन्न-भिन्न होते हैं।

प्रश्न

१—समुदाय किसे कहते हैं? आप किसी समुदाय का सदस्य होकर क्या-क्या लाभ उठा सकते हैं?

(What is meant by 'Association'? What advantages do you derive from any association of which you are a member?)

२—विभिन्न समुदायों का वर्णन कीजिये। किसी सर्वप्रधान समुदाय की विशेषताओं को लीजिये।

(Describe the different types of associations and the characteristics of the most important in them.)

३—किस प्रकार 'कुटुम्ब' संसार के सभी समुदायों में अनिवार्य और लाभदायक है?

(In what aspect 'Family' is the most essential and useful association in the world?)

४—"प्रत्येक समुदाय अपनी कोई न कोई विशेषता रखता है।" इसकी व्याख्या कीजिये।

("Every association has its own characteristics." Explain it.)

५—आप यह कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि सभ्यता के विकास के के साथ समुदायों की वृद्धि होती जायगी?

(How do you prove that with the development of civilization the associations will increase?)

अध्याय ४

समाज की रचना

जिन-जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं उनका बनानेवाला कोई न कोई ज़रूर होगा। जिस मकान में हम रहते हैं वह अपने आप बनकर तैयार नहीं हो गया। कुछ वर्ष पहले इसे किसी ने बनवाया होगा। कोई भी यह नहीं कह सकता कि मनुष्य की बनाई हुई चीज़ अजर और अमर हो सकती है। चन्द्रमा और सूर्य कब बने, किसने इन्हें बनाया, कब ये ख़तम हो जायेंगे—इन बातों का जवाब हम नहीं दे सकते। कारण यह है कि ये चीज़ें मनुष्य की बनाई नहीं हैं। आग, पानी, हवा, पृथ्वी, आकाश इत्यादि चीज़ों की उत्पत्ति का हम पता नहीं लगा सकते। कुछ लोगों का विश्वास है कि इनका बनाने वाला ईश्वर है। कुछ इन्हें प्राकृतिक मानते हैं। जो कुछ भी हो, सच्ची बात यह है कि जो चीज़ें इन्सान की बनाई नहीं हैं उनकी उत्पत्ति का हम ठीक-ठीक कारण और समय नहीं जान सकते। लेकिन मनुष्य की बनाई चीज़ों का इतिहास हम मालूम कर सकते हैं।

समाज की उत्पत्ति

प्राकृतिक चीज़ों को छोड़कर संसार में जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं वे सब मनुष्य की बनाई हुई हैं। जो चीज़ें हमारे सामने बनी हैं अथवा जिनको बने बहुत दिन हुए, उनकी उत्पत्ति हम आसानी से

जान लेते हैं। प्राचीन काल की बनी हुई चीज़ों की जानकारी हमें इतिहास से होती है। ताजबीबी का रौज़ा हमारे सामने नहीं बना, लेकिन भारतीय इतिहास यह बतलाता है कि शाहजहाँ ने इसे बनवाया। अब प्रश्न यह है कि जिस समाज में हम रहते हैं उसको किसने बनाया। हम किसी न किसी कुटुम्ब में उत्पन्न हुये, स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, बाज़ारों में चीज़ें ख़रीदते हैं तथा और भी तरह के संगठन से हम फ़ायदा उठाते हैं। इन सबके मेल को समाज कहते हैं। ये चीज़ें कब बनीं और किसने इन्हें बनाया ?

समाज की उत्पत्ति का पता लगाना सरल नहीं है। मालूम नहीं कितने हज़ार वर्ष पहले इसकी रचना की गई होगी। तब से आज तक इसमें अनेक परिवर्तन हुये होंगे। कोई लिखित ग्रन्थ भी ऐसा नहीं मिलता जो अकबर और अलाउद्दीन के शासन की तरह इनको अच्छी तरह बयान करता हो। पुराने ज़माने में आजकल की तरह लिखने का रवाज़ न था। इसलिये मालूम नहीं कितनी बातें भूली जा चुकी होंगी। एक बात हमें माननी होगी कि समाज मनुष्य द्वारा बनाया गया है। इतिहास से पता चलता है कि पहले मनुष्य जंगलों और गुफ़ाओं में रहता था। यह सारी पृथ्वी जंगल से ढकी थी। इसलिये जंगली जानवरों की तरह वह जंगल में रहता था और वहीं पशु-पक्षियों को मारकर अपना पेट भरता था। जिस प्रकार जंगली जानवरों के झुंड के झुंड साथ रहते हैं उसी प्रकार मनुष्य भी अपना झुंड बनाकर नदियों के किनारे, पहाड़ों की गुफ़ाओं में तथा जंगलों में रहता था। कुछ तो जंगल में रहने और कुछ उनकी असभ्य रहन-सहन के कारण हम इसे जंगली समाज कहते हैं। इसलिये सबसे पहले जंगली समाज की उत्पत्ति हुई थी।

फिर बढ़ते-बढ़ते आज वही समाज सभ्य बन गया है।

समाज का विकास

समाज एक दो दिन की बनाई हुई चीज़ नहीं है। कई हज़ार वर्षों में धीरे-धीरे इसका विकास हुआ है। अगर हमसे कोई पूछे कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई तो हम जवाब देंगे कि १५२६ ई० में। समाज के विकास के लिये ऐसा जवाब नहीं दिया जा सकता। हज़ारों वर्षों में करोड़ों मनुष्यों के परिश्रम और बुद्धि से इसका विकास चींटी की चाल की तरह हुआ है। पहले मनुष्य जंगली था। न उसका कोई घर था और न कोई संगठन। जानवरों के झुंड की तरह मनुष्यों के झुंड होते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। कुछ शताब्दी बाद उन्होंने जगलों को साफ़ किया, घर बनाया तथा खेती आरम्भ की। इस तरह अलग-अलग झुंड के झुंड रहने लगे। फिर ये झुंड गाँव के रूप में बदल गये। इसके बाद कुटुम्ब की रचना हुई। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया मनुष्य को समाज के फ़ायदे मालूम होते गये। सारी पृथ्वी के जंगल काट डाले गये और बड़े-बड़े गाँव तथा शहर बसाये गये। आज भी पृथ्वी का कुछ हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है, परन्तु एक समय ऐसा आयेगा जब कि वहाँ भी बड़े-बड़े शहर बस जायेंगे।

यह तो मनुष्य के संगठन की बात रही। इसी तरह उसकी बुद्धि, रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा और उसकी बनाई हुई चीज़ों में भी धीरे-धीरे विकास हुआ है। आज से दो हज़ार वर्ष पहले मनुष्यों के घर किसी और तरह के बनते थे। उसके कपड़े भी आज कल की तरह न थे। उसकी बोली में अंतर था। तात्पर्य यह है कि

समाज के विकास में उन सभी चीज़ों का विकास शामिल है जो मनुष्य से सम्बन्ध रखती हैं। किसी भी चीज़ को लेकर हम उसके पिछले इतिहास पर ग़ौर करें तो उसकी जड़ आज से सैकड़ों या हज़ारों वर्ष पहले मिलेगी। बीच-बीच में हमें अनेक तब्दीलियाँ दिखाई देंगी। स्कूल को ही ले लीजिये। आज से दो-चार हज़ार वर्ष पहले विद्यार्थी गुरु के घर पर ही पढ़ते थे। अलग स्कूल और कालेज न थे। विद्यार्थियों से कोई फ़ीस नहीं ली जाती थी। कुछ दिन बाद मन्दिरों और मसजिदों में पढ़ाई होने लगी। राज्य की ओर से पंडित और मौलवी को वेतन दिया जाता था, लेकिन उसकी मात्रा बहुत थोड़ी थी। आजकल वह भी तरीक़ा जाता रहा। बड़े-बड़े स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं। अध्यापकों को लम्बी-लम्बी तनखाहें दी जाती हैं। जो शिक्षा पहले पेड़ों के नीचे अथवा झोंपड़ियों में दी जाती थी वही आज आलीशान मकानों में दी जा रही है। शिक्षा का रूप भी पहले से भिन्न हो गया है।

समाज के अंग

समाज मनुष्य के शरीर की तरह है। जैसे शरीर में कई अंग होते हैं और वे धीरे-धीरे बढ़ते हैं उसी तरह समाज के भी अंग होते हैं और उनका विकास धीरे-धीरे होता है। हाथ, पाँव, कान, नाक, मुँह पहले छोटे होते हैं। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसी तरह ये अंग भी बढ़ते जाते हैं। शरीर के अंगों को तो हम गिन सकते हैं परन्तु समाज के अंग इतने अधिक हैं कि वे गिने नहीं जा सकते। व्यक्ति, कुटुम्ब, गाँव, शहर अथवा अन्य प्रकार के आर्थिक और सांस्कृतिक संगठन समाज के अंग हैं। इन्हीं की उन्नति से समाज

की उन्नति होती है। शरीर का सर्व-प्रधान अंग दिमाग़ कहलाता है। यदि दिमाग़ ख़राब हो जाय तो मनुष्य पागल हो जायगा। उसका जीवन बेकार साबित होगा। समाज का सर्व-प्रधान अंग व्यक्ति है। समाज का उद्देश्य व्यक्ति की उन्नति करना है। जिस समाज में व्यक्ति दुखी है और उसकी शिक्षा आदि का उचित प्रबन्ध नहीं है वह समाज निन्दनीय और पिछड़ा हुआ समझा जाता है। एक आदर्श और उन्नतिशील समाज में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित और सुखी दिखाई देगा, गाँव हरे-भरे तथा मनोरम होंगे, शहरों में तरह-तरह के कारख़ाने और कारोबार दिखाई देंगे, सब में एकता और सहयोग होगा, इत्यादि इत्यादि।

व्यक्ति और समाज

व्यक्ति और समाज में उतना ही घनिष्ट सम्बन्ध है जितना बीज और फल में। बीज से ही पौधा उगता है और वही बढ़ते-बढ़ते फल देने लगता है। इसी तरह व्यक्ति से समाज की उत्पत्ति हुई है। फिर यही समाज उन्नतिशील और सुसंगठित होकर व्यक्ति को नाना प्रकार का सुख देता है। व्यक्ति की ही उन्नति अवनति समाज की उन्नति अवनति कहलाती है। व्यक्तियों के सुधार से समाज का सुधार होता है। व्यक्ति ही समाज का एक पाया है। यदि किसी देश के सम्पूर्ण व्यक्ति अपना-अपना सम्बन्ध एक दूसरे से अलग कर लें तो वहाँ कोई समाज जीवित नहीं रह जायगा। व्यक्ति जितना ही अधिक एक दूसरे के सम्पर्क और सहयोग में आता जाता है, उसका समाज भी उतना ही संगठित और ठोस होता जाता है। यदि हम किसी समाज का अध्ययन करना चाहें तो उसके अन्दर रहनेवाले व्यक्तियों का हमें अध्ययन

करना होगा। कारण यह है कि व्यक्ति की सहयोगी भावना से ही समाज की उत्पत्ति होती है। दीपक से अलग प्रकाश की कोई स्थिति नहीं होती। इसी तरह व्यक्ति से अलग समाज स्वयं कोई इकाई नहीं है। व्यक्तियों के समूह का नाम समाज है। परन्तु निरा समूह तब तक एक सभ्य समाज नहीं कहला सकता जब तक इसके अन्दर राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक अथवा सांस्कृतिक संगठन न हों। अनेक संगठनों के समूह से समाज की उत्पत्ति होती है।

व्यक्ति का सम्बन्ध जब तक अपने ही देश में था तब तक संसार में अनेक छोटे-छोटे समाज थे। हर देश का एक समाज था। लेकिन आवागमन के साधन बढ़ने से दुनिया के सभी देश एक दूसरे के सम्पर्क में आते गये। आज कल का समाज विश्व-समाज कहलाता है। हम संसार के अनेक देशों का चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। वहाँ के विद्वानों और कारीगरों के विचारों से लाभ उठाते हैं। इसलिये हमारे देश का समाज पूर्ण नहीं कहा जा सकता। यही हालत प्रत्येक देश की है। संसार के सभी छोटे-छोटे समाज जो अब तक अलग-अलग थे, एक दूसरे के निकट आते जा रहे हैं। यदि इनमें पूर्ण सहयोग हो जाय तो विश्व-समाज का यह संगठन व्यक्ति के लिये और भी सुखदायी और शान्तिमय होगा।

समाज से लाभ

ऊपर कहा गया है कि समाज एक संगठन है जो बहुत से छोटे-छोटे संगठनों के मेल से बना है। इन संगठनों को व्यक्ति ने अपने लाभ के लिये अपनी इच्छा से बनाया है। यदि उसे कुछ लाभ न होता तो वह व्यर्थ का संगठन क्यों बनाता। हिन्दुस्तान में ही ले लीजिये।

इस देश के निवासियों का एक समाज है, जो भारतीय समाज कहलाता है। इसमें रहने वाले एक दूसरे की बुद्धि तथा करामात से फ़ायदा उठाते हैं। अकेले कोई आदमी स्कूल नहीं खोल सकता। किसी भी व्यापार की उन्नति तब तक सम्भव नहीं है जब तक बहुत से लोग उसमें शामिल न हों। अपने पड़ोसी से हमें मालूम नहीं कितने लाभ होते हैं। बाज़ारों में हम तरह-तरह की चीज़ें मोल लेते हैं और उनसे अपना काम चलाते हैं। यदि ये चीज़ें न होतीं तो हमें बहुत से काम बन्द कर देने पड़ते। दूसरों की बनाई हुई पुस्तकों को पढ़कर हम विद्वान कहलाते हैं। कारीगरों की बनाई हुई चीज़ों को अपने घर में रखकर हम अमीर होने का दावा करते हैं। रेल, तार, डाक से हम जितना फ़ायदा उठाते हैं उसका मूल्य पैसे से नहीं लगाया जा सकता। तात्पर्य यह है कि समाज से हमें अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। हम इन लाभों का मूल्य नहीं समझते, परन्तु न मिलने पर हमें पता चलता है कि इनकी कितनी क़ीमत है। कुओं, तालाबों, धर्मशालाओं, अस्पतालों, पुस्तकालयों तथा अन्य सार्वजनिक चीज़ों से हम लाभ उठाते रहते हैं। यदि समाज न हो तो इन चीज़ों को कौन बनवाये और हमें सुख कहाँ से प्राप्त हो?

व्यक्ति से समाज का आरम्भ होता है। व्यक्ति जितना ही चतुर और कार्यकुशल होता जाता है, उसका समाज भी उतना ही बढ़ता जाता है। पहले व्यक्ति का सम्बन्ध अपने ही कुटुम्ब से होता है। उसी को वह समाज समझता है। फिर बड़े होने पर पड़ोसी, ग्राम, तथा देश से उसका नाता हो जाता है। इस प्रकार समाज का दायरा बढ़ता जाता है। व्यक्ति देखता है कि उसकी आवश्यकतायें अपने ही कुटुम्ब अथवा ग्राम में पूरी नहीं हो सकतीं तो वह अन्य गावों से अपना सम्पर्क

करता है। फिर देश-विदेश तक से उसका नाता हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि समाज का विकास व्यक्ति के लाभ के लिये होता है। यदि वह अपना सम्पर्क बढ़ाता न जाय तो न तो उसकी आर्थिक उन्नति होगी और न मानसिक। वह निरा कूप-मंडूक रह जायगा। यदि कोई मनुष्य अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहता है तो वह संसार का भ्रमण करे, विभिन्न देशों के निवासियों से कुछ सीखे तथा अपने पूर्वजों के विचारों से लाभ उठाये। जितनी चीज़ों से हम फ़ायदा उठाते हैं उनमें एक प्रतिशत् भी हमारी बनाई नहीं होतीं। समाज में रहने वाले इन्हें बनाते हैं। इसलिये हमें समाज के प्रति बहुत ही कृतज्ञ होना चाहिये।

समाज के प्रति कर्तव्य

जिस चीज़ से हमें लाभ हो उसकी रक्षा और सेवा का भी हमें ध्यान रखना चाहिये। जब हम बगीचे से फूल लेते हैं और फल खाते हैं तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम उन पेड़ों की जड़ में खाद और पानी दें। समाज में हमें तरह-तरह की सुविधायें प्राप्त होती हैं। इसलिये हमारा यह कर्तव्य है कि हम भी समाज में कुछ ऐसे काम कर जायँ जिनसे दूसरे लोग फ़ायदा उठायें। दूसरों के बनवाये हुये कुवों से पानी पीने में हमें आनन्द आता है, परन्तु हम भी दूसरों को आनन्द देने के लिये कुयें बनवायें। जिस प्रकार की सार्वजनिक संस्थाओं से हमें लाभ होता है उस प्रकार की तथा उससे भी बड़ी संस्थायें हम स्थापित करें, ताकि भविष्य में लोग उससे फ़ायदा उठायें। जो मनुष्य अपने ही स्वार्थपूर्ति में जीवन व्यतीत कर देता है वह समाज के ऋण को अदा नहीं करता। हम दूसरों के लिये भी थोड़ा विचार करें और कुछ ठोस काम कर जायें। समाज में कितने ही ग़रीब, दुखी, अपाहिज,

अनपढ़, बेकार, रोगी तथा चिन्तित व्यक्ति होते हैं। इनकी सहायता के लिये प्रत्येक को कुछ न कुछ करना चाहिये। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इनके लिये भी देना चाहिये।

समाज के प्रति व्यक्ति के कुछ और भी कर्तव्य हैं। प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ नियम होते हैं। जब संसार को हम एक समाज समझते हैं तो मनुष्य मात्र के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हो जाते हैं। उन नियमों तथा कर्तव्यों का हमें पालन करना चाहिये। किसी को हम गाली न दें, कटु-वचन न कहें और दुख न पहुँचायें। जिन कामों से हमें कष्ट होता है उन्हें दूसरों के प्रति हम न करें। समाज में किसी गन्दी और झूठी बात का प्रचार करना बुरा है। अपने लाभ के लिये हम समाज को हानि न पहुँचायें। धोके तथा तिकड़म से किसी की चीज़ कभी भी न लें। सार्वजनिक वस्तुओं की रक्षा करें। दूसरों की चीज़ को अपनी चीज़ की तरह सुरक्षित रक्खें। सामाजिक कामों में पूरा-पूरा सहयोग दें। जब कभी कोई सभा आदि हो तो उसमें हमें अवश्य जाना चाहिये। जब प्रत्येक व्यक्ति इतनी तत्परता के साथ समाज की भलाई सोचेगा तभी सबको सुख और आनन्द की प्राप्ति होगी। समाज का विकास ठीक मार्ग पर तभी होगा जब व्यक्ति अपने सामाजिक कर्तव्यों को ईमानदारी के साथ पूरा करेगा।

सारांश

समाज मनुष्य का बनाया हुआ सबसे महान संगठन है। इसकी उत्पत्ति आज से कई हज़ार वर्ष पहले हुई थी। आरम्भिक समाज जंगली समाज कहलाता था। उस समय मनुष्य जंगली पशुओं की तरह पहाड़

की खोहों और जंगलों में निवास करता था। धीरे-धीरे उसकी बुद्धि और आवश्यकतायें बढ़ती गईं और वह उन्नति करता गया। इसी के साथ-साथ समाज का भी विकास होता गया। वर्तमान समाज विश्व-समाज कहलाता है। वैज्ञानिक उन्नति के कारण आवागमन की सुविधायें सभी देशों को प्राप्त हैं। इसलिये सभी देश एक दूसरे से लाभ उठाते हैं। समाज का विकास धीरे-धीरे उसी प्रकार हुआ है जैसे शरीर के अंगों का। समाज के भी अंग हैं। व्यक्ति समाज का सर्वप्रधान अंग है। किसी समाज को समझने और सुधार करने के लिये व्यक्ति का अध्ययन करना होगा। यदि व्यक्ति शिक्षित और सुखी है तो वह समाज भी ऊँचा कहलायेगा।

समाज से व्यक्ति को अनेक लाभ होते हैं। जिन-जिन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं उनमें एक प्रतिशत चीज़ें भी हमारी बनाई नहीं हैं। इसलिये समाज के प्रति हमें अत्यन्त कृतज्ञ होना चाहिये। परन्तु ज़बानी कृतज्ञता से काम नहीं चल सकता। हमें समाज के लिये कुछ ठोस और सार्वजनिक काम करने चाहिये, ताकि दूसरे लोग उनसे फ़ायदा उठायें। दीन दुखियों की सेवा के लिये कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिये। अपने ही स्वार्थ में जीवन व्यतीत कर देना ठीक नहीं है। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा समाज को भी देना चाहिये। जिस समाज में हम रहें उसके नियमों को मानकर चलें। कोई भी ऐसा काम न करें जिससे दूसरों को हानि पहुँचे। ठोस और उन्नतिशील समाज तभी बनेगा जब व्यक्ति अपने सामाजिक कर्तव्यों का पालन करेगा।

प्रश्न

१—'समाज' शब्द से आप क्या तात्पर्य समझते हैं? इसके विभिन्न अंग कौन-कौन से हैं और उनका आपस में क्या सम्बन्ध है?

(What do you understand by the term "Society"? What are its elements and how are they related to one another?)

२—समाज की उत्पत्ति और विकास का सूक्ष्म वर्णन कीजिये।

(Describe briefly the origin and development of society.)

३—वर्तमान और प्राचीन समाज में क्या भेद है? इन दोनों में आप किसको क्यों अच्छा समझते हैं?

(What is the difference between ancient and modern society? Which is better in your opinion and why?)

४—व्यक्ति का समाज से क्या सम्बन्ध है?

(What is the relation of an individual to society?)

५—समाज के प्रति व्यक्ति के क्या-क्या कर्तव्य हैं?

(What are the duties of an individual towards the society?)

अध्याय ५

राज्य की उत्पत्ति और उसके भेद

प्रकृति की बनाई हुई चीज़ों को उत्पत्ति को हम नहीं जान सकते। हवा, पानी, नदी, पहाड़, जगल इत्यादि चीज़ें कब, और कहाँ से उत्पन्न हुई इसका हमें कुछ भी पता नहीं। हिमालय पर्वत कितने वर्ष का पुराना है यह हम नहीं बता सकते। इसी प्रकार जीव की उत्पत्ति का भी हमें ज्ञान नहीं है। मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि जोवों में किसकी उत्पत्ति पहिले हुई यह भी हमें मालूम नहीं है। इनकी उत्पत्ति का समय भी हम नहीं जानते। यदि हमसे कोई पूछे कि पहले मुर्गी हुई या मुर्गी का अंडा तो इसका भी जवाब हम नहीं दे सकते। तात्पर्य यह है कि संसार में चर और अचर किसी भी वस्तु की उत्पत्ति जानना सर्वथा असम्भव है। परन्तु जो वस्तु मनुष्य की बनाई हुई है उसकी उत्पत्ति को हम जान सकते हैं। राज्य की उत्पत्ति मनुष्य द्वारा हुई है इसलिये इसकी उत्पत्ति और विकास इन दोनों का पता हम लगा सकते हैं।

राज्य और सरकार

राज्य उस स्थान को कहते हैं जिसकी एक निश्चित सीमा हो, उसके अन्दर कुछ व्यक्ति निवास करते हों, इनका कोई स्वतंत्र राजनैतिक संगठन हो और उनके अन्दर सहयोग की भावना अर्थात्

राष्ट्रीयता हो। सहारा रेगिस्तान की सीमा है परन्तु न तो वहाँ अधिकतर लोग निवास करते हैं और न उनके अन्दर कोई राजनैतिक संगठन है इसलिये उस रेगिस्तान को हम राज्य नहीं कह सकते। ब्रिटेन एक राज्य है क्योंकि उसकी एक निश्चित सीमा है, उसमें लगभग साढ़े तीन करोड़ व्यक्ति निवास करते हैं, उनका एक राजनैतिक संगठन है और उनके अन्दर राष्ट्रीयता भी मौजूद है। इसी तरह जर्मनी, जापान, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, इटली, स्पेन, रूस आदि अनेक राज्य हैं। छोटे और बड़े कुल मिला कर संसार में ६३ राज्य हैं। हिन्दोस्तान राज्य नहीं है। इसकी एक निश्चित सीमा, जनसंख्या, राजनैतिक संगठन तथा राष्ट्रीय भावना सब होते हुए भी इसमें एक चीज़ की कमी है। चूँकि यह देश गुलाम है इसलिये इसे राज्य नहीं कहा जा सकता। राज्य वही है जो किसी प्रकार से किसी दूसरे देश का गुलाम न हो। जिस समय यह देश स्वतंत्र हो जायेगा उस समय यह राज्य कहलाने का अधिकारी हो सकेगा।

राज्य और सरकार में भेद होता है। दोनों एक ही चीज़ नहीं हैं। ब्रिटेन एक राज्य है। परन्तु ब्रिटेन कोई सरकार नहीं है। सरकार राज्य की एक मशीन है। इसे राजनैतिक संगठन भी कहते हैं। प्रत्येक राज्य की एक सरकार होती है। बिना सरकार के कोई राज्य उत्पन्न नहीं हो सकता। राज्य और सरकार दोनों की उत्पत्ति साथ-साथ होती है। राज्य के बिना सरकार और सरकार के बिना राज्य का जन्म असम्भव है। जैसी अच्छी या बुरी सरकार होती है वैसा ही अच्छा या बुरा राज्य होता है। सरकार के ही गुण अवगुण राज्य के गुण दोष कहलाते हैं। सरकार बदलती रहती है

परन्तु राज्य ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। राज्य छोटा बड़ा हो सकता है परन्तु सरकार छोटी बड़ी नहीं होती। चीन और रूस संसार में सब से बड़े राज्य कहलाते हैं। स्विटज़रलैंड, हालैंड और बेल्जियम सबसे छोटे राज्यों में गिने जाते हैं। परन्तु इन सब देशों की सरकारें एक समान सुदृढ़ और सुसंगठित हैं। सरकार के कमज़ोर होते ही राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। राज्य की प्रतिष्ठा सरकार के ऊपर निर्भर है।

राज्य की उत्पत्ति

राज्य को उत्पन्न हुए इतनी शताब्दियाँ गुज़र गईं कि इसके समय का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। इतिहास भी इस बात को नहीं बताता कि राज्य की उत्पत्ति कब और कहाँ हुई थी। कौन सा राज्य सबसे पुराना है यह भी हम नहीं बतला सकते। राज्य के स्वरूप को देखते हुए यह पता चलता है कि इसका सम्पूर्ण ढाँचा केवल एक या दो दिन में नहीं बना है। कई सौ वर्षों में धीरे-धीरे इसका विकास हुआ है। जिस तरह शरीर धीरे-धीरे विकसित होता है उसी तरह राज्य भी धीरे-धीरे विकसित हुआ है। पौधा पहले छोटा होता है परन्तु कुछ वर्षों में बढ़ते-बढ़ते वह एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। कैलिफ़ोर्निया में एक ऐसा पेड़ है जो ५००० वर्ष पुराना कहा जाता है। इसकी ऊँचाई २७४ फ़ीट के लगभग है। परन्तु किसी न किसी समय यह भी नन्हा सा पौधा रहा होगा। राज्य भी कभी न कभी एक छोटे आकार में किसी विचित्र शकल में उत्पन्न हुआ होगा। उसी से बढ़ते-बढ़ते आज संसार में अनेक राज्य विभिन्न शकलों में दिखाई पड़ते हैं। इसलिये राज्य की उत्पत्ति से बढ़ कर इसके विकास

का महत्व है। यह विकास मनुष्य की सभ्यता के इतिहास से मिला हुआ है।

आरम्भ में मनुष्य जंगली जानवरों की तरह घने जंगलों और पहाड़ की गुफ़ाओं में रहता था। जिस प्रकार जंगली जानवरों के झुंड के झुंड एक स्थान पर रहते हैं उसी तरह मनुष्य भी अपना गिरोह बनाकर रहा करता था। ईश्वर ने मनुष्य में विचार करने की एक अद्भुत शक्ति दी है। इसी शक्ति की सहायता से मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक उन्नति कर सका है। जंगली अवस्था में बहुत दिन रहने के पश्चात् उसे उन्नति करने की इच्छा हुई। अपने सुख और सुविधा के लिये अलग-अलग गिरोहों ने जंगलों को साफ़ किया और जंगली जानवरों को पालना आरम्भ किया। इतिहास से पता चलता है कि चूहे और बिल्ली सबसे पहले पाले गये। धीरे-धीरे गाय, बैल, भैंस, कुत्ते, चिड़ियाएँ आदि जीव पालतू बना लिये गये। पहले इन जानवरों को मार कर मनुष्य अपनी भूख शान्त करता था, परन्तु जब उसकी विचार शक्ति कुछ और बढ़ी तो उसने इनके दूध आदि का प्रयोग आरम्भ किया।

जंगली अवस्था से निकल कर मनुष्य ने खेती आरम्भ की। जंगल काट कर खेत बना लिये गये। खेती में जंगली जानवरों का उपयोग किया गया। झुंड के झुंड मनुष्य सामूहिक रूप से खेती (Collective Farming) करने लगे। आज कल की तरह अलग-अलग कुटुम्ब न थे। सब लोग मिल-जुल कर खेती करते थे और उपज को आपस में बाँट लेते थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियाँ घर की रखवाली, बच्चों की देख-रेख तथा पालतू जानवरों

के खाने-पीने का प्रबन्ध करती थीं। कार्य की सुविधा के लिये सबके काम अलग-अलग बँटे हुए थे। आजकल की तरह शिक्षा न होने से उनमें लड़ाई झगड़े अधिक होते रहते थे। मनुष्यों का जो झुण्ड बलवान होता वह कमज़ोर झुण्ड को जीत कर उसके खेतों तथा पशुओं पर अपना अधिकार कर लेता था। कमज़ोर झुण्ड को गुलाम बना लिया जाता था और उनसे खेती में मज़दूरों का काम लिया जाता था। इसीलिये कहते हैं कि गुलामी प्रथा का जन्म कृषि-काल में हुआ था।

सामूहिक जीवन में मनुष्य को अनेक कठिनाइयाँ महसूस हुईं। आपसी झगड़ों का निपटारा करने का कोई उचित प्रबन्ध न था। इस कठिनाई को दूर करने के लिये प्रत्येक गिरोह ने अपना एक नेता या मुखिया चुन लिया। इसे यह अधिकार दिया गया कि वह झगड़ों का फ़ैसला करे और अपराधियों को उचित दण्ड दे। प्रत्येक गिरोह की एक सामूहिक सम्पत्ति थी। दो चार मील की लम्बाई चौड़ाई में उसके खेत फैले होते थे। यही सामूहिक गिरोह ग्राम कहलाने लगा। गिरोह का नेता गाँव का मुखिया कहलाया। अलग-अलग गिरोह अलग-अलग गाँव के रूप में बस गये। वर्षों सामूहिक जीवन व्यतीत करने के बाद प्रत्येक गिरोह अलग-अलग कुटुम्बों में विभाजित हो गया। अनुभव से मनुष्य को यह पता चला कि कौटुम्बिक जीवन में अधिक सुख और शान्ति रह सकती है। गाँवों का सामूहिक जीवन तोड़ दिया गया और उनमें वर्तमान कौटुम्बिक प्रथा की नीव पड़ी। प्रत्येक गाँव में सैकड़ों कुटुम्ब हो गये। हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि कौटुम्बिक जीवन का यह विकास कई शताब्दियों

में धीरे-धीरे हुआ। प्रत्येक गाँव की एक पंचायत और एक मुखिया होता था। पंचायत की मदद से मुखिया गाँव का प्रबन्ध करता था। सभी तरह के झगड़े पंचायत में तै किये जाते थे। चूँकि पंचायत में गाँव के सबसे नेक और अनुभवी ५ या ७ व्यक्ति होते थे, इसलिये लोग खुशी-खुशी इनकी बातें मान लेते थे। मुखिया को फाँसी तक देने का अधिकार होता था।

पंचायत से ही राज्य अथवा सरकार की उत्पत्ति मानी जाती है। प्रारम्भिक राज्य पंचायती राज्य था और गाँव इसकी सीमा थी। जब लोगों को अपने राज्य का विस्तार बढ़ाने की इच्छा हुई तो कई गाँव एक ही राज्य में शामिल कर लिये गये। विजय की इच्छा ज्यों-ज्यों बढ़ती गई त्यों-त्यों नये-नये राज्य भी स्थापित होते गये। भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल उनकी विभिन्न सरकारें हुईं। यही वजह है कि आज संसार में अनेक छोटे-बड़े राज्य दिखाई पड़ते हैं और इनकी सरकारें भी विभिन्न प्रकार की हैं। राज्य से ही विजय की प्यास शान्त न हुई। कई राज्यों पर विजय प्राप्त करके कितने ही साम्राज्य स्थापित किये गये। वर्तमान समय में जो युद्ध चल रहा है वह इसी साम्राज्य स्थापना के लिये है। जर्मनी, जापान, बृटेन, इटली आदि शक्तिशाली देश अपने-अपने साम्राज्य के लिये संसार को अशान्त बनाये हुए हैं।

राज्य के भेद

राज्य और सरकार के भेद से कोई अन्तर नहीं होता। सरकार से अलग राज्य की क़िस्में नहीं हो सकतीं। किसी देश के सरकारी संगठन को देखकर हम कह सकते हैं कि यह राज्य अमुक प्रकार का है। सरकार के ही आधार पर राज्य के भेद किये जाते हैं।

साधारण तौर से राज्य दो प्रकार के होते हैं :—

१—एकतंत्र राज्य (Monarchical State).

२—प्रजातंत्र राज्य (Democratic State).

एकतंत्र राज्य उस राज्य को कहते हैं जिसमें एक ही राजा राज्य करता है। यदि वह राजा नेक है और हर तरह से प्रजा की भलाई का ध्यान रखता है तो वह एकतंत्र राज्य अच्छा कहलायेगा। इससे प्रजा की उन्नति होगी और देश में सब प्रकार से शान्ति रहेगी। परन्तु यदि राजा स्वेच्छाचारी है, वह प्रजा की भलाई का ध्यान नहीं रखता और अपने सुख और आनन्द के लिये प्रजा पर नाना प्रकार का अत्याचार करता है तो ऐसा एकतंत्र राज्य बहुत ही निन्दनीय कहलायेगा। प्राचीन काल में हमारे देश में जो छोटे-छोटे एकतंत्र राज्य स्थापित किये गये थे वे सब प्रजा के हितैषी थे। यूनान देश में जो एकतंत्र राज्य वर्णन किये गये हैं वे अत्याचारी और प्रजा को दुख देने वाले थे। वर्तमान समय में लोकमत एकतंत्र राज्य के पक्ष में नहीं है। लोगों के अन्दर स्वतंत्रता और समानता की भावना इतनी अधिक जागृत होगई है कि वे स्वयं अपना राज्य करना चाहते हैं। उन्हें किसी राजा की आवश्यकता नहीं है। पुरानी परिपाटी के अनुसार जिन-जिन देशों में अभी तक राजा की प्रथा है वहाँ भी राजा को नाममात्र के अधिकार दिये गये हैं।

प्रजातंत्र राज्य उस राज्य को कहते हैं जिसमें प्रजा स्वयं अपना शासन करती है। प्रजा की इच्छानुसार सरकारी कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं। उसी की मर्ज़ी से उसपर सरकारी टैक्स लगाया जाता है। प्रजा की इच्छा के विरुद्ध प्रजातंत्र राज्य में कोई भी काम नहीं किया जाता। क़ानूनों को प्रजा स्वयं बनाती है। यदि ग़ौर किया जाय तो

सच्चा प्रजातंत्र राज्य संसार में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। यूनान के प्रसिद्ध विद्वान अफ़लातून का कहना है कि इस पृथ्वी पर सच्चे प्रजा-तंत्र राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। फिर भी किसी न किसी शकल में मनुष्य अपना शासन अपने आप कर सकता है। प्रजातंत्र राज्य आज दिखाई तो पड़ते हैं लेकिन उनके अन्दर अनेक कमज़ोरियाँ हैं। वह सभ्यता सबसे ऊँची कहलायेगी जिसमें प्रत्येक मनुष्य अपना शासन स्वयं करेगा। उसे किसी बाहरी दबाव की आवश्यकता न रहेगी। इङ्गलैंड, फ्रांस, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और रूस प्रजातंत्र राज्य हैं। इन सब में स्विट्ज़रलैंड का प्रजातंत्र पूर्ण कहलाता है। छोटा देश होने के कारण सम्पूर्ण जनता सभी सरकारी मामलों में सीधे अपनी राय देती है।

सारांश

राज्य की उत्पत्ति का ठीक-ठीक समय और स्थान नहीं जाना जा सकता। इसकी उत्पत्ति एक या दो दिन में नहीं हुई थी। मनुष्य के शरीर तथा वृक्ष की तरह इसका क्रमशः विकास हुआ है। यह विकास कई शताब्दियों में हुआ है। पहले मनुष्य जंगलों तथा पर्वतों की गुफ़ाओं में जंगली जानवरों की तरह अपना झुंड बना कर रहता था। ज्यों-ज्यों उसकी विचार शक्ति बढ़ती गई त्यों-त्यों उसका जीवन बदलता गया। जंगली अवस्था से बढ़कर उसने जीवों को पाला और खेती आरम्भ की। झुंड के झुंड मनुष्य गाँव की शकल में रहने लगे। आरम्भ में इनका जीवन सामूहिक था। इसमें मनुष्य को बहुत सी असुविधाएँ दिखाई पड़ीं। इसलिये अलग-अलग कुटुम्ब का निर्माण किया गया। गाँव का शासन पंचायत द्वारा होता था। गाँव के सबसे नेक और अनुभवी ५ या ७ व्यक्ति पंच चुन लिये जाते थे। यही पंचायत हर तरह से गाँव का प्रबन्ध करती थी। गाँव का मुखिया पंचायत की

सलाह से झगड़ों का निपटारा करता और अपराधियों को दंड देता था। उसे फाँसी तक देने का अधिकार था। इसी पंचायत से राज्य अथवा सरकार की उत्पत्ति मानी जाती है। प्रारम्भिक राज्य पंचायती राज्य थे।

राज्य दो प्रकार के होते हैं, एकतंत्र और प्रजातंत्र। जिस राज्य में एक ही व्यक्ति शासन करता है वह एकतंत्र राज्य कहलाता है। जिस राज्य में प्रजा स्वयं अपना शासन करती है उसे प्रजातंत्र राज्य कहते हैं। वर्तमान युग प्रजातंत्र राज्य के पक्ष में है।

प्रश्न

१—सरकार और राज्य में क्या अन्तर है? उदाहरण देकर समझाइये।

(What is the difference between state and government? Prove it by giving concrete examples.)

२—राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? सामाजिक उन्नति की विभिन्न श्रेणियों द्वारा इसे समझाइये।

(Trace the origin of state showing clearly the different stages of our social development?)

३—सरकार, शरीर और वृक्ष—इनके विकास की तुलना कीजिये। सिद्ध कीजिये कि इनके विकास का सिद्धान्त एक है।

(Compare state, body and tree. Prove that their growth has been on the same line.)

४—राज्य की कौन-कौन सी क़िस्में हैं? प्रत्येक की क्या-क्या विशेषतायें हैं?

(What are the different kinds of state and what are their chief characteristics.)

५—राज्य और सभ्यता दोनों की उत्पत्ति एक ही साथ हुई है। दोनों का विकास भी एक ही है। इसे सिद्ध कीजिये।

("State and civilization both have originated together. The development of one is the development of the other." Prove it.)

अध्याय ६

सरकार और उसके अंग

हम अक्सर सुनते हैं कि सरकार ने अमुक क़ानून पास किया है। अख़बारों में कभी तो सरकार की प्रशंसा और कभी निन्दा की जाती है। हम यह भी सुनते हैं कि अमुक देश की सरकार अच्छी और अमुक देश की बुरी है। हमारे देश में लोगों की यह आम शिकायत है कि सरकार उनकी बातों पर कम ध्यान देती है। कपड़े की तरह स्वदेशी और विदेशी सरकार भी होती है। हम यह भी सुनते हैं कि सरकार अमुक विषय पर विचार कर रही है। इन बातों से तो यही मालूम पड़ता है कि सरकार मानों एक स्त्री है। उसके भी हाथ, पाँव, आँख और कान हैं। पेरिस नगर में एक बार किसी स्त्री के लड़के को कोई सरकारी नौकरी मिल गई। दूसरे दिन उस स्त्री ने अख़बार में पढ़ा कि सरकार ने उसके लड़के को नौकरी दी है। स्त्री की ख़ुशी का वारापार न रहा। उसने टोकरी में फल लेकर लोगों से पूछना आरम्भ किया कि सरकार का घर कौन सा है ताकि वह उसे उन फलों को दे दे। लोगों ने उसे समझाया कि सरकार कोई शरीरधारी प्राणी नहीं है। तात्पर्य यह है कि हमें यह अच्छी तरह जान लेना चाहिये कि सरकार किसे कहते हैं।

सरकार

प्रत्येक राज्य में एक राजनैतिक संगठन होता है। क़ानून बनाने के लिये कोई सभा होती है। उस क़ानून की देख-रेख के लिये कुछ कर्म-

चारी होते हैं। जो लोग क़ानूनों को तोड़ते हैं उन्हें दंड देने के लिये कचहरियाँ होती हैं। प्रजा से टैक्स वसूल करने के लिये अनेक कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं। शिक्षा, सफ़ाई और स्वास्थ्य की देख-भाल के लिये हज़ारों कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं। इन सबका अलग-अलग संगठन रहता है। प्रत्येक राज्य में सफ़ाई, शिक्षा, टैक्स आदि के अनेक संगठन बने होते हैं। फिर इन सबका एक केन्द्रीय संगठन होता है। जिस प्रकार पेड़ का तना एक ही होता है लेकिन उसकी शाखायें और उपशाखायें बहुत सी रहती हैं, उसी तरह सरकार का केन्द्रीय संगठन एक होता है और उसके अन्दर अनेक छोटे-छोटे संगठन बने होते हैं। नीचे से ऊपर तक यह संगठन राजनैतिक संगठन कहलाता है। इसी राजनैतिक संगठन को एक शब्द में 'सरकार' कहते हैं। जो-जो काम इस राजनैतिक संगठन द्वारा किये जाते हैं वे सब सरकार के काम कहलाते हैं।

जब यह सरकारी संगठन कोई स्कूल खोलता है तो लोग कहते हैं कि सरकार ने एक स्कूल खोला है। जब टैक्स वाला संगठन कोई टैक्स लगाता है तो हम कहते हैं कि सरकार ने टैक्स लगाया है। जब क़ानून बनाने वाला संगठन कोई क़ानून बनाता है तो हम यही कहते हैं कि सरकार ने एक क़ानून बनाया है। जिस देश में क़ानून बनते हों, इनकी देख-रेख का उचित प्रबन्ध हो और अपराधियों को दंड देने के लिये कचहरियाँ हों तो हमें यह मान लेना होगा कि वहाँ कोई न कोई सरकार अवश्य है। इससे स्पष्ट है कि सरकार प्रजा की ही बनाई हुई एक मशीन है जो राज्य में शान्ति और उन्नति की व्यवस्था करती है।

सरकार और नागरिक

नागरिक अपनी सुविधा के लिये अपने देश में राजनैतिक संगठन या सरकार का निर्माण करते हैं। इसे सफल बनाने के लिये उन्हें सरकार के प्रति कुछ कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। सरकार को नियमित टैक्स देने पड़ते हैं। सरकारी क़ानूनों का उन्हें पालन करना पड़ता है। सरकारी कर्मचारियों की आज्ञायें माननी पड़तीं हैं। इसके बदले में सरकार के भी नागरिकों के प्रति कुछ कर्त्तव्य हैं। जो सरकार उन कर्त्तव्यों का पालन नहीं करती वह निन्दनीय और बुरी समझी जाती है। देश में शान्ति स्थापित करना, प्रजा से उचित टैक्स लेना, अच्छे-अच्छे क़ानूनों का बनाना, योग्य और अनुभवी कर्मचारियों को नियुक्त करना तथा प्रजा से लिये हुए धन का उचित उपयोग करना सरकार के मुख्य कर्त्तव्य हैं। सरकार और नागरिक का सम्बन्ध माली और बगीचे की तरह है। जिस प्रकार माली बगीचे को हरा-भरा रखता है और उससे उतना ही फूल तोड़ता है जिससे बगीचे की शोभा नष्ट न होने पाये, उसी तरह सरकार को भी प्रजा को सुखी और प्रसन्न रखना चाहिये। जिस देश की प्रजा दुखी और असन्तुष्ट होती है वहाँ की सरकार अच्छी नहीं कहलाती।

सरकार के अंग

शरीर को स्वस्थ तथा विचारशक्ति को ठीक रखने के लिये ईश्वर ने हमारे शरीर में कई अंग बनाया है। इन सबके अलग-अलग काम हैं। हाथ काम करता है, मुंह खाता है, नाक सूँघती है, आँख देखती है, कान सुनता है, पैर चलता है और मस्तिष्क विचार करता है। यह संगठन इतनी बुद्धिमानी से किया गया है कि इनमें

कभी कोई मतभेद नहीं होता। पैर वहीं ले जाता है जहाँ मनुष्य की इच्छा होती है। शरीर के सब अंग मन के अनुकूल ही कार्य करते हैं। ठीक इसी तरह सरकार के भी कई अंग होते हैं। कारण यह है कि सरकार की जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है। देश की उन्नति से सम्बन्ध रखनेवाले छोटे और बड़े सभी काम उसे करने पड़ते हैं। इसीलिये इसके कार्य कई विभागों या अंगों में बँटे हुए हैं। शरीर के अंगों की तरह इनमें भी एक घनिष्ट सम्बन्ध है। एक अंग अथवा विभाग दूसरे से सर्वथा अलग नहीं है। इन्हीं अंगों को सरकारी विभाग कहते हैं। सरकार के तीन विभाग होते हैं:—

१—व्यवस्थापिका सभा (Legislative Department).

२—कार्यकारिणी विभाग (Executive Department).

३—न्याय विभाग (Judicial Department).

व्यवस्थापिका सभा

सरकार का जो विभाग क़ानून बनाता है उसे व्यवस्थापिका सभा कहते हैं। इसका दूसरा नाम धारा सभा भी है। राज्य के सभी क़ानून इसी सभा द्वारा बनाये जाते हैं। सभी प्रजातंत्र राज्यों में क़ानून बनाने के लिये कुछ व्यक्तियों की एक सभा होती है। योग्य और शिक्षित व्यक्ति इस सभा में आते हैं। प्रजा इन्हें चुनकर भेजती है। इसीलिये इन्हें प्रतिनिधि (Representative) कहा जाता है। ये प्रतिनिधि प्रजा की आवश्यकताओं को समझते हैं और उन्हीं की पूर्ति के लिये क़ानून बनाते हैं। प्रजा से जो कर वसूल किया जाता है उसके खर्च की ज़िम्मेवारी इसी विभाग को दी जाती है। कुछ देशों में दो धारा सभायें होती हैं। एक को

बड़ी सभा (Upper Chamber) और दूसरी को छोटी सभा (Lower Chamber) कहते हैं। दो सभायें इसलिये बना दी जाती हैं कि प्रत्येक क़ानून पर दोनों में बारी-बारी से हर पहलू से विचार कर लिया जाय। क़ानून एक ऐसी चीज़ है जिसका सम्बन्ध राज्य के प्रत्येक व्यक्ति से होता है। इसमें थोड़ी भी कमी रहने से प्रजा के हित में बाधायें पड़ सकती हैं। इसीलिये छोटी और बड़ी दो व्यवस्थापिका सभायें बनाई जाती हैं कि क़ानून में किसी तरह की कमी न रहने पाये। दोनों धारा सभायें प्रत्येक क़ानून पर बारी-बारी से विचार करती हैं। जब क़ानून दोनों धारा सभाओं द्वारा पास हो जाता है तभी वह पूरी तरह पास समझा जाता है और राज्य में उसे लागू किया जाता है। दो धारा सभाओं से क़ानून बनने में किसी तरह की जल्दीबाज़ी नहीं की जा सकती और सभी वर्गों के हितों की रक्षा होती है।

व्यवस्थापिका सभा सरकार के तीनों अंगों में प्रधान कही जाती है। कार्यकारिणी विभाग इसी के बनाये हुए क़ानूनों की देख-रेख करता है। न्याय विभाग अपराधियों को इसी के नियमों द्वारा दंड देता है। तात्पर्य यह है कि सरकार के अन्य विभाग धारा सभा पर ही निर्भर रहते हैं। यदि कार्यकारिणी विभाग का कोई कर्मचारी अनुचित कार्य करे तो धारा सभा उसका वेतन कम कर सकती है। इसी तरह न्याय-विभाग के कर्मचारी भी व्यवस्थापिका सभा से अपने को स्वतंत्र नहीं समझते। यही वजह है कि धारा सभा को बहुत ही सोच विचार कर क़ानून बनाने चाहिये। यह तभी सम्भव है जब योग्य और शिक्षित व्यक्ति धारा सभाओं में भेजे जायँ। नागरिकों का यह कर्त्तव्य है कि चुनाव के समय वे उन्हीं व्यक्तियों को वोट दें जो अधिक से अधिक

जनता के हित का ध्यान रखते हों। जब तक धारा सभाओं में योग्य और हितैषी व्यक्ति न जायेंगे तब तक राज्य की उन्नति नहीं हो सकती। लोकहित की रक्षा के लिये धारा सभाओं में सच्चे जन-सेवक जाने चाहिये।

कार्यकारिणी विभाग

राज्य में जो विभाग वास्तविक शासन-प्रबन्ध करता है उसे कार्यकारिणी विभाग कहते हैं। धारा सभायें क़ानून बना कर अलग हो जाती हैं। उन्हें पालन कराने का भार कार्यकारिणी विभाग को सौंप दिया जाता है। पुलीस, कलेक्टर, कमिश्नर, डाक्टर, इंजीनियर आदि कार्यकारिणी विभाग के कर्मचारी कहलाते हैं। इनका कर्त्तव्य है कि वे इस बात की देख-रेख रक्खें कि राज्य के सभी निवासी सरकारी क़ानूनों का पालन करते रहें। जो लोग इन क़ानूनों को तोड़ते हैं उन्हें गिरफ़्तार कर इस विभाग के कर्मचारी न्याय विभाग के सामने पेश करते हैं। सरकार का गुप्तचर विभाग कार्यकारिणी विभाग के अन्दर गिना जाता है। यद्यपि यह विभाग क़ानून बनाने का अधिकारी नहीं है और न अपनी इच्छा से प्रजा से एक पैसा वसूल कर सकता है फिर भी इसकी ज़िम्मेवारी कम नहीं होती। प्रजा के घनिष्ट सम्पर्क में आने का अवसर इसी विभाग के कर्मचारियों को प्राप्त होता है। यदि ये नेक और ईमानदार हैं और नागरिकों के साथ सज्जनता का व्यवहार करते हैं तो राज्य में अधिक से अधिक प्रसन्नता रह सकती है। इसके विपरीत यदि कार्यकारिणी विभाग के कर्मचारी लोभी और निर्दयी हैं तो वे प्रजा पर नाना प्रकार के अत्याचार करेंगे, घूस लेंगे और निरपराध व्यक्तियों पर मुक़दमें चलायेंगे। इसीलिये कार्य-

कारिणी विभाग बहुत ही सुसंगठित और पवित्र होना चाहिये। इस विभाग के कर्मचारियों पर पूरा-पूरा नियंत्रण होना चाहिये जिससे वे प्रजा पर अत्याचार न कर सकें। इन्हें वेतन भी उचित मिलना चाहिये ताकि प्रजा से अनुचित ढंग से इन्हें पैसे लेने की आवश्यकता न हो।

न्याय विभाग

जिस राज्य में न्याय नहीं किया जाता वहाँ प्रजा असन्तुष्ट रहती है। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह उचित अनुचित का ध्यान रक्खे। जो व्यक्ति अपने कर्त्तव्यों का पालन न करे उसे उचित दण्ड देना ही न्याय है। न्याय विभाग अपराधियों को दण्ड देता है। कार्यकारिणी विभाग के कर्मचारी अपराधियों को कचहरियों में पेश करते हैं। न्याय विभाग के कर्मचारी इस बात का फ़ैसला करते हैं कि किस अपराधी को कितना दण्ड मिलना चाहिये। यदि राज्य में अपराधियों को दण्ड न दिया जाय तो शान्ति क़ायम नहीं रह सकती। दण्ड देने के लिये न्याय विभाग के कर्मचारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिये। जजों के ऊपर किसी भी तरह का बेजा दबाव नहीं पड़ना चाहिये। न्याय करते समय उन्हें नीच-ऊँच और छोटे-बड़े का फ़रक नहीं करना चाहिये। बड़ा से बड़ा सरकारी अफ़सर कोई अपराध करे तो उसे भी अन्य अपराधियों की तरह दण्ड मिलना चाहिये। वह सरकार सबसे प्रशंसनीय समझी जाती है जो अधिक से अधिक न्याय करती है। कचहरियों में अनुभवी जज होने चाहिये ताकि वे अपराधों की तह पेच को अच्छी तरह समझ सकें।

कुछ लोगों का विचार है कि क्यों नहीं सरकार अपराधियों को माफ़ कर देती है। उन्हें जेलों में बन्द रखने की क्या आवश्यकता

है। अच्छा होता कि उन्हें समझा बुझा कर छोड़ दिया जाता। ऐसा करना कोई बुरा नहीं है लेकिन इससे अपराधियों की संख्या और बढ़ेगी। जब लोग समझेंगे कि उन्हें किसी प्रकार का दण्ड नहीं मिलेगा तो वे मनमाना एक दूसरे की चीज़ें छीन लेंगे और जिसे चाहेंगे मार बैठेंगे। दण्ड के भय के कारण लोग अपराध करने से डरते हैं। जब हम किसी चोर को जेल में सड़ते देखते हैं तो हमें चोरी से भय होता है। इसके अतिरिक्त दण्ड से अपराधियों को लाभ भी होता है। दण्ड अपराधी को परेशान करने के लिये नहीं दिया जाता। इसका उद्देश्य अपराधी का सुधार करना है। जब अपराध करनेवाले को उचित दण्ड मिलता है तो वह आगे के लिये सचेत हो जाता है। न्याय विभाग को चेतावनी और सुधार इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए अपराधियों को दण्ड देना चाहिये।

सारांश

प्रत्येक देश में एक राजनैतिक संगठन होता है। इसी का नाम सरकार है। प्रजा के हित का ध्यान रखते हुए सरकार क़ानून बनाती है, टैक्स लगाती है तथा अपराधियों को दण्ड देती है। राज्य को संगठित और उन्नतिशील बनाने के लिये सरकार को अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। इसी की सुविधा के लिये उसने अपने कार्यों को तीन विभागों में बाँट रक्खा है। ये तीनों विभाग सरकार के तीन अंग कहलाते हैं। जैसे शरीर में हाथ, पैर, नाक, कान, मुँह आदि अनेक अंग होते हैं और इनका अलग-अलग काम है वैसे ही सरकार के तीनों अंगों को भी अलग-अलग काम दिये गये हैं। शरीर के अंगों को एक दूसरे से अलग तो बनाया गया है परन्तु इनमें एक घनिष्ट सम्बन्ध है। हाथ वही काम करता है जिसे मन चाहता है। पैर वहीं ले जाता

है जहाँ मनुष्य की इच्छा होती है। ठीक इसी तरह सरकार के तीनों विभाग एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं। यदि ऐसा न हो तो सरकार का काम एक दिन भी नहीं चल सकता। सरकार के ये विभाग निम्नलिखित हैं :—

१—व्यवस्थापिका सभा (Legislative Department).

२—कार्यकारिणी विभाग (Executive Department).

३—न्याय विभाग (Judicial Department).

सरकार का जो विभाग क़ानून बनाता है उसे व्यवस्थापिका सभा कहते हैं। राज्य में सभी क़ानून इसी सभा द्वारा बनाये जाते हैं। कुछ देशों में छोटी और बड़ी दो धारा सभायें होती हैं। चूँकि क़ानून एक ऐसी चीज़ है जिसका सम्बन्ध सम्पूर्ण प्रजा से है इसलिये इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिये। इसीलिये इस पर विचार करने के लिये दो सभायें बनाई जाती हैं। कार्यकारिणी विभाग का कार्य क़ानूनों की देख-रेख करना है। इसी विभाग के कर्मचारी जनता के सीधे सम्पर्क में आते हैं। अतएव इनके ऊपर कड़ा नियन्त्रण होना चाहिये ताकि वे प्रजा पर अत्याचार न कर सकें। कार्यकारिणी विभाग के कर्मचारी अपराधियों को न्याय विभाग के सामने पेश करते हैं। जो विभाग अपराधियों को दण्ड देता है वह न्याय विभाग कहलाता है। जजों को निष्पक्ष और स्वतन्त्र भाव से दण्ड देना चाहिये। दण्ड देते समय नीच-ऊँच, छोटे-बड़े तथा अमीर ग़रीब का भेद भाव नहीं होना चाहिये।

प्रश्न

१—सरकार क्या चीज़ है? एक अच्छी और बुरी सरकार में क्या अन्तर है?

(What is meant by Government ? How do you differentiate between a good and a bad government ?

२—नागरिक और सरकार दोनों के कर्तव्य एक दूसरे के प्रति निर्धारित किये गये हैं। इसे समझाइये।

("Every citizen has certain duties towards the government and every government has certain duties towards its citizens." Explain it.)

३—वर्तमान राज्यों में धारा सभाओं के कर्तव्य और अधिकारों का वर्णन कीजिये (मध्य प्रान्त १९३८ ई०)।

(What are the duties and powers of legislative bodies in modern states ?) (C. P. 1938)

४—सरकार के विभिन्न अंगों के कर्तव्यों का वर्णन कीजिये। इनके सम्बन्ध को भी दिखलाइये।

(Explain briefly the functions of the different organs of government and show their inter-relations.)

५—सरकार का सबसे आवश्यक अंग कौन सा है ? इसका संगठन कैसे किया गया है ?

(Which is the most important organ of government and why ? How is it constituted ?)

अध्याय ७

व्यक्ति और सरकार

राज्य की स्थापना व्यक्ति के लाभ के लिये की गई है। आरम्भ में मनुष्य का जीवन संगठित न था। वह अपनी इच्छानुसार जो चाहता करता और जहाँ चाहता जाता था। देखने से यही मालूम पड़ता है कि यह स्वतन्त्रता पूर्ण थी और व्यक्ति किसी प्रकार के बन्धन में नहीं था। लेकिन उस स्वतन्त्रता से क्या लाभ जिसमें मनुष्य का जीवन जंगली पशुओं की तरह व्यतीत हो। आज भी कुत्ते और भेड़िये सभी प्रकार स्वतंत्र हैं। वे जिसे चाहें काट सकते हैं। इसी प्रकार की स्वतंत्रता यदि मनुष्य को दे दी जाय तो वह भी एक दूसरे को हानि पहुँचा सकता है। बलवान कमज़ोरों की सम्पत्ति छीन लेगा और उन्हें नाना प्रकार के कष्ट देगा। पानी में मछलियाँ एक दूसरे को खा जाने के लिए हर तरह स्वतन्त्र हैं। मानव-समाज की यह विशेषता है कि उसने इस जंगली स्वतन्त्रता को दूर कर एक ऐसा संगठन बनाया है जिसमें कमज़ोर को कोई दबा नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीमा के अन्दर रह कर कार्य करता है। सभी काम उचित और सभ्य तरीके से किए जाते हैं। इस आदर्श और उपयोगी स्वतन्त्रता की स्थापना सरकार की उत्पत्ति के साथ ही हुई है। पिछले अध्याय में यह वर्णन किया गया है कि सरकार किसे कहते हैं और वह किस प्रकार अपना कार्य करती है।

नागरिक की उन्नति

राज्य में नागरिक और अनागरिक दोनों रहते हैं। सरकार अपना कार्य इस ढंग से करती है कि सब को उन्नति करने का समान अवसर मिले। विदेशियों के प्रति सरकार की ज़िम्मेवारी उतनी अधिक नहीं होती जितनी राज्य के नागरिकों के प्रति। नागरिक की उन्नति के लिए सरकार स्कूल तथा कालेज आदि खोलती है। राज्य में व्यवसाय की उन्नति करती है ताकि लोगों को काम मिले और उनकी आर्थिक दशा अच्छी रहे। आमोद-प्रमोद के तरह-तरह के कार्य सरकार की ओर से समय-समय पर इसीलिये किए जाते हैं कि व्यक्ति प्रसन्न और उत्साहित होता रहे। विदेशों में जाने के लिए सरकार नागरिकों को तरह-तरह की सुविधायें देती है। इससे नागरिक देश-देशान्तरों में जाकर नए-नए गुणों को सीखकर अपने देश में उनका प्रचार करते हैं। थोड़ा-थोड़ा टैक्स लेकर सरकार एक बहुत बड़ी रक़म इकट्ठी करती हैं। यदि यह धन प्रत्येक व्यक्ति के पास छोड़ दिया जाता तो वह उससे कोई बड़ा काम नहीं कर पाता। लेकिन सरकार इस लम्बी रक़म से ऐसे-ऐसे काम करती है जिससे छोटे-बड़े सब को लाभ पहुँचते हैं। रेल, तार, डाक, सड़कें, पुल, अस्पताल, विश्वविद्यालय, शासन प्रबन्ध, सेना, पुलीस आदि काम इसी रक़म से किए जाते हैं। बड़े-बड़े कारख़ाने खोलकर सरकार नागरिकों को कला और विज्ञान की शिक्षा देती है। इन्हीं सब कार्यों से नागरिक की सभी प्रकार से उन्नति होती है।

सरकार की ज़िम्मेवारियाँ

सरकार का काम केवल क़ानून बनाना और टैक्स वसूल करना

नहीं है। उसके ऊपर प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति की ज़िम्मेवारी रक्खी गई है। राज्य की भौगोलिक परिस्थिति और सामाजिक दशा का ध्यान रखते हुए सरकार को ऐसे काम करने पड़ते हैं जिससे देश में सभी प्रकार की शान्ति रहे। लोगों में एकता और समानता का भाव लाने के लिए उसे अच्छे से अच्छे क़ानून बनाने पड़ते हैं। अकाल, महामारी तथा अन्य आपत्तियों के समय उसे जनता की रक्षा और सेवा करनी पड़ती है। यदि राज्य पर कोई विदेशी आक्रमण करे तो उसे दूर करने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। देश के अन्दर व्यक्ति की उन्नति के लिए वे सारी सुविधायें इकट्ठी करनी पड़ती है जिनसे समाज की उन्नति होती है। व्यक्ति के स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए संस्थायें (Institutions) खोलनी पड़ती हैं। आवागमन की सुविधा के लिए सड़कें बनवानी पड़ती हैं। राज्य में जितनी भी अशान्ति अथवा अव्यवस्था होती है उन सब की ज़िम्मेवारी सरकार के ऊपर है।

यदि राज्य में कुछ लोग बेकार हैं, कार्य तलाश करने पर भी उन्हें काम नहीं मिलता और उनकी जीविका का कोई साधन नहीं है तो सरकार इस दोष की भागी है। यदि राज्य में शिक्षा की कमी के कारण अधिकतर व्यक्ति मूर्ख हैं और आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं तो इसकी ज़िम्मेवारी सरकार पर है। उसका यह कर्त्तव्य है कि वह स्कूल खोले और नागरिकों को उचित शिक्षा देकर उन्हें सभ्य बनाए। जर्मनी, जापान, रूस तथा इङ्गलैंड आदि देशों की सरकारों ने शिक्षा का इतना अच्छा प्रबन्ध किया है कि वहाँ एक भी अशिक्षित नहीं मिल सकता। हमारे देश की सरकार इस ज़िम्मेवारी को नहीं निबाहती।

समूचे भारतवर्ष में केवल दस प्रतिशत लोग लिखना-पढ़ना जानते हैं। गाँवों में शिक्षा तथा कारोबार की इतनी कमी है कि लोग अक्षर तक नहीं पहचान सकते। केवल खेती उनका पेशा है। इसीलिए साल के छः महीने उन्हें आधे पेट भोजन पर ही सन्तोष करना पड़ता है। कोई भी सरकार व्यक्ति की उन्नति की ज़िम्मेवारी से मुँह नहीं मोड़ सकती। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राष्ट्रीय सभी प्रकार की उन्नति करना उसका परम कर्तव्य है। इसी उद्देश्य से व्यक्ति ने अपने को सामाजिक और राजनैतिक बन्धनों में बाँध रक्खा है। इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी को निबाहने के लिए सरकार के पास साधन भी काफी मौजूद हैं। वह जितना चाहे प्रजा से टैक्स ले सकती है और बड़ी से बड़ी फ़ौज रख सकती है। लेकिन यह तभी सम्भव है जब कि प्रजा की आर्थिक दशा काफ़ी अच्छी हो ताकि सरकारी टैक्स देने में उसे कोई हिचक न हो।

व्यक्ति और सरकार का सम्बन्ध

व्यक्ति और सरकार का सम्बन्ध पुत्र और पिता की तरह है। पिता अपने पुत्र की उन्नति के लिए सब कुछ करता है। स्वयम् कष्ट उठाकर उसे सुखी रखता है। उसे गुणवान और सुचरित्र बनाने के लिए लोगों से सलाहें लेता है। कभी-कभी सुमार्ग पर लाने के लिए लड़के को दंड भी देना पड़ता है। सरकार भी नागरिकों की उन्नति का ऐसा ही ध्यान रखती है। राज्य में वह ऐसी संस्थाएँ खोलती है जिनमें जाकर नागरिक अपनी उन्नति कर सकें। अपराध करने पर सरकार उन्हें दंड भी देती हैं। कोई भी व्यक्ति राज्य में ऐसा नहीं रह सकता जो सरकारी क़ानूनों का पालन न करे। राज्य एक कुटुम्ब की तरह है।

सरकार उस कुटुम्ब की मालिक है। जैसे कुटुम्ब की मालिक स
एक नज़र से देखता है और सब की उन्नति का ध्यान रखता है
तरह सरकार भी राज्य के सभी निवासियों का ध्यान रखती है।
बड़े, अमीर-ग़रीब सब को वह एक नज़र से देखती है। वह
कर्मचारियों पर कड़ी नज़र रखती है ताकि वे किसी व्यक्ति के
अनुचित व्यवहार न करें। यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने
से एक पैसा भी बेजा तरीक़े से वसूल कर लिया तो सरकार
कड़ा दण्ड देती है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की रक्षा और उन्न
लिए वह सभी कुछ करती है।

व्यक्ति के सरकार के प्रति कर्तव्य

जब सरकार व्यक्ति की उन्नति का इतना ध्यान रखती है तो
का भी उसके प्रति कुछ कर्तव्य है। यदि वह इन कर्तव्यों का
नहीं करता तो उसकी उन्नति में बाधा पड़ेगी। अच्छी से
सरकार उसे ठीक मार्ग पर लाने में असमर्थ सिद्ध होगी। व्यक्ति
सबसे पहिला कर्त्तव्य सरकारी क़ानूनों का पालन करना है। सरक
बनाए हुए जितने भी क़ानून प्रचलित है उन सब का ठीक-ठीक
करना चाहिए। यदि कोई क़ानून व्यक्ति को हानि पहुँचाता है त
सरकार से इस बात की प्रार्थना करे कि वह क़ानून रद्द कर दिया
कोई भी देश-हितैषी सरकार तुरन्त इस प्रार्थना पर ध्यान देगी।
बार-बार प्रार्थना करने पर भी सरकार किसी बुरे क़ानून को र
करती तो व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह उचित तरीक़ों से
का विरोध करे। इसके लिए वह राज्य के अधिक से अधिक व्य
को संगठित कर सकता है। सरकार पैसे के बिना अपना कार्य

कर सकती। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपनी आमदनी का एक हिस्सा सरकार को दे। जब कभी सरकार संकट में पड़ जाय और उसे सिपाहियों की आवश्यकता हो तो प्रत्येक व्यक्ति को सिपाही बनने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अवसर पड़ने पर अपनी संचित सम्पत्ति भी सरकार को अर्पण कर देनी चाहिए।

व्यक्ति सरकार का साधन और साध्य दोनों है। उसकी उन्नति के लिये सरकार उससे सभी प्रकार का काम ले सकती है। व्यक्ति सरकार का सबसे बड़ा साधन है। उसी से सरकार को धन और जन दोनों प्रकार की सहायता मिलती है। लेकिन व्यक्ति को साधन बना कर सरकार उसकी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती। यदि कोई सरकार एक बहुत बड़ी फ़ौज बना कर अपने पड़ोसी राज्य पर हमला करे तो हम उस सरकार की प्रशंसा नहीं कर सकते। इस प्रकार व्यक्ति के ख़ून बहाने से कोई लाभ नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति के दिल में सरकार के प्रति प्रेम और सम्मान होना चाहिये। कचहरियों तथा सरकारी कर्मचारियों का आदर करना चाहिये। यदि राज्य के निवासियों को अपनी उन्नति का कोई नया मार्ग दिखाई पड़े तो वे सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकते हैं। अपनी उन्नति के लिये व्यक्ति तरह-तरह के संगठन बनाता है। सामूहिक लाभ का ध्यान रखते हुये यदि सरकार उसे तोड़ने की आज्ञा दे दे तो व्यक्ति को चुपचाप ऐसी आज्ञायें मान लेनी चाहिये।

सारांश

व्यक्ति और सरकार में एक घनिष्ट सम्बन्ध है। एक की उन्नति

दूसरे पर निर्भर है। सरकार का अन्तिम उद्देश्य व्यक्ति की भलाई और उन्नति करना है। इसके लिये वह जितना चाहे टैक्स वसूल कर सकती है और जैसा चाहे क़ानून बना सकती है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी क़ानूनों का उलंघन करता है अथवा किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुँचाता है तो सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उसे दण्ड दे। नागरिक की उन्नति के लिये सरकार सब कुछ कर सकती है। अवसर पड़ने पर वह राज्य के सभी निवासियों को फ़ौज में भर्ती कर सकती है अथवा उनकी संचित सम्पत्ति ले सकती है। कारण यह है कि सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है। व्यक्ति की उन्नति तथा रक्षा के लिये उसे बड़े से बड़े कार्य करने पड़ते हैं। जिन कामों को धनी से धनी और विद्वान से विद्वान व्यक्ति नहीं कर सकता उन्हें सरकार आसानी से कर सकती है।

जब व्यक्ति की उन्नति के लिये सरकार इतनी उपयोगी है तो उसे उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिये। जिस प्रकार कुटुम्ब के सभी व्यक्ति मालिक का आदर करते हैं और उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी कर्मचारियों का आदर और क़ानूनों का पालन करना चाहिये। यदि कोई क़ानून व्यक्ति के हित में बाधा डालता है तो उसके लिये सरकार से प्रार्थना करनी चाहिये। आवश्यकता पड़ने पर उचित तरीक़ों से व्यक्ति सरकार का विरोध भी कर सकता है। व्यक्ति और सरकार में जितना ही अच्छा सम्बन्ध रहेगा राज्य की उन्नति उतनी ही अधिक होगी। सम्पूर्ण राज-नैतिक संगठन इसीलिये बनाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीमा के अन्दर उन्नति करे। कोई किसी को दबा न सके। सरकार इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखती है कि राज्य में कोई व्यक्ति किसी के साथ अनुचित व्यवहार न करे वरन् वह दण्ड का भागी होगा।

प्रश्न

१—सरकार नागरिक की सामाजिक और आर्थिक दशा में कैसे उन्नति कर सकती है ?

(In what ways can a government improve the social and economic conditions of its citizens ?)

२—राज्य के निवासियों के प्रति सरकार के क्या-क्या कर्तव्य हैं ?

(What are the responsibilities of a government towards the inhabitants of the state ?)

३—व्यक्ति और सरकार में क्या सम्बन्ध हैं ? पहले का दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है ?

(In what ways is an individual related to its government and what are his duties towards it ?)

४—एक आदर्श सरकार में कौन-कौन सी विशेषतायें होती हैं ? क्या भारतीय सरकार आदर्श कहला सकती है ?

(What are the chief characteristics of an ideal government? Is the government in India an ideal one?)

५—किन परिस्थितियों में व्यक्ति सरकार का विरोध कर सकता है ? उसके विरोध की नीति कैसी होनी चाहिये ?

(In what circumstances is an individual entitled to oppose his government ? What should be the method of his opposition ?)

अध्याय ८

सरकार के कर्तव्य

पहिले कहा गया है कि सरकार राज्य की एक मशीन है। हम मशीन से चीज़ें पैदा करते हैं। हाथ की बनी हुई चीज़ें उतनी साफ़ और सुन्दर नहीं होतीं जितनी मशीन की। कपड़े, खिलौने, मोटर, जहाज़ आदि सभी चीज़ें मशीनों से बनाई जाती हैं। इसी तरह सरकार रूपी मशीन देश में अच्छे से अच्छा नागरिक पैदा करती है। यदि सरकार न हो तो क़ानूनों को कौन बनायेगा? देश में रक्षा का प्रबन्ध कौन करेगा? कचहरियों में झगड़ों का निपटारा कैसे होगा? इन्हीं सब बातों के लिये सरकार की आवश्यकता है। यदि कानूनों का भय न हो तो दिन-दहाड़े डाके पड़ें, बलवान कमज़ोरों को दबायें और लोग एक दूसरे की सम्पत्ति छीन लें। इन ज़रूरी कामों के अलावा हम रोज़ देखते हैं कि देश में शिक्षा, व्यवसाय, सफ़ाई और सेवा आदि तरह-तरह के कामों को सरकार करती रहती है।

व्यक्ति और सरकार के कर्तव्य

व्यक्ति और सरकार के कामों में बहुत बड़ा अन्तर है। हर आदमी अपनी शिक्षा, सफ़ाई, रक्षा, सेवा तथा उन्नति का प्रबन्ध करता है। जिसके पास जितनी शक्ति है वह उतना कम या अधिक इन्तज़ाम

करता है। अब आप कह सकते हैं कि जब हर आदमी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेता है तो सरकार को इन्हें करने की क्या आवश्यकता है। बात तो ठीक है, लेकिन हर आदमी स्कूल, अस्पताल, सड़क, सेना इत्यादि का प्रबन्ध तो नहीं कर सकता। ये काम इतने बड़े हैं कि धनी से धनी आदमी इन्हें नहीं कर सकता। सरकार की आमदनी सबसे अधिक है। वह राज्य में रहनेवाले प्रत्येक व्यक्ति से कुछ न कुछ टैक्स लेती है। इन्हीं पैसों से वह किसी भी बड़े काम को अच्छी तरह कर सकती है। इसलिये सरकार और व्यक्ति के कामों में पहला अन्तर यह है कि सरकार के काम बड़े पैमाने पर और व्यक्ति के छोटे पैमाने पर होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी भेद हैं। व्यक्ति अपने स्वास्थ की चिन्ता करता है, सरकार दूसरों की भलाई की चिन्ता करती है। व्यक्ति की शक्ति सीमित है, सरकार की शक्ति अनन्त है। व्यक्ति का दृष्टि-कोण संकुचित होता है, सरकार का दृष्टि-कोण व्यापक होता है। दोनों की शक्ति और विचारों में अन्तर होने के कारण इनके कर्तव्यों में भी अन्तर है।

सरकार के कर्तव्यों की सीमा

व्यक्ति के कर्तव्यों का पिछले अध्याय में विचार किया गया है। उससे स्पष्ट है कि कर्तव्यों का कोई अन्त नहीं है। ठीक इसी तरह सरकार के कर्तव्य भी असीम हैं। यह सरकार की शक्ति पर निर्भर है कि वह किन कर्तव्यों को पूरा करे और किन्हें छोड़ दे। एक कमज़ोर सरकार कम से कम कर्तव्यों का पालन करती है। इसका परिणाम यह होता है कि उस राज्य की जनता सर्वदा असन्तुष्ट रहती है। दूसरी बलवान सरकार उस पर अपना अधिकार भी

जमा लेती है। वह देश गुलाम हो जाता है। इसी भय से प्रत्येक देश की सरकार इस बात का प्रयत्न करती रहती है कि वह अधिक से अधिक कर्तव्यों का पालन करे। एक दृढ़ और संगठित सरकार उन सभी कर्तव्यों का पालन करती है जिनसे नागरिक की आर्थिक, व्यावसायिक, धार्मिक तथा नैतिक उन्नति होती है।

सरकार के कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं :—

१—आवश्यक (Constituent functions).

२—साधारण (Ministrant functions).

आवश्यक कर्तव्य

सरकार के कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जिनकी पूर्ति करना अत्यन्त आवश्यक है। कोई भी सरकार उन्हें पूरा किये बिना जीवित नहीं रह सकती। जब तक वह उनका पालन करती रहेगी तब तक उसकी स्थिति बनी रहेगी। जैसे मनुष्य के लिये भोजन आवश्यक है, उसी तरह सरकार के लिये कुछ कार्य अनिवार्य हैं। भोजन बन्द कर दिया जाय तो कुछ दिनों में मनुष्य अत्यन्त निर्बल हो जायगा और अन्त में मृत्यु को प्राप्त होगा। सरकार भी इसी तरह कमज़ोर और नष्ट होती है। आवश्यक कर्तव्यों की संख्या बहुत थोड़ी है। परन्तु इनकी पूर्ति के लिये सरकार को अपनी शक्ति का बहुत बड़ा अंश ख़र्च करना पड़ता है। ये आवश्यक कर्तव्य ३ हैं :—

अ—देश में शान्ति रखना।

ब—बाहरी हमलों से देश को बचाना।

स—न्याय करना।

शान्ति

देश में जब तक शान्ति न होगी तब तक किसी भी प्रकार की उन्नति सम्भव नहीं है। जब तक लोगों को इस बात का विश्वास नहीं है कि उनकी सम्पत्ति सुरक्षित है और उन्हें बिना कारण कोई दबा नहीं सकता तब तक वे कोई काम नहीं कर सकते। उदाहरण के लिये आप साम्प्रदायिक झगड़ों को ले लें। जिस शहर में हिन्दू-मुसलमान का दंगा हो जाता है वहाँ लोगों को तरह-तरह की तकलीफ़ें होती हैं। दूकानें बन्द हो जाती हैं, भय के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकलते, कितने ही बेगुनाह आदमी मारे जाते हैं, दूकानदारों का नुकसान होता है, मज़दूर भूखों मरते हैं। जब एक शहर में शान्ति न रहने से इतनी हानियाँ होती हैं तो फिर देश भर में अशान्ति से मालूम नहीं कितनी तकलीफ़ें होंगी। इसीलिये शान्ति रखने के लिये सरकार तरह-तरह के क़ानून बनाती है। इनकी देख-रेख के लिये कर्मचारी नियुक्त करती है। जो नियमों को तोड़ते हैं उन्हें दंड देती है। देश में पुलीस का प्रबन्ध करती है। कचहरियाँ, थाने, सरकारी अफ़सर, पुलीस, जेल—ये सब इसीलिये हैं कि एक दूसरे को कोई हानि न पहुँचाये और देश में पूर्ण शान्ति रहे।

शान्ति की स्थापना होने से लोगों को उन्नति करने का अवसर मिलता है। स्वतन्त्रता पूर्वक लोग एक जगह से दूसरी जगह आते-जाते हैं। देश में तरह-तरह के व्यवसाय बढ़ते हैं। शिक्षा की वृद्धि होती है। जब शान्तिपूर्वक लोगों को विचार करने का अवसर मिलता है तो कला और विज्ञान की उन्नति होती है। नागरिक और अनागरिक दोनों को अपने कर्तव्य-पालन का अवसर मिलता है।

बाहरी हमलों से रक्षा

इतिहास में हम पढ़ते हैं कि सिकन्दर ने कई देशों को जीत लिया था। एक बादशाह की दूसरे राज्य पर चढ़ाई का बयान अकसर मिलता है। आजकल भी इस तरह की चढ़ाइयाँ होती हैं। पिछले दो वर्षों के अन्दर जर्मनी ने कई देशों को जीत लिया। यदि ये राज्य कमज़ोर न होते तो वे जर्मन सरकार की अधीनता कभी भी स्वीकार न करते। रूस को वह क्यों नहीं हरा देता? इसीलिये कि रूसी सरकार ने बाहरी हमलों से बचने के लिये काफ़ी इन्तज़ाम कर रक्खा है। यदि सभी देश अपनी-अपनी रक्षा का पूरा प्रबन्ध करें तो एक राज्य दूसरे को गुलाम नहीं बना सकता। सरकार का यह सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह अपने देश की रक्षा का पूरा इन्तज़ाम करे। देश में आने जाने के जो-जो बाहरी रास्ते हों वहाँ फ़ौज का पूरा पहरा रक्खे। अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा प्रतिवर्ष फ़ौज और हथियारों पर लगाये। फ़ौज का अच्छा प्रबन्ध रहने से कोई भी विदेशी सरकार उसपर हमला नहीं कर सकती।

बाहरी हमलों से बचने के लिये आजकल यह आवश्यक है कि सरकार सेना, जहाज़, हथियार, हवाई जहाज़ आदि की संख्या काफ़ी बड़ी रक्खे। यद्यपि इन पर ख़र्च अधिक होता है और यह सारा भार प्रजा के ऊपर पड़ता है, परन्तु वर्तमान समय में रक्षा का कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो सरकार इन उपायों से रक्षा के लिये तैयार न रहेगी वह किसी न किसी दिन अपने अस्तित्व को खो बैठेगी।

न्याय

तलवार के बल से थोड़े दिनों तक काम चल सकता है परन्तु सरकार को स्थायी रूप से चलाने के लिये यह नीति काम नहीं दे सकती। यदि कोई सरकार अपनी प्रजा से अधिक कर वसूल करे और उसकी ग़रीबी का कुछ भी ख़याल न करे तो जनता उससे सन्तुष्ट न रहेगी। इसी तरह यदि एक ही राज्य में दो तरह के क़ानून हों, एक अमीरों के लिये और दूसरा ग़रीबों के लिये, तो लोगों में एकता और समानता का अभाव रहेगा। इसीलिये सरकार अमीर-ग़रीब, छोटे-बड़े सब को एक नज़र से देखती है। कचहरियों में इस बात का ख़याल नहीं किया जाता कि कौन अमीर है और कौन ग़रीब। जिसका जैसा अपराध होता है उसे वैसा दंड दिया जाता है। कर सबसे एक नियम के अनुसार वसूल किया जाता है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह किसी के साथ पक्षपात न करे। यदि कोई सरकारी कर्मचारी घूस लेकर किसी का पक्ष करता है अथवा किसी अपराधी को छोड़ देता है तो सरकार उसे कड़ा दंड दे और अपने कामों से अलग कर दे।

न्याय से प्रजा की उन्नति होती है। इसी से लोगों के अन्दर अच्छे-अच्छे भाव पैदा होते हैं। अन्याय और अत्याचार से बड़े से बड़े साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं। सरकार इस बात का ध्यान रक्खे कि किससे कितना टैक्स लेना चाहिये, प्रजा के क्या-क्या अधिकार हैं, तथा शासन में सबके साथ उचित व्यवहार होता है अथवा नहीं। इसी का नाम न्याय है। न्यायी सरकार सर्वप्रिय होती है। प्रजा उसका कल्याण चाहती है। राज्य का यही उद्देश्य है कि अन्याय का दमन और न्याय की रक्षा हो। न्याय से ही सरकार की आयु बढ़ती

है। जब सरकार प्रजा के साथ न्याय करती है तो जनता समाज में उसका प्रचार करती है। इसी से लोगों में नैतिक बल की वृद्धि होती है और सुचरित्र तथा योग्य नागरिक पैदा होते हैं।

साधारण कर्तव्य

इसका तात्पर्य उन कर्तव्यों से है जो आवश्यक कर्तव्यों के बाद किये जाते हैं। जब सरकार देश रक्षा, शान्ति और न्याय का पूरा प्रबन्ध कर लेती है तब उसका ध्यान साधारण कर्तव्यों की ओर जाता है। जब तक कोई व्यक्ति अपने भोजन, वस्त्र और घर की चिन्ता में पड़ा रहता है तब तक उसका ध्यान सुख और कला की सामग्रियों की ओर नहीं जाता। जब उसे ये तीनों चिन्तायें नहीं रहतीं तब उसका मन शिक्षा, संगीत, घर की सजावट तथा तरह तरह की कलाओं में लगता है। यही दशा सरकार की भी है। जब वह पुलीस और सेना का ठीक प्रबन्ध कर लेती है, देश में न्याय और शान्ति का बादल छा जाता है, तब उसकी दृष्टि उन कार्यों की ओर जाती है जिनसे जनता की मानसिक और आर्थिक उन्नति होती है। लेकिन कमज़ोर से कमज़ोर सरकार को भी इन साधारण कर्तव्यो की पूर्ति थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। इन्हें बिलकुल ठुकराना सम्भव नहीं है।

वैसे तो साधारण कर्तव्यों की कोई सीमा नहीं है परन्तु मुख्य कर्तव्य पाँच हैं :—

१—शिक्षा की वृद्धि

२—व्यवसाय की उन्नति

३—स्वास्थ्य और सफ़ाई

४—राज्य में आवागमन की सुविधा

५— सामाजिक सुधार

शिक्षा

सरकार का संगठन व्यक्ति की उन्नति के लिये किया गया है। यह उन्नति तब तक सम्भव नहीं है जब तक लोगों को उचित शिक्षा न दी जाय। सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में अधिक से अधिक स्कूल और कालेज खोले। लड़के और लड़कियाँ दोनों की शिक्षा का प्रबन्ध करे। परन्तु केवल किताबी ज्ञान को शिक्षा नहीं कहते। उचित शिक्षा वह है जिससे आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों प्रकार की उन्नति हो। जब तक राज्य में शिक्षित लोग नहीं बढ़ेंगे तब तक न्याय और शान्ति के लिये सरकार को परीशान रहना पड़ेगा। जब सरकार अपने देशवासियों को अधिक से अधिक संख्या में शिक्षित करेगी तो लोगों के अन्दर अपने कर्तव्य का ज्ञान होगा। मूर्ख व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता। शिक्षा बहुमुखी और व्यावहारिक होनी चाहिये। विद्यार्थी-जीवन में ही जब बच्चों को परिश्रमी और साहसी बनाया जायगा तभी वे आगे चलकर योग्य नागरिक होंगे और अपने देश की उन्नति में हाथ बटायेंगे।

व्यवसाय

सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि राज्य में प्रजा की आर्थिक दशा कैसी है। यदि एक बहुत बड़ा वर्ग राज्य में निर्धन और बेकार है तो वहाँ की सरकार अच्छी नहीं कहला सकती। रामायण में कहा गया है :—

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी।
सो नृप अवसि नरक अधिकारी ॥

प्रजा की आर्थिक दशा ठीक रखने तथा उसे कार्य देने के लिये सरकार को तरह-तरह के व्यवसाय करने चाहिये। उसका ध्यान इस बात पर सदैव रहना चाहिये कि अपनी आवश्यकता की सारी वस्तुयें देश में ही उत्पन्न की जायँ। विदेशी चीज़ें कम से कम लेनी चाहिये। इससे प्रजा का बहुत बड़ा धन बाहर चला जाता है और देश में बेकारी बढ़ती है। अपने देश का कम से कम कच्चा माल बाहर जाना चाहिये। सरकार यदि व्यवसायों को उत्साहित करे तो देश में ग़रीबी और बेकारी दोनों नहीं रह सकती। भारत सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिये। इस देश में लाखों आदमियों को भर-पेट भोजन और शरीर ढकने को कपड़ा तक नहीं मिलता। इस अधःपतन की दूसरी मिसाल इस पृथ्वी पर नहीं है।

स्वास्थ्य और सफ़ाई

अपने शरीर की सफ़ाई तो सभी कर लेते हैं परन्तु जिन सड़कों पर हम चलते हैं और जो स्थान सार्वजनिक हैं उनकी सफ़ाई भी आवश्यक है। बहुत से लोग अज्ञान और काहिली के कारण सफ़ाई का ध्यान नहीं रखते। इससे वे स्वयं भी रोगी होते हैं, साथ ही आसपास के घरों में भी बीमारी का बीज बोते हैं। ज्वर, हैज़ा, प्लेग आदि भयंकर बीमारियों से बचने के लिये सरकार तरह-तरह का प्रबन्ध करती है। स्वास्थ्य और सफ़ाई विभाग द्वारा वह इस बात की देख-रेख रखती है कि लोग सफ़ाई की आवश्यक बातों में लापरवाही न करें। समय-समय पर बीमारियों के टीके लगाये जाते हैं। वैद्य तथा सफ़ाई-इन्सपेक्टर लोगों को उपयोगी बातें बतलाते हैं और दवाइयाँ भी बाटते हैं। प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य है कि वह

अपने देश-वासियों को हृष्ट-पुष्ट और निरोग रक्खे। इससे बीमारियों का प्रचार कम होगा और सरकार को अस्पताल आदि पर अधिक रुपये ख़र्च न करने पड़ेंगे।

आवागमन की सुविधायें

राज्य में शिक्षा, व्यवसाय, तथा आर्थिक उन्नति करने के लिये सरकार को चाहिये कि रेल, तार, डाक तथा सड़कों का प्रबन्ध करे। इनसे लोग जहाँ चाहेंगे अपनी इच्छानुसार आ-जा सकेंगे। देश के एक सिरे की चीज़ दूसरे सिरे में आसानी से पहुँचेगी। सड़कों के बढ़ने से व्यापार की वृद्धि होगी। रेल, तार आदि से लोगों में सम्पर्क और सहयोग बढ़ेगा। शासन में सुविधा होगी। आवागमन की सुविधायें पाकर लोग इनका उपयोग करेंगे। उनकी जानकारी बढ़ेगी और वे जनता में अपने ज्ञान का प्रचार करेंगे। इसी से लोगों की कूप-मंडूकता का विनाश होगा और उनकी दृष्टि व्यापक होगी। यदि सरकार अपने देशवासियों में सहयोग और सभ्यता का बीज बोना चाहती है तो वह उन्हें अधिक से अधिक आवागमन की सुविधायें दे।

सामाजिक सुधार

सभी मनुष्यों की बुद्धि बराबर नहीं होती। कोई कम और कोई अधिक बुद्धिमान होता है। इसीलिये समाज में कुछ लोग अपने समय के अनुकूल जीवन व्यतीत करते हैं और बाकी पुरानी परिपाटियों पर ही चलते हैं। कोई नई बात जब समाज के सामने रक्खी जाती है तो पुराने विचारों के लोग उसका विरोध करते हैं। देश के हितैषी इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि पुराने विचारों के लोग नई बातों

को समझें। कारण यह है कि समय बदलता रहता है, इसलिये मनुष्य के विचार भी बदलने चाहिये। इन्हीं विचारों को बदलने के लिये सामाजिक सुधार किये जाते हैं। कुछ तो सेवा और त्याग करने वाले इस कार्य को करते हैं, परन्तु सरकार की सहायता के बिना इसमें वे सफल नहीं हो सकते। समाज में अनेक कमज़ोरियाँ होती हैं। जब तक वे दूर नहीं की जातीं तब तक उसकी उन्नति रुकी रहती है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह क़ानूनों तथा अन्य उपायों द्वारा उन्हें दूर करे।

भारतीय समाज में कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जिन्हें दूर करना आवश्यक है। छुआ-छूत, अशिक्षा, बेकारी, साम्प्रदायिक भावना आदि कमज़ोरियों को दूर किये बिना इस बीसवीं सदी में उन्नति नहीं की जा सकती। सरकार और समाज-सेवी दोनों का कर्तव्य है कि वे इस कार्य को करें।

सारांश

अपने कर्तव्यों का पालन किये बिना कोई भी सरकार जीवित नहीं रह सकती। यदि वह नागरिकों से कर्तव्य पालन की आशा करती है तो पहले स्वयं अपने कर्तव्यों को पूरा करे। सरकार के कर्तव्य दो प्रकार के हैं—आवश्यक और साधारण। देश को बाहरी हमलों से बचाना, शान्ति स्थापित करना तथा न्याय की रक्षा करना आवश्यक कर्तव्य हैं। इनके बिना उन्नति तो दूर, सरकार का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। शिक्षा का प्रचार, व्यवसाय की उन्नति, स्वास्थ्य और सफ़ाई की देख-रेख, आवागमन की सुविधायें देना, सामाजिक सुधार आदि साधारण कर्तव्य कहलाते हैं। 'साधारण' शब्द से यह नहीं समझना चाहिये कि सरकार इन्हें छोड़ सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि पहले वह

आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करे, इसके बाद साधारण कर्तव्यों का पालन करे। आवश्यक कर्तव्यों से ही कोई सरकार सर्व-प्रिय और स्थायी नहीं बन सकती। साधारण कर्तव्यों का भी उसे ध्यान रखना पड़ता है।

प्रश्न

१—"जब तक सरकार नागरिकों को कुछ सुविधायें न देगी तब तक वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते"। इस कथन की पुष्टि कीजिये।

("No Government can expect its citizens to do their duties unless they are given certain facilities". Explain it.)

२—"सरकार का कर्तव्य केवल शान्ति रखना नहीं है"। इस पर अपना विचार प्रकट कीजिये।

("Law and order are not the only functions of a Government". Comment the proposition)

३—सरकार के आवश्यक कार्यों की व्याख्या कीजिये। क्या वह इनमें किसी को छोड़ सकती है?

(What are the main constituent functions of a Government? Can a Government neglect any one of them?)

४—सरकार के साधारण कर्तव्यों का तात्पर्य क्या है? किन्हीं दो कार्यों की उपयोगिता समझाइये।

(What is meant by the ministrant functions of a Government? Explain two of them.)

५—सरकार के कर्तव्यों का वर्णन करते हुये यह दिखलाइये कि नागरिक किस प्रकार उन कर्तव्यों में सहायक हो सकता है।

(Describe the functions of a Government and show how citizens can help it.)

अध्याय ९

राष्ट्रीय जीवन और लोकहित

नागरिक शास्त्र के अध्ययन मात्र से कोई विशेष लाभ नहीं है। लाभ तभी है जब हम इस पर अमल करें। यदि हम अच्छी-अच्छी बातें करें लेकिन हमारे काम छोटे दर्जे के हों तो हमारी उन्नति नहीं हो सकती। नागरिकता का कोरा ज्ञान हमें लाभ नहीं पहुँचा सकता। सामाजिक नियमों को जानकर समाज में उन पर अमल करना चाहिये। केवल व्यक्तिगत सुख और लाभ से किसी व्यक्ति की उन्नति नहीं हो सकती। यदि हम रात दिन अपनी ही चिन्ता में पड़े रहें और अपने पड़ोसियों तथा देशवासियों का ध्यान न रक्खें तो हमारा जीवन स्वार्थी कहलायेगा। अपने जीवन में हमें कुछ ऐसे भी काम करने चाहिये जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र की उन्नति हो। लोकहित का ध्यान रखते हुये जब हम अपना काम करेंगे तो उससे हमारा अधिक विकास होगा।

राष्ट्र

जिस देश में हम निवास करते हैं उसे राष्ट्र कहते हैं। भारतवर्ष एक राष्ट्र है। जिस देश में कुछ व्यक्ति निवास करते हों, उनका एक राजनैतिक संगठन हो और उनके अन्दर सहयोग की भावना हो उसे राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र और राज्य पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन

राष्ट्र बनने के लिये कुछ और भी शर्तें हैं। साधारण बोलचाल में राज्य और राष्ट्र में कोई भेद नहीं किया जाता परन्तु शास्त्र की दृष्टि से राष्ट्र शब्द अधिक गम्भीर और भावपूर्ण है। किसी देश में एक संगठित सरकार के होते हुये भी राष्ट्रीय जीवन का अभाव हो सकता है। देश के निवासी यदि सरकारी क़ानूनों के भय से शान्त हैं और उनमें कोई सामाजिक उन्नति दिखाई नहीं पड़ती तो वह देश राष्ट्र नहीं कहला सकता। राष्ट्र कहलाने का अधिकारी वही देश है जिसमें एक घनिष्ठ सामाजिक जीवन हो, लोगों के अन्दर बन्धुत्व का भाव हो और अपने देश के लिये वे व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ने पर तैयार हों। जब देश के निवासी अपने पड़ोसी को अपना भाई समझें और देश के लिये सब कुछ त्याग करने पर तैयार हों तो हम कह सकते हैं कि उस देश में राष्ट्रीय जीवन है।

जितने भी उन्नतिशील देश हैं उन सब में राष्ट्रीय भावना दिखाई पड़ती है। वहाँ के निवासी अपने देश को अपना घर समझते हैं। देश के नाम पर वे मर मिटने को तैयार रहते हैं। उनके सिद्धान्त को हम भले ही पसन्द न करें लेकिन अपने देश के लिये उनका त्याग और आत्मसमर्पण सराहनीय है। जर्मनी और जापान की सरकारी नीति हमें पसन्द नहीं है। इन देशों ने जितनी बेरहमी और स्वार्थपरता से संसार को अशान्त बना रक्खा है उसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निन्दा कर सकते हैं। परन्तु इन देशों के नागरिकों के उत्साह और उनकी लगन की सराहना किये बिना हम नहीं रह सकते। अपने देश के गौरव के लिये वे सब कुछ करने पर तैयार हैं। इसी भावना को राष्ट्रीय भावना कहते हैं। ब्रिटेन में भी यह भावना कम

नहीं है। अपने देश के लिये ब्रिटेन निवासियों ने समय-समय पर जो आत्मत्याग किया है वह हमारे लिये अनुकरणीय है। भारतवर्ष में अभी इतनी ऊँची राष्ट्रीयता का अभाव है।

राष्ट्रीय जीवन

जब देश के निवासी शिक्षित और सभ्य होकर अपने देश की उन्नति की चिन्ता करते हैं तो उनका जीवन कुछ और ही प्रकार का दिखाई पड़ता है। उनके सभी कामों में सेवा और त्याग की झलक होती है। उनकी रहन-सहन से बहुतों को लाभ पहुँचता है। वे अपने ही देश की बनाई हुई चीजें इस्तेमाल करते हैं। देश की समस्याओं पर विचार करने के लिये वे हर समय तैयार रहते हैं। वे इस बात का प्रयत्न करते रहते हैं कि ग़रीबी, बेकारी, अशिक्षा, साम्प्रदायिकता आदि रोग उनके देश से निकल जायँ। अपनी आमदनी का कुछ भाग वे देश की उन्नति में ख़र्च करते हैं। अपने देशवासियों की तरक्की के लिये तरह-तरह की संस्थाओं की स्थापना करते हैं। सामाजिक कमज़ोरियों को दूर करने के लिये वे नाना प्रकार के सुधार करते हैं। जिस देश के निवासियों का जीवन इस तरह के कामों से ओत-प्रोत हो वही उन्नतिशील राष्ट्र कहलाने का अधिकारी है। उन्हीं का जीवन राष्ट्रीय जीवन कहलाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने देश को अपना घर और अपने देश-वासियों को अपना भाई समझता है।

यदि सच्चाई के साथ विचार करें तो भारतवर्ष के निवासियों का जीवन राष्ट्रीय जीवन नहीं है। हम अपने देश की बनी हुई चीजें काम में न लाकर विदेशी चीजें ख़रीदते हैं। इससे भली-भाँति स्पष्ट है कि

हम अपने देशवासियों को भूखा रखकर अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों में भेज देते हैं। यदि हमें अपने देश के बेकार और ग़रीब भाइयों की थोड़ी भी चिन्ता होती तो हम मुफ़्त में भी विदेशी चीजें न लेते। कभी-कभी हमारे देश में हिन्दू-मुसलमानों में लड़ाइयाँ हो जाया करती हैं। धर्म के नाम पर ये दोनों सम्प्रदाय आपस में उलझ पड़ते हैं। यदि ये दोनों हिन्दोस्तान को अपना घर मानते और एक दूसरे को अपना भाई समझते तो लड़ाई की कभी भी नौबत न आती। हमारे देश की जन-संख्या ४० करोड़ के लगभग है। चीन को छोड़कर इतना बड़ा देश इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। प्रकृति ने इस देश को सुख और वैभव के इतने साधन दे रक्खे हैं कि विदेशी भी मुक्तकंठ से इसकी प्रशंसा करते हैं। फ्रान्सीसी यात्री बर्नियर लिखता है "यह हिन्दोस्तान एक ऐसा अथाह गड्ढा है जिसमें चारों ओर से सोना और चाँदी आ आकर जमा होता है, लेकिन इसके निकलने का एक भी रास्ता दिखाई नहीं पड़ता"। इतना सुरक्षित और समृद्धशाली देश आज १५० वर्षों से गुलाम है। इसका एकमात्र कारण यहाँ के निवासियों में राष्ट्रीय जीवन का अभाव है।

एक आदर्श राष्ट्र

हमारे सभी काम किसी लक्ष्य को लेकर ही किये जाते हैं। जब हम राष्ट्रीय जीवन व्यतीत करना आरम्भ करते हैं तो हमारा उद्देश्य अपने देश को एक आदर्श राष्ट्र बनाने का होता है। इस आदर्श राष्ट्र की कुछ विशेष पहचानें हैं। यदि कोई देश सब से शक्तिशाली हो जाय और वह अपने पड़ोसी देशों को जीतकर उनकी

स्वतन्त्रता नष्ट कर दे तो वह राष्ट्र आदर्श नहीं कहला सकता। जिस प्रकार एक निरा बलवान मनुष्य आदर्श नहीं है उसी तरह केवल शक्तिशाली राष्ट्र आदर्श नहीं हो सकता। एक आदर्श मनुष्य बनने के लिये यह आवश्यक है कि उसके अन्दर अच्छी शिक्षा हो, वह चरित्रवान और कार्यकुशल हो, उसके जीवन से औरों को लाभ पहुँचे तथा उसके अन्दर संयम् और नियम दिखाई पड़ें। इसी तरह आदर्श राष्ट्र में भी कुछ गुणों का होना आवश्यक है। उस राष्ट्र में अशिक्षा, बेकारी और ग़रीबी का नाम भी नहीं रहना चाहिये। वहाँ के निवासियों में एकता और समानता होनी चाहिये। वहाँ का प्रत्येक निवासी अपने देश के लिये मरने मारने पर तैयार हो। आदर्श राष्ट्र अपने पड़ोसी राष्ट्रों की भी उन्नति का ध्यान रखता है। वह कभी किसी देश पर चढ़ाई नहीं करता, उसके निवासी संयम् और नियम के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वर्तमान समय में आदर्श राष्ट्रों का सर्वथा अभाव है। जब तक ऐसे राष्ट्र स्थापित न होंगे तब तक विश्वशान्ति का कोई रास्ता नहीं निकल सकता। महात्मा गान्धी सत्य और अहिंसा के सिद्धान्त पर हिन्दोस्तान को एक आदर्श राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कहाँ तक इसमें उन्हें सफलता प्राप्त होगी यह भविष्य बतलायेगा।

लोकहित

राष्ट्रीय जीवन में सभी काम लोकहित के लिये किये जाते हैं। जिन कामों से दूसरों का भला हो वे लोकहित के कार्य कहलाते हैं। मानव-जीवन का उद्देश्य यही नहीं है कि लोग किसी तरह अपना पेट भर लें और ऐश व आराम के साथ अपने घर में पड़े रहें। इतना तो

पशु पक्षी भी कर लेते हैं। सबेरे से शाम तक चिड़ियायें चारे की तलाश में उड़ती रहती हैं और रात को अपने घोंसलों में विश्राम करती हैं। जब मनुष्य इस बात का दावा करता है कि उसका जीवन अन्य जीवों की अपेक्षा ऊँचा है तो उसके कुछ और भी कर्तव्य हो जाते हैं। उसे कुछ ऐसे भी कार्य करने चाहिये जिनसे न केवल मनुष्य बल्कि अन्य जीवों का भी कल्याण हो। सभी सार्वजनिक काम लोकहित के कार्य कहलाते हैं। कुयें, तालाब, औषधालय, धर्म-शालायें आदि बनवाना तथा दुखी प्राणियों की सेवा करना लोकहित के कार्य कहलाते हैं। जिन कामों से दूसरों को लाभ पहुँचे और अपनी आत्मा को शान्ति मिले उन्हें लोकहित का कार्य कहा जाता है। यदि कोई चोर एक धर्मशाला बनवाने के लिये चोरी करता है तो उसका कार्य लोकहित का कार्य नहीं कहला सकता। उसके कार्य से दूसरों को लाभ तो होगा लेकिन उसकी आत्मा को शान्ति नहीं मिल सकती। कार्य करने की यह नीति समाज के लिये हानिकर होगी।

जिस समाज में हम रहते हैं उससे हमें बहुत से लाभ होते हैं। दूसरों की बनाई हुई बहुत सी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। यदि हम सचमुच मनुष्य हैं तो हमें भी कुछ ऐसे कार्य करने चाहिये जिनसे दूसरों को लाभ पहुँचे। नागरिक शास्त्र हमारा ध्यान इन्हीं लोकहित के कामों की ओर आकर्षित करता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि लोकहित के कार्य बेकार हैं, उनसे दूसरों को तो लाभ पहुँचता है परन्तु हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी बात नहीं है। जिन कामों को हम अपने लिये करते हैं उनका भी परिणाम आत्म-सन्तोष ही होता है। भूख को शान्त करने के लिये हम भोजन करते हैं। मन की शान्ति के लिये

अपने घर में रुपये-पैसे और तरह-तरह की चीज़ें रखते हैं। केवल चीज़ों से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा उस शान्ति और सन्तोष से है जो हमें उन चीज़ों से प्राप्त होता है। लोकहित के कार्य हमें कम सन्तोष नहीं देते। जब हम किसी भूखे को एक रोटी और प्यासे को एक गिलास पानी दे देते हैं तो उस समय हमारी आत्मा में एक प्रकार की ऊँचाई मालूम पड़ती है। इसी से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। इसीसे हमारे अन्दर दया, धैर्य, सेवा, त्याग आदि गुणों की नीव पड़ती है।

भारतवर्ष में लोकहित कार्य

सभी देशों में लोकहित के थोड़े बहुत कार्य होते रहते हैं। जो देश पिछड़े हुए हैं और जहाँ के निवासियों के अन्दर नागरिकता का अभाव है वहाँ लोकहित के काम बहुत थोड़े दिखाई पड़ेंगे। इसके विपरीत जो देश उन्नतिशील हैं वहाँ सभी कार्यों में लोकहित की भावना दिखाई देगी। भारतवर्ष का स्थान इन दोनों के बीच में है। ऐसा नहीं है कि इस देश के निवासी केवल स्वार्थी जीवन व्यतीत करते हैं और न यही है कि इनके अन्दर से स्वार्थ की भावना मिट गई है और सब के सब आदर्श राष्ट्रवादी कहला सकते हैं। उन्नीसवीं सदी के अन्त में यहाँ के देशवासियों का ध्यान लोकहित के कार्यों की ओर आकर्षित हुआ। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्राचीन काल से उन्नीसवीं सदी तक इस देश में लोकहित के कार्यों का अभाव रहा है। हिन्दू और मुसलमान दोनों कालों में लोकहित के जितने कार्य दिखाई पड़ेंगे उतने बहुत कम देशों के इतिहास में नज़र आयेंगे। उन सबका यहाँ वर्णन करना वर्तमान नागरिकता से दूर हट जाना है

समाज शास्त्र भूतकाल की रहन-सहन का हवाला उसी मात्रा में देता है जिस तक वर्तमान जीवन पर उसका प्रभाव पढ़ता है। इसीलिये लोक-हित के कार्यों की चर्चा और तलाश वर्तमान युग में ही हमें करनी चाहिये।

उन्नीसवीं सदी के अन्त में पूर्वीय और पश्चिमी दो सभ्यताओं का मिलन हुआ। लोगों के अन्दर नई भावना, नई रहन-सहन और नये विचारों का प्रादुर्भाव हुआ। लोकहित के नये-नये कार्य किये जाने लगे। भारतीय समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधार तथा संगठन आरम्भ किये गये। कुछ समय बाद इन सब के प्रभाव और एकीकरण से राष्ट्रीय आन्दोलन आरम्भ हुआ। लोकहित के कार्यों में क्रान्ति की ज्वाला दिखाई पड़ने लगी। शिक्षा, व्यवसाय, समाज सुधार, संगठन आदि बातों को ध्यान में रखते हुये नई-नई संस्थाओं और आन्दोलनों का जन्म हुआ। यह प्रयत्न अभी तक जारी है। ज्यों-ज्यों इस देश में राष्ट्रीयता की वृद्धि होती जा रही है त्यों-त्यों लोकहित के कार्य भी बढ़ते जाते हैं। लेकिन अभी इसकी पूर्ति नहीं हुई है। यह देश इतना विशाल है और सदियों से इतने अन्धकार में रहा है कि इसे ऊँचा उठाने के लिये और भी बड़े पैमाने के लोकहितकार्य करने होंगे। यहाँ के देशवासियों में सेवा और आत्म-त्याग की वह भावना जागृत नहीं हुई है जिससे कोई देश उन्नति के शिखर पर पहुँच सकता है। अभी इस देश में अनेक समस्यायें पड़ी हुई हैं। उनकी ओर लोगों की दृष्टि जानी चाहिये। ९० प्रतिशत व्यक्तियों को शिक्षित करना है, ७५ प्रतिशत किसानों और मजदूरों की रोटी का प्रश्न हल करना है, साम्प्रदायिक भावनाओं को निकाल कर सच्ची राष्ट्रीयता लानी है, गाँव

के घरेलू कारोबारों को जीवित करना है तथा दलित जातियों के अन्दर उत्साह और जीवन पैदा करना है। जब तक ये कार्य पूरे नहीं होते तब तक इस देश के नागरिकों को अधिक से अधिक संख्या में लोकहित-कार्य में लगना चाहिये।

सारांश

नागरिक शास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य यह है कि हमारा जीवन क्रियात्मक हो। हम रचनात्मक कार्यों में हाथ बटायें। जिस समाज में हम रहते हैं उससे हमें अनेक लाभ पहुँचते हैं। हमारा यह कर्तव्य है कि हम भी कुछ ऐसे कार्य करें जिनसे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। हमें केवल अपने ही स्वार्थ की चिन्ता नहीं करनी चाहिये, वरन् हममें और पशु पक्षियों में कोई भेद नहीं रह जायगा। हम मनुष्य होने के नाते अपने आप को अन्य जीवों से श्रेष्ठ समझते हैं। इसलिये हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हमारे कार्य ऐसे हों जिनसे दूसरों को लाभ पहुँचे। अपने पड़ोसी तथा देशवासियों की भलाई का हमें ध्यान रखना चाहिये। जब हम अपने स्वार्थ के साथ-साथ अपने देशवासियों का भी ध्यान रक्खेंगे तो हमारे जीवन में अधिक ऊँचाई दिखाई पड़ेगी। हमारा जीवन राष्ट्रीय जीवन होगा और उससे हमारे व्यक्तित्व का विकास और देश का उत्थान होगा।

जिस देश में राष्ट्रीय भावना जागृति होती है उसके निवासी अपने देश को अपना घर समझते हैं। उनके सभी काम लोकहित की दृष्टि से किये जाते हैं। वे अपने देश की भलाई का सबसे अधिक ध्यान रखते हैं। अवसर आने पर देश की भलाई के लिये वे सब कुछ त्याग कर सकते हैं। जिन कार्यों से दूसरों की भलाई तथा आत्म-सन्तोष हो वे लोकहित के कार्य कहलाते हैं। कुयें, तालाब, औषधालय, धर्मशालायें आदि बनवाना लोकहित के कार्य कहलाते हैं। इनसे दुखी प्राणियों की रक्षा

और सेवा होती है। लोकहित के कार्यों का कोई अन्त नहीं है। जो देश जितना ही उन्नतिशील होगा उसके निवासी उतने ही अधिक लोकहित-कार्य करेंगे। जर्मनी, जापान, ब्रिटेन तथा अमेरिका आदि देशों में राष्ट्रीय भावना ऊँची होने से लोकहित-कार्यों को संख्या अधिक है।

भारतवर्ष में राष्ट्रीय जीवन का अभी बहुत कुछ अभाव है। यहाँ जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक भेद-भावों को लेकर अब भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसी भेद भाव के कारण यहाँ के देशवासियों में लोकहित के कार्यों की कमी है। उन्नीसवीं सदी के अन्त में यहाँ राष्ट्रीय जीवन की लहर पैदा हुई थी। इसका कारण पूर्वीय और पश्चिमी सभ्यता का मिलन था। यह भावना क्रमशः बढ़ती जा रही है और यहाँ का राष्ट्रीय जीवन दिन दूना रात चौगुना उन्नति कर रहा है। इसी के साथ-साथ लोकहित के कार्यों में भी वृद्धि होती जा रही है। नई-नई संस्थायें और सुधार तथा संगठन के कार्य बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी यह देश इतना विशाल है और सदियों से इतने अन्धकार में रहा है कि इसे ऊँचा उठाने के लिये यहाँ के निवासियों को लोकहित के कुछ और भी कार्य करने होंगे। शिक्षा, बेकारी, घरेलू कारोबार, साम्प्रदायिक भावना आदि प्रश्न ऐसे विशेष रूप से हैं जिन्हें सुलझाने के लिये शिक्षित समाज को लोकहित के कार्यों में लगना चाहिये।

प्रश्न

१—देशभक्ति किसे कहते हैं? क्या भारतवर्ष में यह पाई जाती है?

(What is meant by patriotism ? Is it found in India ?)

२—यदि कोई देश एक सुसंगठित राष्ट्र बनना चाहे तो उसे किन-किन बातों की आवश्यकता होगी। इसके उत्थान में कौन-कौन सी बाधायें पड़ सकती हैं?

(What are the conditions necessary for any country to become a nation ?) What are the hinderances in its growth ?)

३—एक आदर्श राष्ट्र की पहचान क्या है ? क्या वर्तमान समय में संसार में कोई राष्ट्र आदर्श कहला सकता है ?

(Describe the essentials of an ideal nation ? Is there any ideal nation in the world today ?)

४—लोकहित मनुष्य के लिये क्यों कर अनिवार्य है ? अपने देश में वह राष्ट्रीयता का बीज कैसे बो सकता है ?

(Why public welfare is the bounden duty of a man ? How can he develop the spirit of nationalism in his country ?)

५—भारतवर्ष में राष्ट्रीयता के विकास का वर्णन करते हुये सिद्ध कीजिये कि यह विकास अभी पूर्ण नहीं है ।

(Trace the growth of national life in India and prove that it is still incomplete.)

द्वितीय भाग

अध्याय १०

भारतीय शासन का विकास

जिस शकल में आज हम अपने देश का शासन विधान (Constitution) देखते हैं वह एक या दो वर्षों का बनाई हुई चीज़ नहीं है। ब्रिटिश काल के अन्दर लगभग डेढ़ सौ वर्षों में इसका क्रमशः विकास हुआ है। समय-समय पर आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन भी होते रहे हैं। रूस की वर्तमान शासन पद्धति १९१७ में बनाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संघ शासन विधान १७८३ ई० में बनाया गया था। इसी तरह की मिसाल कुछ और देशों के लिये भी दी जा सकती है। उनकी शासन पद्धतियाँ कब बनीं और कैसे उन्हें काम में लाया गया इसकी जानकारी हमें उन देशों के इतिहास से हो सकती है। भारतीय शासनविधान में यह बात नहीं है। इस देश में कभी भी सम्पूर्ण शासनविधान का निर्माण एक या दो दिन में बैठकर नहीं किया गया। पालियामेंट यहाँ के शासनविधान की कर्त्ता-धर्ता रही है। जैसी-जैसी उसे आवश्यकता पड़ी वैसे-वैसे वह इस देश का शासनविधान बनाती रही है। इस अध्याय में भारतीय शासन के विकास पर विचार करते समय हम देखेंगे कि पार्लियामेन्ट का ज़िक्र हर स्थान पर आता है।

काल विभाजन

भारतीय शासन का विकास भारतवासियों की आवश्यकतानुसार

नहीं हुआ है । इसके विकास में ब्रिटेन निवासियों के हित तथा पार्लियामेन्ट की नीति का सब से अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है । इसीलिये शासन के विकास और ब्रिटिश राज्य की वृद्धि का इतिहास एक ही है । यदि दोनों की कहानी का वर्णन किया जाय तो एक ही सामग्री दोनों मे दिखाई देगी । वैसे तो कोई भी कह सकता है कि अंग्रेज़ पहिले-पहिल इस देश में व्यापार करने के लिये आये । धीरे-धीरे उन्हें राज्य की प्राप्ति हुई और कुछ वर्षों में पार्लियामेन्ट हिन्दोस्तान की शासक बन बैठी । वही आज भी इस देश का शासन प्रबन्ध करती है । लेकिन इस छोटी सी कहानी से भारतीय शासन-विधान का विकास समझ में नहीं आ सकता । इसी बात को कुछ और विस्तार से कहना होगा । अध्ययन की सुविधा के लिये भारतीय शासन का विकास पाँच कालों में विभाजित किया गया है । प्रत्येक काल अपनी एक विशेषता रखता है । ये काल निम्नलिखित हैं :—

१—प्रथम काल (१६००—१७६५)

२—द्वितीय काल (१७६५—१८५८)

३—तृतीय काल (१८५८—१९१९)

४—चतुर्थ काल (१९१९—१९३५)

५—पंचम काल (१९३५—   )

प्रथम काल

(१६००—१७६५) ईस्ट इन्डिया कम्पनी की स्थापना १६०० ई० में इङ्गलैंड में हुई । पार्लियामेन्ट ने इसे यह अधिकार दिया कि वह हिन्दोस्तान में व्यापार कर सकती है । इसी के अनुसार कम्पनी ने इस देश में व्यापार करना आरम्भ किया । इस समय मुग़ल

साम्राज्य उन्नति के शिखर पर था। कोई भी विदेशी क़ौम इस देश के व्यापार अथवा कला कौशल के सामने नहीं टिक सकती थी। ईस्ट इन्डिया कम्पनी को आरम्भ में कोई मुनाफ़ा दिखाई नहीं पड़ता था। मुग़ल दरबार की शान शौकत से आकर्षित होकर थोड़े से अँग्रेज़ व्यापारी दिल्ली, कलकत्ता तथा अन्य बड़े शहरों में अपना जीवन बसर करते थे। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद हिन्दोस्तान की राजनैतिक परिस्थिति बिगड़ने लगी। योरप की और क़ौमों को यह हौसला हुआ कि वे भी हिन्दोस्तान में आकर तिजारत करें और यहाँ की बिगड़ी हुई राजनैतिक परिस्थिति से बेजा फ़ायदा उठायें। फ्रान्सीसी, डच, पुर्तगीज़ तथा अँग्रेज़ इन चारों में व्यापारी मुक़ाबला हुआ। एक दूसरे को परास्त करने के लिये हिन्दोस्तान लड़ाई का मैदान बना। यहीं के धन और जन की सहायता से अनेक लड़ाइयाँ हुईं। अन्त में अँग्रेज़ों की विजय हुई।

कम्पनी के कामों की देख-रेख के लिये ब्रिटेन में कुछ व्यक्तियों की एक सभा बना दी गई थी। इसका नाम कोर्ट आफ़ डाइरेक्टर्स था। १७५७ ई० में प्लासी की लड़ाई ने इस बात का फ़ैसला कर दिया कि अंग्रेज़ हिन्दोस्तान में केवल व्यापारी नहीं हैं, बल्कि वे सब से बड़ी ताक़त रखते हैं। १७६५ ई० में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कम्पनी ने अपने हाथ में ले ली। इससे कम्पनी व्यापारिक और राजनैतिक दोनों प्रकार के काम करने लगी। उपरोक्त सूबों की दीवानी अथवा मालगुज़ारी वसूल करने में उसे अधिक मुनाफ़ा दिखाई पड़ने लगा। देश की राजनैतिक शक्ति कमज़ोर होने से यहाँ के व्यापार को भी धक्का लगा। इस कमज़ोरी से कम्पनी को लाभ उठाने का अच्छा

मौक़ा मिला। एक ओर तो वह अपने व्यापार को और दूसरी ओर राज्य को बढ़ाती गई। व्यापार और राजनीति इन दोनों का मेल इस काल में स्पष्ट दिखाई पड़ता है।

द्वितीय काल

(१७६५—१८५८) जब कम्पनी को व्यापार में अधिक मुनाफ़े होने लगे और हिन्दोस्तान के बड़े-बड़े शहरों में उसके केन्द्र स्थापित हो गये तो कोर्ट आफ़ डाइरेक्टर्स की देख-रेख में कमी महसूस होने लगी। इधर कम्पनी के पास कुछ राज्य के टुकड़े भी हो गये थे। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में कम्पनी के कारोबार की देख-रेख के लिये एक-एक गवर्नर रहते थे। ये कोर्ट आफ़ डाइरेक्टर्स से सीधा सम्बन्ध रखते थे। इससे सभी जगह एक वसूल बर्तने में कठिनाई होती थी। इसी कठिनाई को दूर करने के लिये १७७३ ई० में पार्लियामेन्ट ने रेग्युलेटिंग ऐक्ट पास किया। इसके अनुसार बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसकी सहायता के लिये चार सदस्यों की एक कौंसिल बना दी गई। बाकी सूबों के गवर्नर उसकी मातहती में कर दिये गये। १७८४ ई० में पिट्स इन्डिया बिल नामक एक दूसरा ऐक्ट पार्लियामेन्ट ने पास किया। कोर्ट आफ़ डाइरेक्टर्स के अतिरिक्त बोर्ड आफ़ कन्ट्रोल नाम की एक नई संस्था ब्रिटेन में ही कम्पनी के कार्यों की देख-रेख के लिये बनाई गई।

१८१३ ई० में पार्लियामेन्ट ने एक दूसरा नियम पास किया। इसके अनुसार हिन्दोस्तान में कम्पनी के राज्यों की राजसत्ता ब्रिटिश सम्राट के हाथ में दे दी गई। ब्रिटेन निवासी सभी अँग्रेज़ों को यह स्वतन्त्रा दे दी गई

कि जो चाहें लाइसेन्स लेकर हिन्दोस्तान से व्यापार कर सकते हैं। इसी साल पार्लियामेन्ट ने यह भी निश्चित किया कि कम्पनी एक लाख रुपया प्रति वर्ष हिन्दुस्तानियों की शिक्षा पर ख़र्च करे। १८३३ ई० में पार्लियामेन्ट ने एक नया कानून पास कर गवर्नर जनरल और उसकी कौंसिल को समूचे हिन्दोस्तान के लिये क़ानून बनाने, टैक्स लगाने तथा व्यय करने का अधिकार दे दिया। १८५३ ई० के ऐक्ट के अनुसार पार्लियामेन्ट ने यह स्वीकार कर लिया कि कम्पनी केवल व्यापारी संस्था नहीं है बल्कि वह एक राजनैतिक शक्ति भी है। इन तरह-तरह के क़ानूनों द्वारा पार्लियामेंट कम्पनी को धीरे-धीरे अपने अधिकार में करती जा रही थी। साथ ही उसे यह भी भय था कि कम्पनी राजनैतिक उलझनों में पड़कर अपने व्यापार से हाथ न धो बैठे। इतनी देख-रेख रखने पर भी कम्पनी अपने आप को सभाल न सकी। १८५७ ई० में हिन्दोस्तान में एक बहुत बड़ी क्रान्ति हुई। इसी समय से भारतीय इतिहास और शासन विधान का नया अध्याय आरम्भ होता है।

तृतीय काल

(१८५८—१९१९) १८५७ के ग़दर से पार्लियामेंट को एक बहुत बड़ी शिक्षा मिली। उसे यह पूरी तरह ज्ञात हो गया कि कम्पनी हिन्दोस्तान में राज्य करने के लिये सभी प्रकार से अयोग्य है। १८५८ ई० के एक ऐक्ट के अनुसार पार्लियामेंट ने कम्पनी के हाथ से हिन्दोस्तान की सारी राजनैतिक शक्ति अपने हाथों में ले ली। कोर्ट आफ़ डाईरेक्टर्स और बोर्ड आफ़ कन्ट्रोल दोनों तोड़ दी गईं। इनके सारे अधिकार 'सिक्रेट्री आफ़ स्टेट फ़ार इन्डिया' को सुपुर्द कर

दिये गये। इसी को भारत-मन्त्री कहते हैं। यह पार्लियामेन्ट, ब्रिटिश कैबिनेट तथा प्रिवी कौन्सिल का सदस्य होता है। इसकी सहायता के लिये १५ सदस्यों की एक सभा (India Council) बना दी गई। यही भारत-मन्त्री अपनी कौन्सिल की मदद से हिन्दोस्तान का शासन करने लगा। ब्रिटेन में इस प्रकार के जो परिवर्तन किये गये वे थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ आज भी मौजूद हैं। भारत सरकार से उनका सम्बन्ध भी उसी रूप में चला आ रहा है।

कम्पनी के टूट जाने से हिन्दोस्तान की भी राजनैतिक मशीन में अनेक परिवर्तन किये गये। क़ानून बनाने के लिये गवर्नरों तथा गवर्नर जनरल को जो अधिकार दिये गये थे उनमें कुछ और वृद्धि कर दी गई। उन्हें सलाह देने के लिये जो कौन्सिलें बनाई गई थीं उनमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इसी काल में केन्द्रीय और प्रान्तीय धारा सभाओं का निर्माण हुआ। धारा सभाओं में ग़ैर सरकारी सदस्य भी नियुक्त किये गये। गवर्नर और गवर्नर जनरल उन्हें नामज़द करते थे। १९०९ ई० में भारतीय शासन में मार्ले-मिन्टो नामक सुधार किया गया। इसके अनुसार केन्द्रीय और प्रान्तीय धारा सभाओं में सदस्यों की संख्या और भी अधिक कर दी गई। हिन्दोस्तान में इस समय राष्ट्रीय भावनाओं की वृद्धि हो रही थी। लोगों की यह माँग थी कि शासन में उन्हें अधिक से अधिक अधिकार दिये जायँ। इसी बीच में १९१४ ई० में जर्मनी की बड़ी लड़ाई आरम्भ हुई। हिन्दुस्तानियों ने धन और जन दोनों से ब्रिटिश सरकार की मदद की। ब्रिटिश सरकार ने इस सहायता की प्रशंसा की और १९१७ ई० में भारत-मन्त्री मानटेग्यु साहब को हिन्दोस्तान में भेजा। पार्लियामेंट ने यह वादा किया कि भारत-मन्त्री की रिपोर्ट आने

र हिन्दुस्तानियों को अधिक से अधिक राजनैतिक अधिकार प्रदान
किये जायँगे। मान्टेग्यु साहब ने हिन्दोस्तान के वाइसराय लार्ड चेम्स-
फ़ोर्ड के साथ सारे भारत का भ्रमण किया। इनकी सम्मिलित रिपोर्ट
मानटेग्यु चेम्सफ़ोर्ड रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इसी के आधार पर
१९१९ ई० में हिन्दोस्तान के शासनविधान में अनेक परिवर्तन किये
गये। हिन्दुस्तानियों को बहुत से शासन सम्बन्धी अधिकार प्रदान किये
गये, लेकिन वे किसी भी वर्ग को सन्तुष्ट न कर सके। राजनैतिक
अधिकारों की माँग जारी रही।

चतुर्थ काल

(१९१९—१९३५) १९१९ ई० के शासन सुधार के अनुसार
केन्द्रीय तथा प्रान्तीय दोनों धारा सभाओं में निर्वाचित सदस्यों की
संख्या बढ़ा दी गई। मताधिकार का क्षेत्र भी पहिले से बड़ा कर दिया
गया। धारा सभा के सदस्यों को सरकारी आय व्यय पर टीका-टिप्पणी
करने का अधिकार मिल गया। इस शासनसुधार में सब से मार्के की
बात यह हुई कि प्रान्तों में दोहरा शासन (Dyarchy) स्थापित किया
गया। प्रान्त के कुछ विषय भारतीय मन्त्रियों के हाथ में दे दिये गये
और बाकी की ज़िम्मेवारी गवर्नर तथा उसके कौन्सिलर्स को दे दी गई।
इस शासनसुधार के अनुसार गृह सरकार (Home Government)
में भी कुछ परिवर्तन किये गये। इन्डिया कौन्सिल के सदस्यों की संख्या
८ और १२ के बीच में निश्चित कर दी गई। अब तक भारत-मन्त्री का
वेतन भारतीय खज़ाने से दिया जाता था, परन्तु अब वह इङ्गलैंड के
खज़ाने से दिया जाने लगा। भारत सरकार की ओर से ख़रीद फ़रोख्त के
लिये इङ्गलैंड में एक हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। १९१९ ई० में

पार्लियामेन्ट ने यह वादा किया कि १० वर्ष बाद अर्थात् सन् १९२९ ई० में एक कमीशन नियुक्त किया जायगा जो भारतीय शासन-विधान की सफलता और असफलता पर विचार करेगा।

दो वर्ष पहिले ही यानी १९२७ ई० में साइमन कमीशन हिन्दोस्तान भेजा गया। इसका उद्देश्य भारतीय शासन-विधान की जाँच करना था। इसे "सफेद कमीशन" भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक भी हिन्दुस्तानी शरीक नहीं किया गया था। देश के सभी दलों ने इस कमीशन का विरोध किया। कांग्रेस ने तो सत्याग्रह आन्दोलन भी आरम्भ कर दिया। १९३० ई० में इस कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसी में यह सलाह दी गई थी कि हिन्दोस्तान में प्रान्तीय स्वराज्य (Provincial Autonomy) की स्थापना की जाय। संघ-शासन स्थापित करने का कोई ज़िक्र नहीं किया गया था। इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिये १९३०, १९३१ और १९३२ ई० में क्रमशः तीन गोलमेज़ सभायें इङ्गलैंड में की गईं। इनमें हिन्दोस्तानियों ने भी हिस्सा लिया। अन्त में यह निश्चित किया गया कि हिन्दोस्तान में संघ शासन की स्थापना की जाय। भारतीय इतिहास में यह पहिला समय था जब कि ब्रिटिश प्रान्तों और देशी रियासतों के सम्मिलित शासन-विधान की आवश्यकता महसूस की गई। इसी के फल स्वरूप १९३५ ई० में सारे हिन्दोस्तान के लिये एक संघ शासन विधान बनाया गया।

पंचम काल

(१९३५ ई०—) यदि योरप में लड़ाई आरम्भ न हुई होती तो आज हिन्दोस्तान में संघ शासन पूरी तरह लागू हो गया होता। चूँकि ब्रिटिश सरकार बहुत ही संकट में है, इसलिये १९१९ का ही शासन

विधान अभी तक चल रहा है। १९३७ ई० में प्रान्तों में संघ शासन विधान लागू कर दिया गया। केन्द्र और जिला बोर्डों में अभी तक वही १९१९ का पुराना शासन चल रहा है। यह कोई भी नहीं कह सकता कि कब यह नया शासन पूरी तरह लागू कर दिया जायगा।

ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने अभी हाल में ही यह एलान किया है कि भारतवासियों को अपने राजनैतिक प्रबन्ध में काफ़ी अधिकार दिये जायेंगे। स्टैफ़ोर्ड क्रिप्स इसी सम्बन्ध में इंगलैंड से यहाँ आ रहे हैं। देखें उनके आने का क्या परिणाम होता है और पार्लियामेन्ट की देन कैसी होती है।

संघ शासन-विधान

१९३५ ई० में जो संघ शासन-विधान बनाया गया उसके अनुसार ब्रिटिश प्रान्तों और देशी रियासतों को एक सूत्र में बाँध दिया गया है। समूचे हिन्दोस्तान के लिये एक संघ न्यायालय स्थापित किया गया है। केन्द्रीय कार्य-कारिणी तथा धारा सभा में भी अनेक परिवर्तन किये गये हैं। प्रान्तों का दोहरा शासन तोड़ कर केन्द्र में यही दोहरा शासन स्थापित कर दिया गया है। गवर्नर जनरल के अधिकार पहिले से अधिक बढ़ा दिये गये हैं। अब उसकी ज़िम्मेवारी सीधी सम्राट से कर दी गई है। जिन विषयों का प्रबन्ध अपनी कार्य-कारिणी के साथ वह करने का अधिकारी है उनके लिये वह सम्राट के प्रति उत्तरदायी है। बाकी विषयों में उसका उत्तरदायित्व भारत-मन्त्री के प्रति रक्खा गया है। बर्मा हिन्दोस्तान से अलग कर दिया गया है। विहार उड़ीसा से और सिन्ध बम्बई से अलग कर के नये सूबे क़रार दिये गये हैं। प्रान्तों में प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना

की गई है। कुछ प्रान्तों में छोटी और बड़ी दो धारा सभायें बनाई गई हैं। वोट देने का अधिकार पहिले से अधिक व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिये केन्द्र और प्रान्त दोनों जगह पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त किये गये हैं। शासन के सभी क्षेत्रों में हिन्दुस्तानियों को पहिले से अधिक अधिकार दिये गये हैं।

संघ शासन के गुण दोष

हिन्दोस्तान संघ शासनविधान के लिये बहुत ही उपयुक्त है। इसके राजनैतिक विभाग बहुत ही स्पष्ट और सम्मिलित हैं। यहाँ के निवासियों की प्रबल इच्छा रही है कि एक संघ शासनविधान बनाया जाय। इतनी चाह रखते हुये भी वर्तमान संघ शासनविधान से कोई भी भारतवासी सन्तुष्ट नहीं है। इसकी वजह यह है कि इस संघ शासनविधान में कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जो इसे दूषित कर देती हैं। सब से पहिली बात तो यह है कि यह पार्लियामेंट द्वारा उसी की मर्ज़ी से बनाया गया है। किसी भी देश का शासनविधान वहीं के निवासियों द्वारा बनना चाहिये। यदि सच्चे संघ शासन की स्थापना करनी है तो यह तभी सम्भव है जब कि हिन्दुस्तानी स्वयम् अपनी इच्छानुसार इसे बनायें। पार्लियामेंट एक विदेशी संस्था है। इसकी बनाई हुई चीज़ हिन्दुस्तानियों को मान्य नहीं हो सकती। अर्थात् यह संघ शासनविधान स्वदेशी न होकर विदेशी है।

दूसरी कमज़ोरी शासन की मशीन में है। संघ धारा सभाओं में छोटी सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रक्खा गया है। इससे आम जनता के अधिकार कम हो जाते हैं। गवर्नरों तथा गवर्नर जनरल को इतने

ज़्यादे अधिकार दे दिये गये हैं कि वे जनता की राय को ठुकरा सकते हैं। ८५ प्रतिशत सरकारी आय गवर्नर जनरल की इच्छानुसार ख़र्च की जायगी। किसी देश के संघ शासनविधान में राजनैतिक इकाइयों (Political Division) में कोई भेद भाव नहीं होना चाहिये। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो संघ शासनविधान बनाया गया है, उसमें छोटी और बड़ी सभी रियासतों में समानता का व्यवहार बरता गया है। सब में प्रजातन्त्रवादी शासन है। इसके विपरीत भारतीय संघ शासनविधान में राजनैतिक इकाइयों में कोई समता नहीं रक्खी गई है। ब्रिटिश प्रान्तों में तो प्रान्तीय स्वराज्य स्थापित किया है, परन्तु देशी रियासतों में वही निरंकुश शासन जारी है। संघ शासनविधान में शामिल होने के लिये ब्रिटिश प्रान्तों को अनिवार्य ठहराया गया है, लेकिन देशी रियासतों पर यह नियम लागू नहीं है। व अपनी इच्छा-नुसार संघ में शरीक हो सकती हैं। यदि कोई रियासत संघ में शरीक न होना चाहे तो वह इससे बाहर भी रह सकती है। ब्रिटिश प्रान्तों को यह स्वतन्त्रता नहीं दी गई है।

सारांश

भारतीय शासन विधान का निर्माण एक या दो दिन में नहीं किया गया है। लगभग १५० वर्षों में इसका क्रमशः विकास हुआ है। १६०० ई० में ईस्ट इन्डिया कम्पनी की स्थापना इङ्गलैंड में हुई थी। कम्पनी का उद्देश्य हिन्दोस्तान से व्यापार करना था। व्यापार की वृद्धि के साथ-साथ वह हिन्दोस्तान की राजनीति में भी हिस्सा लेने लगी। १७६५ ई० के बाद कम्पनी के हाथ में राजनैतिक शक्ति आती गई। मुग़ल साम्राज्य

धीरे-धीरे कमज़ोर होता गया और एक के बाद दूसरे प्रान्त कम्पनी के हाथ में आते गये। अध्ययन की सुविधा के लिये भारतीय शासन विधान पाँच कालों में बाँटा जा सकता है :—

१—प्रथम काल (१६००—१७६५)
२—द्वितीय काल (१७६५—१८५८)
३—तृतीय काल (१८५८—१९१९)
४—चतुर्थ काल (१९१९—१९३५)
५—पंचम काल (१९३५—)

पहिले दो कालों में कम्पनी व्यापार करती और भारतीय शासन में थोड़ा बहुत हाथ भी डालती रही। १८५७ ई० तक हिन्दोस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से की वह मालिक बन बैठी। कम्पनी को संभालने और उसकी व्यापारिक उन्नति को ठीक रखने के लिये पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग ऐक्ट, पिट्स इन्डिया बिल तथा और भी क़ानून पास किया। १८१३, १८३३, १८५३ में जो ऐक्ट पास किये गये उनसे कम्पनी की हालत और भी दृढ़ होती गई। कम्पनी की कमज़ोरियों के कारण १८५७ ई० में एक भारतीय राज्य क्रान्ति हुई। पार्लियामेंट को अब यह विदित हो गया कि हिन्दोस्तान की राजनैतिक ज़िम्मेवारी इतनी बढ़ गई है कि कम्पनी उसे नहीं निबाह सकती। इसीलिये १८५८ ई० में भारतीय शासन की ज़िम्मेवारी पार्लियामेंट ने स्वयम् अपने हाथों में ले ली। कम्पनी की देख-रेख के लिये इङ्गलैंड में कोर्ट आफ़ डाइरेक्टर्स और बोर्ड आफ़ कन्ट्रोल नाम की दो सभायें थीं। इन्हें तोड़कर भारत-मन्त्री तथा इन्डिया कौन्सिल का निर्माण किया गया। तब से यही व्यक्ति और कौन्सिल हिन्दोस्तान के कर्ता-धर्ता हैं।

अन्तिम तीन कालों में हिन्दोस्तान में केन्द्रीय शासन की शक्ति बढ़ती गई। अनेक सुधारों और परिवर्तनों के बावजूद भी हिन्दुस्तानियों की राजनैतिक माँगें बराबर बनी रहीं। १९०९ तथा १९१९ ई० में जो सुधार किये गये उनसे भारतवासी सन्तुष्ट न रहे। अन्त में १९३५

ई० में एक संघ शासन-विधान बनाया गया। इसके अनुसार प्रान्तों में प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना की गई है। ब्रिटिश प्रान्तों और देशी रियासतों को एक सूत्र में बाँधा गया है। शासन के सभी क्षेत्रों में भारतवासियों को पहिले से अधिक अधिकार दिये गये हैं। वर्तमान युद्ध के कारण अभी तक यह शासन विधान लागू नहीं किया गया है। हिन्दोस्तान का कोई भी राजनैतिक दल इस संघ शासन से सन्तुष्ट नहीं है। इसमें कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जो राजनैतिक अधिकारों को शक्तिहीन कर देती हैं। देखें यह नया शासन कब तक लागू किया जाता है और इसमें क्या-क्या परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन की चर्चा भी चल पड़ी है।

प्रश्न

१—भारतीय शासन विधान का विकास किन-किन कालों में बाँटा गया है? यह विभाजन किस आधार पर किया गया है?

(What are the important periods of constitutional development in India? On what basis this division is justified?

२—ईस्ट इंडिया कम्पनी व्यापारिक संस्था से बढ़ते-बढ़ते एक राजनैतिक जमात हो गई। यह परिवर्तन कैसे हुआ?

(The East India Company came to India as a commercial body but it became a political body. How did this transition take place?)

३—१९१९ के राजनैतिक सुधार में मुख्य कौन-कौन सी बातें हैं। भारतीयों की माँग इससे क्योंकर पूरी नहीं हुई?

(What are the salient features of the constitutional reforms of 1919? Why did it fail to satisfy the Indians' demands?)

४—वर्तमान भारतीय संघ शासन की क्या-क्या विशेषतायें हैं।

(What are the main characteristics of the present Federal Constitution of India ?)

५—वर्तमान भारतीय संघ शासन में कौन-कौन सी कमज़ोरियाँ हैं ? उनसे नागरिक की वैधानिक स्वतन्त्रता में कैसे बाधायें पड़ेंगी।

(What are the main defects in the present Federal Constitution of India and how far they are detrimental to the Indians' constitutional liberty ?)

अध्याय ११

गृह सरकार

और देशों की तरह भारतीय शासन की भी मशीन एक ही है। लेकिन इसके कुछ पुर्ज़े ६,००० मील दूर ब्रिटेन में रक्खे गये हैं और बाकी इसी देश में काम करते हैं। ब्रिटेन में काम करने वाले पुर्ज़े सब से पहिले चलते हैं। इसके बाद उन्हीं की ताक़त से यहाँ के पुर्ज़े अपनी-अपनी जगह घूमते हैं। तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष का राजनैतिक प्रबन्ध करने के लिये दो सरकारें बनाई गई हैं। जो सरकार ब्रिटेन में है उसे गृह सरकार और जो हिन्दोस्तान में है उसे भारत सरकार कहते हैं। कुछ पदाधिकारी गृह सरकार के अन्दर कार्य करते हैं और वहीं से अपनी आज्ञायें तथा सलाहें भारत सरकार को देते रहते हैं। उनका खर्च भारत सरकार अपने खज़ाने से देती है। गृह सरकार के अन्दर निम्नलिखित सभायें और पदाधिकारी हैं :—

१—सम्राट

२—पार्लियामेंट

३—भारत-मन्त्री और इन्डिया कौन्सिल

४—हाई कमिश्नर फ़ार इन्डिया

सम्राट

१८५८ ई० के ऐक्ट के अनुसार भारत की राजसत्ता ब्रिटिश

सम्राट के हाथों में रक्खी गई है। कहने के लिये उसके अधिकारों का कोई अन्त नहीं है, लेकिन कार्यरूप में वह कुछ नहीं कर सकता। प्रधान मंत्री और पार्लियामेंट की इच्छानुसार उसे कार्य करना पड़ता है। उसका ख़र्च पार्लियामेंट प्रति वर्ष अँग्रेज़ी ख़ज़ाने से देती है। तरह-तरह के सामाजिक और राजनैतिक बन्धनों से वह बँधा हुआ है। अपनी स्वतन्त्र इच्छा से एक शब्द भी किसी सभा सुसाइटी में उसे बोलने का अधिकार नहीं है। इतना ज़रूर है कि ब्रिटिश साम्राज्य में उसका दर्जा सब से ऊँचा समझा जाता है। उसी के नाम पर युद्ध और सन्धि होती है। न्याय भी उसी के नाम पर किया जाता है सिक्कों पर उसी की तसवीर अंकित रहती है। गवर्नर, गवर्नर जनरल, हाईकोर्ट के जज तथा अन्य बड़े-बड़े कर्मचारियों को वही नियुक्त करता है। उसका व्यक्तित्व सब से बड़ा और पवित्र माना जाता है।

पार्लियामेन्ट

सम्राट तो केवल नाम मात्र के लिये प्रधान बनाया गया है। सारा काम पार्लियामेंट करती है। वास्तव में भारत की राजसत्ता इसी के हाथों में है। हिन्दोस्तान में जितने भी क़ानून पास होते हैं उन पर अन्तिम निर्णय यही देती है। किसी भी क़ानून को, जिसे भारतीय धारा सभा ने पास किया है, वह रद्द कर सकती है। पार्लियामेंट में दो सभायें हैं। बड़ी सभा का नाम लार्ड सभा (House of Lords) और छोटी सभा का नाम कामन सभा (House of Commons) है। लार्ड सभा में लगभग ७०० सदस्य होते हैं। ये सभी ब्रिटेन के धनी-मानी लोग तथा बड़े-बड़े विद्वान होते हैं। एक भी सदस्य जनता का प्रतिनिधि नहीं होता। यह सभा कभी भंग नहीं की

जाती। कामन सभा के साथ एक ही सभाभवन में अलग एक बड़े हाल में इसकी बैठक होती है। इसका सभापति लार्ड चान्सलर कहलाता है। कामन सभा में ६०० के लगभग सदस्य हैं। ये आम जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इसका सभापति स्पीकर कहलाता है, लेकिन उसे सभा-भवन में बोलने की आज्ञा नहीं है। इस सभा का चुनाव हर पाँचवें साल होता है। लार्ड सभा से भारत सरकार का कोई ख़ास सम्बन्ध नहीं है। गवर्नर जनरल और वायसराय लार्ड ख़ानदान के ही होते हैं। अपने पद से विश्राम पाकर जब वे ब्रिटेन को वापस जाते हैं तो आमतौर से लार्ड सभा के सदस्य बना दिये जाते हैं। प्रिवी कौन्सिल, जो ब्रिटिश साम्राज्य की सब से बड़ी कचहरी कहलाती है, इसी लार्ड सभा के सदस्यों की बनाई जाती है।

'पार्लियामेंट' शब्द कामन सभा के लिये अधिक प्रचलित है। सब कुछ अधिकार इसी सभा को दिये गये हैं। लार्ड सभा नाम-मात्र के लिये बनाई गई है। भारत सरकार का घनिष्ठ सम्बन्ध इसी कामन सभा से है। यह सभा भारत सरकार पर कड़ी नज़र रखती है। भारतीय शासन-प्रबन्ध की नीति यही निर्धारित करती है। भारतीय आय-व्यय का फ़ैसला यही करती है। जब कभी भारतीय शासन-विधान में कोई संशोधन या परिवर्तन किया जाता है तो पार्लियामेंट की ही मर्ज़ी से ऐसा होता है। भारत सरकार अपनी कारवाइयों के लिये पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। इस सभा में हिन्दोस्तान से सम्बन्ध रखने वाले तरह-तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। वह जब चाहे भारतीय शासन-विधान को बदल सकती है। इसकी मर्ज़ी के बिना भारतवासियों को राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। यदि यह

हिन्दोस्तान को पूर्ण स्वतन्त्रता देना चाहे तो एक दिन में ऐसा कर सकती है। गृह सरकार के अन्दर इतनी अधिक शक्ति और किसी को भी प्राप्त नहीं है।

भारत-मन्त्री और इन्डिया कौन्सिल

पार्लियामेंट की ज़िम्मेवारियाँ इतनी अधिक हैं कि वह सारा काम सीधे अपने हाथों में नहीं रख सकती। १८५८ ई० में जब उसने ईस्ट-इन्डिया कम्पनी के हाथ से भारतीय शासन का भार अपने हाथों में ले लिया तो उसे इस बात की आवश्यकता पड़ी कि एक ऐसी शक्ति बनाई जाय जिसके द्वारा वह भारत सरकार पर नियन्त्रण रख सके। कोर्ट आफ़ डाइरेक्टर्स और बोर्ड आफ़ कन्ट्रोल दोनों को तोड़ कर भारत-मंत्री (Secretary of State for India) की नियुक्ति की गई। इन दोनों सभाओं के सारे अधिकार इसी को दे दिये गये। इसकी सहायता के लिये १२ सदस्यों की एक सभा बना दी गई, जिसका नाम इन्डिया कौन्सिल रक्खा गया। यही भारत-मंत्री अपनी कौन्सिल की सलाह से भारतवर्ष के शासन को चलाता है। इसकी नियुक्ति सम्राट प्रधान-मंत्री की सलाह से करता है। अपने सभी कार्यों के लिये वह पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। गवर्नर जनरल एक भी काम इसकी आज्ञा के बिना नहीं कर सकता। प्रति वर्ष पहिली मई के बाद पार्लियामेंट के सामने वह भारतीय आय-व्यय की सूची पेश करता है। उसी समय एक लम्बे व्याख्यान में वह पार्लियामेंट के सामने हिन्दोस्तान की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक परिस्थिति पर प्रकाश डालता है। जब कभी पार्लियामेंट में भारतीय विषयों पर कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका जवाब भारत-मंत्री को देना पड़ता है।

भारतमंत्री पार्लियामेंट, कैबिनेट तथा प्रिवी कौन्सिल का एक सदस्य होता है। ब्रिटिश प्रान्तों के गवर्नर, कमान्डर इन चीफ़, गवर्नर जनरल की कौन्सिल के सदस्य—इन सब की नियुक्ति उसी की सलाह से की जाती है। हिन्दोस्तान की केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें उसकी मातहती में काम करती हैं। गृह सरकार और भारत सरकार के बीच जितने भी पत्र-व्यवहार होते हैं उन सब पर उसकी दस्तख़त होती है। यद्यपि वह अपना सारा समय भारत सम्बन्धी कार्यों में व्यतीत करता है, परन्तु उसका वेतन अँग्रेज़ी ख़ज़ाने से दिया जाता है। पार्लियामेंट ने उस पर अपना अधिकार बनाये रखने के लिये ऐसा किया है। भारत-मंत्री तथा इन्डिया कौन्सिल के ऊपर लगभग ३५ लाख रुपया सालाना ख़र्च होता है। १९१९ ई० तक यह सारा ख़र्च हिन्दोस्तान को देना पड़ता था। लेकिन १९१९ ई० से आधा ख़र्च अँग्रेज़ी ख़ज़ाने से और आधा भारतीय ख़ज़ाने से दिया जाता है। प्रति सप्ताह भारत-मंत्री और गवर्नर जनरल के बीच में गुप्त पत्र व्यवहार होता रहता है। भारत-मंत्री को हिन्दोस्तान की छोटी-छोटी बातों का भी पता रहता है।

जो सभा भारत-मंत्री को भारतीय विषयों में सलाह देती है उसका नाम इन्डिया कौन्सिल है। इसमें कम से कम आठ और अधिक से अधिक बारह सदस्य होते हैं। इनमें आधे सदस्य ऐसे होते हैं जो हिन्दोस्तान में कम से कम दस वर्ष तक भारत सरकार की नौकरी कर चुके हों और उन्हें नौकरी छोड़े पाँच वर्ष से अधिक न हुआ हो। तीन हिन्दुस्तानी भी इस सभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य को ४५,००० रुपया सालाना वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय सदस्यों

को ९,००० रुपया सालाना भत्ता भी दिया जाता है। इन्डिया कौन्सिल के सदस्य पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते। इन्हें हटाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, यद्यपि भारत-मंत्री स्वयम् इन्हें नियुक्त करता है। १९३५ के शासन विधान के अनुसार एक अप्रैल सन् १९३७ ई० को इन्डिया कौन्सिल तोड़ दी गई। इसके स्थान पर भारत-मंत्री को यह अधिकार दिया गया है कि वह कम से कम ३ और अधिक से अधिक ६ व्यक्तियों को अपनी सहायता के लिये चुन ले। ये व्यक्ति सलाहकार (Advisers) कहलाते हैं। इनकी नियुक्ति अधिक से अधिक ५ वर्ष के लिये की जाती है। कोई भी सलाहकार दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता।

हाई कमिश्नर फ़ार इन्डिया

१९१९ ई० के ऐक्ट के अनुसार यह पदाधिकारी पहिले पहिल नियुक्त किया गया था। कई हिन्दुस्तानी भी इस पद पर कार्य कर चुके हैं। वर्तमान हाई कमिश्नर एक भारतीय मुसलमान हैं। हाई कमिश्नर की नियुक्ति ५ वर्ष के लिये की जाती है। गवर्नर जनरल स्वयम् इसे नियुक्त करता है। भारतीय ख़ज़ाने से इसे ४,००० रुपया मासिक वेतन दिया जाता है। इस पदाधिकारी को पेन्शन नहीं दी जाती। यदि वह किसी सरकारी पद से भेजा गया है तो वह पेन्शन पाने का हक़दार होता है। भारत सरकार को प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की चीज़ें विदेशों से लेनी पड़ती हैं। यह सब ख़रीद हाई कमिश्नर द्वारा की जाती है। एक प्रकार से हाई कमिश्नर इङ्गलैंड में गवर्नर जनरल का एजेन्ट है। वह ब्रिटेन में भारतवर्ष के लिये ख़रीद-फ़रोख्त का काम करता है।

गृह सरकार और भारत सरकार

भारतीय शासन को अच्छी तरह चलाने के लिये यह आवश्यक है कि गृह सरकार और भारत सरकार में किसी प्रकार की उलझन न पड़े। इन दोनों के मतभेद से शासन में अनेक कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। भारत सरकार की आज़ादी उसी मात्रा में बढ़ती जायगी जहाँ तक गृह सरकार अपने राजनैतिक अधिकारों को कम करेगी। गृह सरकार हिन्दोस्तान से इतनी दूर है कि उसे यहाँ की वास्तविक परिस्थिति का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिये भारतीय जनता की भलाई के लिये उसे भारत सरकार को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान करने चाहिये।

सारांश

हिन्दोस्तान का शासन प्रबन्ध कुछ ब्रिटेन से और कुछ हिन्दोस्तान में ही होता है। सम्राट, पार्लियामेन्ट, भारत-मन्त्री, इन्डिया कौन्सिल तथा हाई कमिश्नर फ़ार इन्डिया ब्रिटेन में भारतवर्ष का शासन सम्बन्धी कार्य करते हैं। इन सब का सामूहिक नाम 'गृह सरकार' है। इन सब में पार्लियामेंट और भारत-मन्त्री का सम्बन्ध भारत सरकार से घनिष्ठ और गहरा है। इन्हीं की मर्ज़ी से यहां के बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं। पार्लियामेंट ही भारतीय शासन की नीति निर्धारित करती है। भारतीय धारा सभाओं द्वारा पास किये गये क़ानून तब तक लागू नहीं किये जा सकते जब तक पार्लियामेन्ट उन्हें मंज़ूर न कर दे। भारत-मन्त्री की सलाह के लिये ८ से १२ सदस्यों की एक सभा होती है। इसका नाम इन्डिया कौन्सिल है। ये सदस्य भारत-मन्त्री द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। १९३५ ई० के शासन विधान के अनुसार इन्डिया कौन्सिल तोड़ दी गई और इसकी जगह पर कुछ सलाहकार

(Advisers) नियुक्त कर दिये गये गये हैं। इनकी संख्या कम से कम ३ और अधिक से अधिक ६ हो सकती है। भारत-मन्त्री इन्हें नियुक्त करता है, परन्तु इन्हें हटाने का अधिकार केवल पार्लियामेन्ट को है। हाई कमिश्नर फ़ार इन्डिया की नियुक्ति गवर्नर जनरल करता है। इसका काम लन्दन में भारत सरकार सम्बन्धी ख़रीद फ़रोख्त करना है।

प्रश्न

१—गृह सरकार से आप क्या तात्पर्य समझते हैं? इसके अन्दर कौन-कौन से कर्मचारी कार्य करते हैं?

(What do you understand by Home Government? What are the main authorities under it?)

२—पार्लियामेन्ट क्या है? भारत सरकार से इसका क्या सम्बन्ध है?

(What is 'Parliament' and how is it related to the Government of India?)

३—भारत मन्त्री की नियुक्ति कैसे होती है? उसके क्या-क्या कर्तव्य हैं? भारतीय सरकार पर उसका अधिकार किस प्रकार निर्धारित किया गया है।

(How is the Secretary of State for India appointed and what are his functions? In what ways does he control the policy of the Indian Government?)

४—'इन्डिया कौंसिल' क्या है? इसकी बनावट तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिये।

(What is India Council? Describe its constitution and functions.)

५—'गृह सरकार' और 'भारत सरकार' में कैसा सम्बन्ध रहना चाहिये?

(What should be the relation of the Home Government to the Government of India?)

अध्याय १२

केन्द्रीय सरकार

केन्द्रीय सरकार का दूसरा नाम भारत सरकार या गवर्नमेंट आफ़ इन्डिया है। इसका प्रधान दफ़्तर दिल्ली में है। सैकड़ों कर्मचारी इसमें कार्य करते हैं। हिन्दोस्तान की रक्षा तथा शासन प्रबन्ध की सभी ज़िम्मेवारियाँ केन्द्रीय सरकार के ऊपर हैं। प्रान्तीय सरकारें इसी की देख-रेख में अपना कार्य करती हैं। देशी रियासतों पर भी इसकी कड़ी नज़र रहती है। इसी की मर्ज़ी से भारतीय शासन की नीति निर्धारित होती है। साधारण विषयों का प्रबन्ध स्थानीय तथा प्रान्तीय सरकारें करती हैं, लेकिन प्रधान विषय केन्द्रीय सरकार अपने ही हाथों में रखती है। शान्ति, रक्षा, आय-व्यय, सेना आदि आवश्यक विषय इसी के अधिकार में रक्खे गये हैं। सिक्के भी यही चलाती है। केन्द्रीय सरकार के कार्यों को चलाने के लिये निम्नलिखित पदाधिकारी और सभायें बनाई गई हैं :—

१—गवर्नर जनरल और वायसराय

२—केन्द्रीय कार्य-कारिणी सभा (Central Executive).

३—केन्द्रीय व्यवस्थापिक सभा (Central Legislature).

गवर्नर जनरल और वायसराय

गवर्नर जनरल का पद पहिले पहिल १७७३ ई० में बनाया गया।

१८५८ ई० से यही गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगा। इसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट इङ्गलैंड के प्रधान मन्त्री की सलाह से करता है। यह पद इतना ऊँचा और रुतबे का माना जाता है कि साधारण व्यक्ति इसके लिये नियुक्त नहीं किये जाते। ब्रिटेन के लार्ड ख़ानदान के योग्य व्यक्ति ही नियुक्त किये जाते हैं। इसकी नियुक्ति ५ वर्ष के लिये की जाती है। १९२४ ई० तक इसे अपने कार्य काल में छुट्टी नहीं मिल सकती थी, लेकिन अब वह ४ महीने तक की छुट्टी ले सकता है। वह भी एक ही सिलसिले में मिल सकती है। आवश्यकता पड़ने पर पार्लियामेन्ट गवर्नर जनरल का कार्य-काल बढ़ा सकती है। लार्ड डलहौज़ी ने ८ वर्ष तक इस पद पर कार्य किया था। जितना वेतन इसे दिया जाता है उतना संसार के किसी भी पदाधिकारी को नहीं दिया जाता। अमेरिका का प्रेसीडेन्ट भी, जो सब से धनी देश का बादशाह समझा जाता है, इतना वेतन नहीं पाता। गवर्नर जनरल को २,५०,८०० रुपया सालाना वेतन दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर यह २,५६,००० रुपया तक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसे एक बहुत बड़ी रक़म भत्ते के रूप में दी जाती है।

गवर्नर जनरल के अधिकार दो प्रकार के हैं। एक तो उसके निजी अधिकार और दूसरा अपनी कार्यकारिणी सभा के साथ। ये दोनों प्रकार के अधिकार इतने बड़े हैं कि वह एकतन्त्र बादशाह की तरह हिन्दोस्तान पर राज्य कर सकता है। धारा सभाओं द्वारा पास किये गये क़ानूनों को वह नामंज़ूर कर सकता है। उसे यह भी अधिकार है कि अपनी स्वतन्त्र इच्छा से जैसा चाहे क़ानून बना सके।

शान्ति और रक्षा के निमित्त वह ६ महीने के लिये कोई भी फ़रमान (Ordinance) जारी कर सकता है। किसी प्रान्तीय सरकारी कर्मचारी को वह कोई भी आज्ञा दे सकता है। हिन्दोस्तान में बड़े से बड़े अपराधी को वह क्षमा प्रदान कर सकता है। देशी रियासतों में भी उसे हस्तक्षेप करने का अधिकार है। उसकी आज्ञा के बिना किसी भी प्रकार की सन्धि और लड़ाई नहीं की जा सकती। १९३५ के शासन विधान में उसके अधिकार और भी बढ़ा दिये गये हैं। आर्थिक क्षेत्र में भारतीय सरकारी आय का ८५ प्रतिशत उसी को ख़र्च करने का अधिकार है। बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारियों को भारत-मंत्री उसी की सलाह से नियुक्त करता है।

केन्द्रीय कार्य कारिणी सभा

गवर्नर जनरल को सलाह देने तथा शासन सम्बन्धी कार्यों को चलाने के लिये ६ से ८ सदस्यों की एक कौन्सिल बनाई गई है। इसी का नाम केन्द्रीय कार्य कारिणी है। इन सदस्यों को गवर्नर जनरल सम्राट की सलाह से नियुक्त करता है। १९२१ ई० से तीन हिन्दुस्तानी भी इसमें रक्खे जाते हैं। कमान्डर-इन-चीफ़ केन्द्रीय कार्य-कारिणी का एक विशेष सदस्य माना जाता है। गवर्नर जनरल इसका सभापति होता है। सदस्यों की नियुक्ति ५ वर्षों के लिये की जाती है। प्रत्येक सदस्य को लगभग ८०,००० रुपया सालाना वेतन दिया जाता है। कौन्सिल की बैठक सप्ताह में एक बार होती है। वास्तव में यही सभा केन्द्रीय सरकार के शासन सम्बन्धी सभी कामों को करती है।

साधारणतया कार्य-कारिणी में गवर्नर जनरल को लेकर कुल ८ सदस्य होते हैं†। यह सभा विभाग-प्रणाली (Departmental System) द्वारा अपना कार्य करती है। शासन के सभी कार्य आठ विभागों में बाँट दिये गये हैं। प्रत्येक सदस्य एक विभाग का प्रधान होता है। कार्य की सुविधा के लिये प्रत्येक सदस्य को एक मंत्री, उपमंत्री तथा अनेक कर्मचारी दिये गये हैं। इन्हीं की सहायता से वह अपने विभाग का प्रबन्ध करता है। ये विभाग निम्न-लिखित हैं :—

१—राजनैतिक तथा बाह्य विभाग। गवर्नर जनरल स्वयम् इस विभाग का प्रधान होता है।

२—सेना तथा रक्षा विभाग। कमान्डर-इन-चीफ़ इसका प्रधान होता है।

३—सरकारी नौकरियाँ, पुलीस, जेल, क़ानून, न्याय तथा भीतरी राजनीति—इन विभागों का प्रधान होम मेम्बर कहलाता है।

४—अर्थ तथा बजट विभाग। इसका प्रधान फ़िनान्स मेम्बर कहलाता है।

५—रेल, सड़कें, पोस्ट तथा टेलीग्राफ़, ब्राडकास्ट, हवाई जहाज़—इन सब की ज़िम्मेवारी एक सदस्य पर होती है।

६—क़ानून विभाग। इसका प्रधान ला मेम्बर कहलाता है।

७—शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि—इनकी ज़िम्मेवारी एक सदस्य पर होती है।

---

† वर्तमान विश्व व्यापी युद्ध के कारण सदस्यों की संख्या इस समय १० कर दी गई है। इनमें ६ हिन्दुस्तानी और ४ अंग्रेज़ हैं।

८—व्यापार, उद्योग धंधे, बीमा, मज़दूर, सिंचाई आदि कार्यों की ज़िम्मेवारी एक सदस्य पर होती है।

कार्य कारिणी विभाग के सभी सदस्य इसी प्रकार अपने-अपने विभागों का प्रबन्ध करते हैं। जब कभी कोई गम्भीर प्रश्न किसी विभाग में पैदा होता है तो पूरी कौन्सिल के सामने वह पेश किया जाता है।

संघ शासन विधान में केन्द्रीय कार्य कारिणी

१९३५ ई० के संघ शासनविधान में केन्द्रीय सरकार के अन्दर दो कार्य कारिणी सभायें बनाई गई हैं। चूँकि अभी संघ शासन पूरी तरह लागू नहीं किया गया है इसलिये इस संघ कार्य कारिणी का भी निर्माण नहीं हुआ है। गवर्नर जनरल के अधिकारों का वर्णन करते समय यह कहा गया है कि उसके अधिकार दो प्रकार के हैं। एक तो वे जिनका वह अपनी स्वतन्त्र इच्छा से प्रयोग करेगा और दूसरे वे जिन्हें कार्य कारिणी की सलाह से काम में लायेगा। रक्षा, वाह्य विभाग, धार्मिक विषय तथा पिछड़े हुए विभागों (Backward Areas) का प्रबन्ध एक मात्र गवर्नर जनरल के हाथों में दिया गया है। इन विषयों में सलाह लेने के लिये वह अधिक से अधिक तीन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा। ये व्यक्ति सलाहकार (Counsellors) कहलायेंगे। इनकी एकमात्र ज़िम्मेवारी गवर्नर जनरल के प्रति होगी। वह इनकी राय को स्वीकार तथा अस्वीकार कर सकेगा।

इनके अतिरिक्त बाक़ी विषयों के प्रबन्ध के लिये एक दूसरी सभा होगी। इसके सदस्य मंत्री (Ministers) कहलायेंगे तथा इनकी सभा मन्त्रियों की सभा (Council of Ministers) कहलायेगी।

इनकी भी नियुक्ति गवर्नर जनरल स्वयम् करेगा। ये मंत्री केन्द्रीय धारा सभा के सदस्य होंगे। इनकी संख्या अधिक से अधिक १० होगी। इन्हीं के हाथों में शासन के भिन्न-भिन्न विभाग रक्खे जायेंगे। केन्द्रीय सरकार के अन्दर यह दोहरी कार्य कारिणी किसी भी दृष्टि से दोषरहित न होगी। जो कठिनाइयाँ १९१९ ई० के प्रान्तीय दोहरे शासन (Dyarchy) में आ गई थीं वे केन्द्रीय शासन में भी पैदा होंगी।

केन्द्रीय धारा सभा

केन्द्रीय धारा सभा का काम सारे हिन्दोस्तान के लिये क़ानून बनाना है। जनता के प्रतिनिधि इन धारा सभाओं में जा कर देश की आवश्यकतानुसार क़ानून बनाते हैं। इसके अतिरिक्त यह सभा सरकारी आय-व्यय की भी देख-रेख करती है। गवर्नर जनरल के विशेष अधिकारों के कारण केन्द्रीय धारा सभा के अधिकार बहुत ही कम हो गये हैं। केन्द्रीय-धारा सभायें दो हैं। बड़ी सभा का नाम कौन्सिल आफ़ स्टेट (Council of State) और छोटी का लेजिसलेटिव असेम्बली (Legislative Assembly) है। कौन्सिल आफ़ स्टेट में कुल ६० सदस्य होते हैं। ३३ जनता द्वारा चुने जाते हैं और बाक़ी को गवर्नर जनरल नामज़द करता है। इसकी अवधि ५ वर्ष रक्खी है। लेकिन गवर्नर जनरल इसका समय घटा बढ़ा सकता है। इसका सभापति वही नियुक्त करता है।

लेजिसलेटिव असेम्बली में कुल १४५ सदस्य होते हैं। १०४ जनता द्वारा चुने जाते हैं और बाक़ी को गवर्नर जनरल नामज़द करता है। असेम्बली की अवधि ३ वर्ष रक्खी गई है लेकिन गवर्नर जनरल इसे घटा बढ़ा सकता है। इसका सभापति स्वयम् इसके सदस्यों द्वारा इन्हीं

में से चुना जाता है। इस छोटी और बड़ी धारा सभा के अधिकार बराबर ही होते हैं। बड़ी सभा में देश के धनी वर्गों के और छोटी सभा में आम जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जब कोई क़ानून बनता है तो दोनों सभायें अलग-अलग बारी-बारी से उस पर विचार करती हैं। दोनों में मतभेद होने पर इनकी सम्मिलित बैठक होती है। २५ वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति इन धारा सभाओं का सदस्य नहीं बन सकता। कोई सरकारी कर्मचारी इनका सदस्य नहीं हो सकता। धारा सभा के सदस्यों को वेतन नहीं दिया जाता।

केन्द्रीय-धारा सभाओं की बैठक दिल्ली में होती है। गवर्नर जनरल इसका समय निश्चित करता है। साधारणतया ११ बजे दिन से ४ बजे शाम तक इसकी बैठक होती है। साल में ५ या ६ महीने इसकी बैठक होती है। बैठक के समय सदस्यों को घर से दिल्ली तक आने जाने का ख़र्च और रोज़ाना भत्ता दिया जाता है। जब कोई क़ानून बनाना होता है तो वह किसी भी सभा में आरम्भ किया जा सकता है। एक सभा में जब उस क़ानून पर तीन बार विचार कर लिया जाता है तो वह दूसरी सभा में भेजा जाता है। वहाँ भी इसी तरह उस पर तीन बार विचार किया जाता है। तब वह क़ानून गवर्नर जनरल की दस्तख़त के लिये भेजा जाता है। जब उसकी दस्तख़त हो जाती है तब वह क़ानून पास समझा जाता है और आम जनता पर लागू किया जाता है। गवर्नर जनरल चाहे तो उस क़ानून को नामंज़ूर कर सकता है। ऐसी दशा में धारा सभाओं का सारा परिश्रम बेकार सिद्ध होता है।

संघ शासन में धारा सभायें

१९३५ के संघ शासन विधान के अनुसार केन्द्रीय धारा सभा का

नाम संघ धारा सभा होगा। इसमें भी छोटी और बड़ी दो धारा सभायें होंगी। बड़ी सभा का नाम कौन्सिल आफ़ स्टेट और छोटी का फ़ेडरल असेम्बली होगा। कौन्सिल आफ़ स्टेट में २६० सदस्य होंगे। इनमें १५६ ब्रिटिश प्रान्तों से जनता द्वारा चुने जायँगे और शेष १०४ देशी रियासतों से राजाओं द्वारा नामज़द होकर आयेंगे फ़ेडरल असेम्बली में कुल ३७५ सदस्य होंगे। इनमें २५० सदस्यों को ब्रिटिश प्रान्तों की धारा सभायें अपने-अपने प्रान्तों से चुन कर भेजेंगी और बाक़ी १२५ को देशी रियासतों के राजा लोग नामज़द करके भेजेंगे। छोटी और बड़ी दोनों सभाओं में एक भी सदस्य सरकार द्वारा नामज़द नहीं किया जायगा। लेकिन इन दोनों सभाओं के सदस्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुने जायँगे। इनकी कार्य पद्धति वह होगी जो वर्तमान धारा सभा की है।

सारांश

केन्द्रीय सरकार का दूसरा नाम भारत-सरकार है। इसे गवर्नमेन्ट आफ़ इन्डिया भी कहते हैं। इसमें निम्न-लिखित पदाधिकारी और सभायें हैं:—

१—गवर्नर जनरल और वायसराय

२—केन्द्रीय कार्य-कारिणी सभा (Central Executive),

३—केन्द्रीय व्यवस्थापिक सभा (Central Legislature).

गवर्नर जनरल का पद १७७३ ई० में पहिले पहिल बनाया गया था। १८५८ ई० से यही वायसराय का पद कहलाने लगा। यह पदाधिकारी इङ्गलैण्ड के लार्ड ख़ानदान में से ५ वर्ष के लिये नियुक्त किया जाता है। इसका वेतन २,५०,८०० रुपया सालाना है। यह प

ब्रिटिश साम्राज्य में सब से बड़े दर्जे का समझा जाता है। इसे इतने अधिकार दिये गये हैं कि यह एक प्रकार से हिन्दोस्तान का बादशाह है। इसकी सहायता के लिये ८ सदस्यों की एक कार्य-कारिणी सभा होती है। शासन के सभी विषय ८ विभागों में बाँटे गये हैं। प्रत्येक सदस्य को एक विभाग की ज़िम्मेवारी दे दी गई है। गवर्नर जनरल इनके कार्यों में जब चाहे हस्तक्षेप कर सकता है। १९३५ के संघ शासन विधान के अनुसार केन्द्रीय कार्य-कारिणी दो भागों में बांट दी गई है। गवर्नर जनरल के निजी अधिकारों में सहायता देने के लिये तीन सलाहकारों की एक कमेटी होगी। बाक़ी विषयों के लिये १० सदस्यों की एक अलग सभा होगी।

क़ानून बनाने के लिये छोटी और बड़ी दो धारा सभायें होती हैं। बड़ी सभा का नाम कौन्सिल आफ़ स्टेट और छोटी का लेजिसलेटिव असेम्बली है। कौन्सिल आफ़ स्टेट में कुल ६० सदस्य होते हैं। ३३ जनता द्वारा चुने जाते हैं और बाक़ी को गवर्नर जनरल नामज़द करता है। लेजिसलेटिव असेम्बली में कुल १४५ सदस्य होते हैं। १०४ जनता द्वारा चुनें जाते हैं और बाक़ी को गवर्नर जनरल नामज़द करता है। बड़ी और छोटी दोनों धारा सभाओं के अधिकार बराबर होते हैं। संघ-शासन विधान के अनुसार बड़ी धारा सभा का नाम कौन्सिल आफ़ स्टेट होगा और इसमें कुल २६० सदस्य होंगे। छोटी धारा सभा का नाम फ़ेडरल असेम्बली होगा और इसमें कुल ३७५ सदस्य होंगे।

प्रश्न

१—'भारत सरकार' से आप क्या तात्पर्य समझते हैं? प्रान्तीय सरकारों को वह किस प्रकार अपने अधिकार में रखती है?

(What is meant by 'Government of India'? How does it control the Provincial Governments?)

२—केन्द्रीय कार्य कारिणी की बनावट का वर्णन कीजिये। संघ शासन विधान में इसके अन्दर क्या-क्या परिवर्तन किये गये हैं ?

(Describe the composition and functions of the Central Executive in India. What changes have been made under the Federal Constitution ?)

३—गवर्नर जनरल के अधिकारों का वर्णन करते हुये केन्द्रीय कार्य कारिणी सभा से उसका सम्बन्ध बतलाइये।

(Describe the powers of the Governor General and his relation to his Executive Council ?)

४—केन्द्रीय धारा सभा कैसे बनाई जाती है ? इसके अन्दर क़ानून कैसे बनते हैं ?

(How is the Central Legislature constituted and in what ways does it make a law ?)

५—आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि केन्द्रीय कार्य-कारिणी तथा केन्द्रीय धारा सभा ये दोनों शक्तिहीन हैं।

(How do you prove that the Central Executive and the Central Legislature are powerless bodies ?)

अध्याय १३

प्रान्तीय सरकार

सारा हिन्दोस्तान दो प्रकार के राजनैतिक विभागों में बाँटा गया है। एक विभाग में ब्रिटिश प्रान्त और दूसरे में देशी रियासतें हैं। ब्रिटिश प्रान्तों की संख्या १७ हैं। इनमें ११ गवर्नर के सूबे और ६ चीफ़ कमिश्नर के सूबे कहलाते हैं। अर्थात् ११ प्रान्तों में प्रधान शासक गवर्नर होते हैं और ६ प्रान्तों में चीफ़ कमिश्नर। सूबों के अतिरिक्त कुल हिन्दोस्तान में लगभग ६०० रियासतें हैं। इस अध्याय में ब्रिटिश प्रान्तों पर ही विचार किया जायगा। देशी रियासतों का वर्णन दूसरे अध्याय में किया गया है। बंगाल, मद्रास, बम्बई, संयुक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त और बरार, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, आसाम, सिन्ध तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश गवर्नर के सूबे कहलाते हैं। दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग, ब्रिटिश विलोचिस्तान, अन्डमन नीकोवार तथा पंथ पिपलौदा चीफ़ कमिश्नर के सूबे कहलाते हैं।

गवर्नर

प्रान्त का सब से बड़ा शासक गवर्नर कहलाता है। इसकी ज़िम्मेवारी अपने प्रान्त में उतनी ही है जितनी गवर्नर जनरल की सारे हिन्दोस्तान में। इसकी नियुक्ति ५ वर्ष के लिये सम्राट द्वारा की जाती है। यह आमतौर से सिविल सर्विस का सदस्य होता है। बंगाल, मद्रास

और बम्बई अहातों (Presidencies) के गवर्नरों का दर्जा और गवर्नरों से ऊँचा समझा जाता है। अहातों के गवर्नरों में प्रत्येक को १,२०,००० रुपया सालाना वेतन दिया जाता है। बाक़ी सूबों के गवर्नर इनसे कम वेतन पाते हैं। गवर्नर जनरल की तरह इसके भी अधिकार दो प्रकार के होते हैं। कुछ विषयों में वह अपनी इच्छानुसार कार्य करता है और कुछ में मंत्रियों की सलाह लेनी पड़ती है। अपने सूबे में शान्ति तथा रक्षा की पूरी ज़िम्मेवारी गवर्नर के ऊपर रहती है। प्रान्त के सभी कर्मचारियों को उसकी आज्ञायें माननी पड़ती हैं। गवर्नर जनरल को छोड़ कर हिन्दोस्तान में वह अन्य पदाधिकारियों का हुक्म मानने के लिये बाध्य नहीं है। जिन विषयों में गवर्नर अपनी स्वतन्त्र इच्छा से कार्य करने का अधिकारी है उसमें किसी के सलाह की आवश्यकता नहीं है। प्रान्तीय मन्त्रि-मंडल के सदस्य एक शब्द भी इनमें नहीं बोल सकते।

प्रान्त में जितनी भी देशी रियासतें हैं उनकी देख-रेख तथा रक्षा की ज़िम्मेवारी उसी को दी गई है। प्रान्त में जो विभाग पिछड़े हुए क़रार दिये गये हैं उनकी भी देख-रेख उसे करनी पड़ती है। प्रान्तीय धारा सभा के कार्यों में उसे हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है। प्रान्त के बहुत से सरकारी कर्मचारियों को वह नियुक्त करता है। प्रान्तीय स्वराज्य उसके हाथ की कठपुतली है। अपने प्रान्त के प्रधान मन्त्री को वही चुनता है। धारा सभा की बैठक कब और कहाँ हो—इसे निर्णय करने का अधिकार उसी को है। प्रान्तीय धारा सभा को वह किसी भी समय भंग कर सकता है, तथा उसकी कारवाइयों को स्थगित कर सकता है। यदि प्रान्तीय धारा सभा कोई

क़ानून पास करती है तो वह उसे नामंज़ूर कर सकता है। विशेष अवसरों पर उसे क़ानून बनाने का भी अधिकार दिया गया है। १९३५ के संघ शासन विधान में उसके अधिकार और भी बढ़ा दिये गये हैं। मन्त्रियों को नियुक्त तथा बर्खास्त करने का अधिकार उसी को दिया गया है। पुलीस सम्बन्धी नियमों की व्यवस्था तथा आतंकवाद का दमन करने के लिये वह अपने निर्णय के अनुसार कार्य कर सकता है। अल्प-संख्यक वर्गों (Minorities) की रक्षा, प्रान्त के बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा तथा प्रान्त में शान्ति भंग का निवारण करने के लिये वह अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकता है।

प्रान्तीय मंत्रि-मंडल

प्रान्त का शासन गवर्नर अकेले नहीं कर सकता। उसे सहायता देने के लिये कुछ व्यक्तियों की एक सभा बनाई गई है। इसी का नाम 'प्रान्तीय मन्त्रि मंडल' है। जब प्रान्तीय धारा सभा के सदस्यों का चुनाव हो जाता है तो बहुमत पार्टी (Majority Party) के लीडर को गवर्नर बुलाता है। उसी को प्रधान मन्त्री नियुक्त करता है। उसे यह आज्ञा देता है कि वह कुछ सदस्यों की एक सभा बना ले। प्रधान मन्त्री अपनी पार्टी के सदस्यों में से ५ या ७ व्यक्तियों को चुन लेता है। यदि वह चाहे तो किसी और पार्टी में से भी एक या दो व्यक्तियों को चुन सकता है। इन सभी व्यक्तियों के लिये यह आवश्यक है कि वे प्रान्तीय धारा सभा के सदस्य हों। इन चुने हुये व्यक्तियों को मन्त्री और इनकी सभा को मन्त्रि-मंडल कहते हैं। प्रधान मन्त्री इस मन्त्रि-मंडल का सभापति होता है। जब तक प्रान्तीय धारा सभा कार्य

करती है तब तक मन्त्रि-मंडल भी अपना कार्य करता रहता है। जब दूसरी धारा सभा बुलाई जाती है तब फिर नया मन्त्रि-मंडल बनाया जाता है।

प्रान्त के सभी विषय कई विभागों में बाँट दिये जाते हैं। शिक्षा, सफ़ाई, न्याय, खेती, स्वास्थ्य आदि विभाग किये जाते हैं। प्रत्येक मन्त्री को एक विभाग का प्रधान बना दिया जाता है। फिर वह सहायक मन्त्रियों तथा अनेक कर्मचारियों की सहायता से नीचे से ऊपर तक अपने विभाग का प्रबन्ध करता है। १९३७ ई० तक प्रत्येक मन्त्री को ४,००० रुपया महीना वेतन दिया जाता था, लेकिन १९३७ में जब काँग्रेस ने प्रान्तीय शासन का भार अपने ऊपर लिया तो मन्त्रियों ने केवल ५०० रुपया वेतन लेना स्वीकार किया। प्रान्तीय जनता की भलाई के लिये काँग्रेस मन्त्रियों की यह नीति भारतीय इतिहास में अमर रहेगी। मन्त्रि-मंडल के कार्यों में गवर्नर ज़ल्दी हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन यदि कोई विशेष परिस्थिति आ जाय तो वह हस्तक्षेप तो दूर रहा मन्त्रि-मंडल को भंग भी कर सकता है। मध्य प्रान्त में जब काँग्रेस सरकार थी तो गवर्नर ने सम्पूर्ण मन्त्रि-मंडल को भंग कर दिया था। यह 'खरे की की घटना (Khare Episode)' के नाम से प्रसिद्ध है। मन्त्रि-मंडल के अधिकार और कर्तव्यों का कुछ वर्णन इसी अध्याय में प्रान्तीय स्वराज्य नामक शीर्षक के अन्दर किया गया है।

प्रान्तीय धारा सभा

१९३५ के संघ शासन विधान में प्रान्तीय शासन में अनेक परि-वर्तन किये गये हैं। धारा सभाओं के निर्माण तथा अधिकारों में विशेष

रूप से ये दिखाई पड़ते हैं। कुछ प्रान्तों में छोटी और बड़ी दो धारा सभाओं का विधान बनाया गया है। मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्तप्रान्त, बिहार तथा आसाम—इन ६ सूबों में दो धारा सभायें बनाई गई हैं। बड़ी सभा का नाम लेजिसलेटिव कौन्सिल और छोटी का लेजिस-लेटिव असेम्बली है। बाकी प्रान्तों में केवल एक ही धारा सभा कार्य करती है। इसका नाम लेजिसलेटिव असेम्बली है। सब से मार्के की बात यह है कि प्रान्तीय धारा सभाओं के सभी सदस्य जनता के प्रति-निधि होते हैं। कोई सदस्य नामज़द नहीं किया जाता। जिन प्रान्तों में छोटी और बड़ी दो धारासभायें बनाई गई हैं उनमें बड़ी सभा का सभापति 'प्रेसीडेन्ट' और छोटी का 'स्पीकर' कहलाता है।

संघ धारा सभा में बड़ी सभा की तरह प्रान्तीय बड़ी धारा सभा कभी बर्ख़ास्त नहीं की जा सकती। एक तिहाई सदस्य हर तीसरे वर्ष इसमें से निकलते रहेंगे और इनकी जगह नये सदस्य आ जायेंगे। लेजिसलेटिव असेम्बली की अवधि पाँच वर्ष रक्खी गई है। परन्तु गव-र्नर को यह अधिकार है कि वह इसे बीच में ही बर्ख़ास्त कर दे। तीस वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति लेजिसलेटिव कौंसिल का और २५ वर्ष से कम आयु का लेजिसलेटिव असेम्बली का सदस्य नहीं बन सकता। धारा सभा के प्रतिनिधियों के चुनाव में सभी लोग वोट नहीं दे सकते। सब से पहली शर्त तो यह है कि वे उसी प्रान्त के निवासी हों। कम से कम दर्जा ४ तक पढ़े हों। जो व्यक्ति किसी अपराध के कारण क़ैदी रह चुका है उसे भी वोट देने का अधिकार नहीं है। एक ही व्यक्ति छोटी और बड़ी दोनों धारा सभाओं का सदस्य नहीं रह सकता। यदि धारा सभाओं की बैठक (Session) हो रही हो और

उसमें सदस्यों के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति उसकी कारवाइयों में हिस्सा लेता हो तो उसे ५०० रुपया रोज़ जुर्माना किया जाता है।

संघ शासन विधान के अन्दर सरकार के सभी विषय ३ भागों में बाँट दिये गये हैं। कुछ विषयों में क़ानून बनाने का अधिकार केवल संघ धारा सभा को है। कुछ विषयों में प्रान्तीय धारा सभाये क़ानून बनाती हैं। कुछ विषय ऐसे रक्खे गये हैं जिनमें केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों धारा सभायें सम्मिलित रूप से क़ानून बनाती हैं। केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय धारा सभाओं की कारवाइयों में जब चाहे हाथ डाल सकती है। प्रान्त में क़ानून बनाने का अधिकार प्रान्तीय धारा सभा को दिया गया है। लेकिन गवर्नर के अधिकारों के सामने प्रान्तीय धारा सभाओं के अधिकार बहुत ही कम हैं। गवर्नर जब चाहे प्रान्तीय धारा सभा की कारवाइयों को बन्द कर सकता है। यदि धारा सभा कोई क़ानून पास करना चाहती है तो गवर्नर उसे रोक सकता है। धन सम्बन्धी कोई भी क़ानून गवर्नर की आज्ञा के बिना धारा सभा में पेश तक नहीं किया जा सकता।

प्रान्तीय स्वराज्य
(Provincial Autonomy)

प्रान्तीय स्वराज्य की चर्चा हमें अक्सर सुनाई पड़ती है। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रिटिश प्रान्तों को स्वराज्य दे दिया गया है। वे जैसा चाहें अपना प्रबन्ध कर सकते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग प्रान्तीय स्वराज्य को एक धोखे की टट्टी समझते हैं। उनका विचार है कि भारतवासियों को सन्तुष्ट करने के लिये केवल छोटे-मोटे अधिकार

उन्हें प्रान्तीय सरकार के अन्दर दे दिये गये हैं। हमें निष्पक्ष भाव से यह देखना चाहिये कि वास्तव में किस हद तक प्रान्तों को स्वतंत्रता दी गई है। १९३५ ई० के संघ शासन विधान में प्रान्तीय स्वराज्य का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार प्रान्तीय जनता को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपना शासन प्रबन्ध स्वयं करें। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस नये शासन विधान में प्रान्तीय जनता को बहुत से अधिकार प्राप्त हुए हैं। धारा सभा के सदस्यों के चुनाव में वोट देने का अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिया गया है। प्रान्त के सभी विषय भारतीय मंत्रियों के हाथ में दे दिये गये हैं। शिक्षा, व्यवसाय तथा समाज सुधार में वे जितनी उन्नति चाहें कर सकते हैं। अपने प्रान्त की भलाई के लिये जैसा चाहें क़ानून बना सकते हैं। प्रान्तीय आय-व्यय भी उन्हीं के हाथों में रक्खा गया है। नये-नये टैक्स लगा कर वे प्रान्त की आमदनी बढ़ा सकते हैं और इससे प्रान्तीय जनता का भला कर सकते हैं।

१९३७ ई० में हिन्दोस्तान के ७ सूबों में कांग्रेस सरकार की स्थापना हुई थी। कांग्रेस यह देखना चाहती थी कि इस प्रान्तीय स्वराज्य के अन्दर कितनी असलियत है। लगभग ढाई वर्ष तक उसने इसका अनुभव किया। उसके समय में प्रान्तीय जनता की भलाई के लिये तरह-तरह के कार्य किये गये। बहुत से नये क़ानून पास किये गये। ग्राम उद्योग विभाग खोल कर गाँवों की उन्नति के अनेक नये रास्ते निकाले गये। जिन गाँवों में कोई सरकारी कर्मचारी भूल कर भी नहीं जाता था वहाँ औषधालय, रात्रि पाठशालायें, ग्राम पंचायतें आदि लोकहित की चीज़ें दिखाई पड़ने लगीं। किसानों की

उन्नति के लिये नये-नये कुएँ बनवाये गये। घरेलू कारोबार (Cottage Industries) की वृद्धि के लिये तरह-तरह के उपाय काम में लाये गये। जनता के दिलों में कुछ समय के लिये एक नया उत्साह दिखाई पड़ने लगा। उसका यह आत्मगौरव ठीक था कि उसी के भाई बन्धु उसका शासन कर रहे हैं। समाज सुधार तथा लोकहित के कामों की बाढ़ सी दिखाई पड़ने लगी। लेकिन वर्तमान युद्ध के आरम्भ होते ही १९३९ ई० में जब कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफ़ा दे दिया तो उन्नति के ये सारे कार्य जहाँ के तहाँ पड़े रह गये। कांग्रेस सरकार इस प्रान्तीय स्वराज्य का अनुभव केवल २७ महीने कर सकी।

इन तमाम अच्छाइयों के बावजूद प्रान्तीय स्वराज्य में कुछ कमज़ोरियाँ हैं। प्रान्त में भारतीय मंत्रियों को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। केन्द्रीय सरकार जब चाहे उनके कामों में हाथ डाल सकती है। उनकी इच्छा के विरुद्ध वह आज्ञायें जारी कर सकती है। गवर्नरों को कुछ ऐसे विशेष अधिकार दिये गये हैं कि वे मंत्रियों की स्वतंत्रता में बाधायें डाल सकते हैं। प्रान्त के बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारी मंत्रियों के अधिकार से बाहर रक्खे गये हैं। यह एक अजीब सी बात है कि प्रान्त के कुछ सरकारी कर्मचारी मंत्रियों के अधिकार में कार्य करते हुए भी उनकी आज्ञाओं से बाहर रक्खे गये हैं। मंत्री इन कर्मचारियों के वेतन तथा नियुक्ति सम्बन्धी नियमों में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं कर सकते। इसका एक ज्वलन्त उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। जब कि कांग्रेस के मंत्री ५०० रुपया महीना वेतन ले रहे थे उसी समय उनके नीचे के सरकारी कर्मचारी ३००० और

४,००० रुपये महीने तक वेतन पाते थे। मन्त्री इसे कम नहीं कर सकते थे।

कई दृष्टियों से प्रान्तीय स्वराज्य सर्वथा अपूर्ण है। केन्द्रीय सरकार की दस्तन्दाज़ी, गवर्नरों के विशेषाधिकार तथा मंत्रियों के अधिकारों की कमी के अतिरिक्त इसमें कुछ और भी कमज़ोरियाँ मौजूद हैं। चीफ़ कमिश्नरों के सूबों में प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना नहीं की गई है। वहाँ की जनता को भी आज़ादी की उतनी ही ज़रूरत है जितनी अन्य प्रान्तों की जनता को है। मद्रास, बंगाल, पंजाब, आसाम, पश्चिमोत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त व बरार, तथा उड़ीसा प्रान्तों में कुछ हिस्से पिछड़े हुए भाग (Backward Areas) क़रार दिये गये हैं। इनमें रहने वाले निवासियों को थोड़ी भी आज़ादी नहीं दी गई है। सच्ची बात तो यह है कि प्रान्तीय स्वराज्य तब तक पूर्ण नहीं कहा जा सकता जब तक केन्द्रीय सरकार में भारतवासियों को उचित स्थान नहीं दिया जाता।

सारांश

समूचे हिन्दुस्तान में कुल १७ सूबे हैं। इनमें ११ गवर्नरों के और चीफ़ कमिश्नरों के सूबे कहलाते हैं। गवर्नर के प्रान्त में प्रधान शासक ..वर्नर कहलाता है और चीफ़ कमिश्नर के सूबे में प्रधान शासक चीफ़ कमिश्नर कहलाता है। गवर्नर की नियुक्ति ५ वर्ष के लिये सम्राट करता है। अहातों (Presidencies) के गवर्नरों का दर्जा अन्य प्रान्तों के गवर्नरों से बड़ा समझा जाता है। अपने प्रान्त में गवर्नर का वही अधिकार और रुतबा है जो गवर्नर जनरल का सारे हिन्दोस्तान में है। प्रान्त के शासन की पूरी ज़िम्मेवारी उसी को दी गई है। उसकी सहायता के

लिये ५ या सात मन्त्रियों की एक सभा होती है। इसे मन्त्रि-मंडल कहते हैं। सभी मन्त्री प्रान्तीय धारा सभा के सदस्य होते हैं। प्रान्त की सम्पूर्ण शासन व्यवस्था कई विभागों में बाँट दी जाती है। प्रत्येक मन्त्री किसी विभाग का प्रधान होता है। मन्त्री अपने-अपने विभाग की देख-रेख करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर गवर्नर से सलाह भी लेते हैं। हर प्रान्त में क़ानून बनाने के लिये लेजिसलेटिव असेम्बली नाम की एक धारा सभा होती है। ६ प्रान्तों में छोटी और बड़ी दो धारा सभायें बनाई गई हैं। बड़ी का नाम लेजिसलेटिव कौन्सिल और छोटी का लेजिसलेटिव असेम्बली है।

१९३५ के संघ शासन विधान के अनुसार ब्रिटिश प्रान्तों में प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना की गई है। प्रान्त के शासन का सम्पूर्ण अधिकार भारतीय मन्त्रियों को दिया गया है। काँग्रेस ने २७ महीने तक इस प्रान्तीय स्वराज्य की असलियत का अनुभव किया। इससे प्रान्तीय जनता को अनेक लाभ हुए। लेकिन इसमें कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जिसके कारण काँग्रेस को इस्तीफ़ा दे देना पड़ा।

प्रश्न

१--प्रान्त का शासन कैसे होता है? इसमें गवर्नर का कितना हाथ रक्खा गया है?

(How is the government of a province carried on and what part is played by the Governor?)

२—प्रान्तीय मन्त्रि मंडल को बनावट तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिये।

(Describe the composition and functions of the Provincial Ministry.)

३—प्रान्तीय धारा सभा के कर्तव्यों का वर्णन करते हुये यह सिद्ध कीजिये कि गवर्नर के विशेष अधिकारों से इसकी शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है।

(What are the duties of a Provincial Legislature and how far their powers are curtailed by the Special Responsibilities of the Governor ?)

४—प्रान्तीय स्वराज्य का तात्पर्य क्या है ? इसकी असफलता के क्या कारण हैं ?

(What is meant by Provincial Autonomy and why has it failed ?)

५—आधे दर्जन ऐसे कामों का वर्णन कीजिये जिन्हें आप अपने सूबे की उन्नति के लिये प्रान्तीय सरकार द्वारा कराना चाहते हैं ।

(Mention half a dozen important work which you want that the Provincial Government should do in your Province for its progress)

अध्याय १४

स्थानीय स्वराज्य

(Local Self-Government)

गावों और शहरों का प्रबन्ध बहुत कुछ वहीं के निवासियों को दिया गया है। अपनी आवश्यकतानुसार वहाँ के निवासी उनका प्रबन्ध करते हैं। अर्थात् उपरोक्त स्थानों में एक प्रकार के स्वतंत्र शासन की व्यवस्था की गई है जो सारे हिन्दोस्तान में एक सी दिखाई पड़ती है। इसी का नाम स्थानीय स्वराज्य (Local Self-Government) है।

स्थानीय स्वराज्य की आवश्यकता

प्रजातंत्रवादी शासन के लिये यह आवश्यक है कि जनता शासन प्रबन्ध में स्वयं भाग ले। अपना राजनैतिक प्रबन्ध वह स्वयं करे। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब कि उसके अन्दर इस प्रकार के शासन का भाव पैदा हो जाय। स्थानीय स्वराज्य इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। जब किसी देश के निवासी अपने गाँवों और शहरों का प्रबन्ध करते हैं तो उन्हें शासन करने की शिक्षा मिलती है। शासन सम्बन्धी कठिनाइयों का उन्हें अनुभव होता है। उनके अन्दर ज़िम्मेवारी की वृद्धि होती है। अपने स्थानों का जितना अच्छा प्रबन्ध वे स्वयं कर सकते हैं उतना दूसरा नहीं कर सकता। प्रत्येक स्थान की आवश्यकतायें, रसम-रवाज़ और रहन-सहन भिन्न-भिन्न होते हैं।

इनका ध्यान रखते हुए वहीं के निवासी अपना प्रबन्ध सब से अच्छा कर सकते हैं। देश के शासन प्रबन्ध में सरकार को तरह-तरह की कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। इन्हें समझने के लिये यह ज़रूरी है कि स्थानीय जनता कुछ विषयों का प्रबन्ध स्वयं करे। अपना प्रबन्ध स्वयं करने से जनता के दिलों में स्वाभिमान और स्वावलम्बन के भाव पैदा होते हैं। स्थानीय विषयों के अच्छे प्रबन्ध से प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारें भी अपने उद्देश्य में सफल हो सकती हैं।

स्थानीय स्वराज्य-संस्थायें

१८७० ई० के लगभग लार्ड मेयो के समय में इस बात की आवश्यकता समझी गई थी कि भारतीय जनता को स्थानीय प्रबन्ध का अधिकार दे दिया जाय। इसी उद्देश्य से अनेक स्थानीय स्वराज्य संस्थायें स्थापित की गईं। विभिन्न सूबों में इन संस्थाओं के भिन्न-भिन्न नाम हैं। इनके अधिकार और कर्त्तव्यों में भी भेद हैं। ये संस्थायें निम्नलिखित हैं:—

१—पंचायत

२—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड

३—म्युनिसिपैलिटी, नोटिफ़ाइड एरिया

४—कारपोरेशन

५—इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट

६—पोर्ट ट्रस्ट

पंचायत

पंचायतें हमारे देश की सब से प्राचीन संस्थायें हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनों कालों में प्रत्येक गाँव में एक पंचायत होती थी। गाँव

के सब से योग्य, ईमानदार और चरित्रवान ५ या ७ व्यक्ति पंचायत के सदस्य होते थे। गाँव का मुखिया, जो सरपंच कहलाता था, पंचायत का सभापति होता था। गाँव के सभी झगड़े पंचायत में ही फ़ैसल किये जाते थे। यही गाँवों की मालगुज़ारी वसूल करके सरकार को भेजती थी। जनता को यह मालूम नहीं होता था कि कोई बाहरी व्यक्ति उनके ऊपर राज्य करता है। सरकार पंचायत की इज़्ज़त करती थी और कोई भी सरकारी कर्मचारी उसके कामों में दख़ल नहीं देता था। अपने गाँव में तालाब खुदवाने, कुयें बनवाने, सिंचाई करने, स्कूल बनवाने, सफ़ाई का प्रबन्ध करने, खेल-कूद तथा मनोविनोद का प्रबन्ध करने, मेले लगवाने, बाज़ार का इन्तज़ाम करने आदि का प्रबन्ध पंचायत के ज़िम्मे था। जब कभी गाँव में चोरी होती तो पंचों को इसका पता लगाना पड़ता था और चोरी के नुक़सान को पूरा करना पड़ता था।

जब अँग्रेज़ इस देश के शासक हुए तो उन्हें पंचायतों का महत्व मालूम नहीं हुआ। शासन प्रबन्ध सम्बन्धी सभी अधिकार वे अपने हाथ में लेते गये। पंचायतें धीरे-धीरे कमज़ोर होती गईं और अन्त में एक दम नष्ट हो गईं। केवल जाती पंचायतें कहीं-कहीं पर जीवित रह गईं। कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार को पंचायतों का महत्व मालूम हुआ। कुछ वर्ष हुए गाँव में नये सिरे से पंचायतें स्थापित की गईं। हर गाँव में एक पंचायत बनाई गई है। उसमें ५ सदस्य होते हैं। इन्हें छोटे-मोटे अधिकार भी दिये गये हैं। पंचायत के फ़ैसले को कोई टाल नहीं सकता। वह किसी अपराधी पर १० रुपया तक जुर्माना कर सकती है। ज़िले के कलेक्टर की सलाह से यह रकम गाँव की ही

भलाई पर ख़र्च की जाती है। पंचायतों से सब से बड़ा लाभ यह है कि छोटी छोटी बातों के लिये गाँव वालों को थाने और कचहरियों में नहीं जाना पड़ता। पंचों को गाँव की छोटी-छोटी बातों तक का पता रहता है। कोई एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकता। यदि पंचायत के अधिकार और बढ़ा दिये जायँ और अच्छे-अच्छे लोग इसमें रक्खे जायँ तो गाँव की शिक्षा, सफ़ाई, व्यापार तथा संगठन आदि में विशेष उन्नति हो सकती है।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड

बड़े-बड़े शहरों को छोड़ कर ज़िले भर का शासन प्रबन्ध डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सौंपा गया है। यह बोर्ड वहीं के निवासियों द्वारा बनाई जाती है। जब इसे बनाना होता है तो ज़िले को कई छोटे-छोटे भागों में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक भाग के निवासी अपने में से २ या ३ प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इस प्रकार सभी प्रतिनिधियों के मेल से बोर्ड बनती है। फिर ये प्रतिनिधि एकत्र होकर अपना एक सभापति चुनते हैं, जो चेयरमैन कहलाता है। बोर्ड के मेम्बरों तथा चेयरमैन को किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता। सेवा भाव से कार्य करने के लिये ये बोर्ड में आते हैं। बोर्ड के मेम्बरों का चुनाव ३ वर्ष के लिये होता है। हिन्दोस्तान में कुल २०० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं।

वैसे तो ज़िले का शासन प्रबन्ध कलेक्टर के आधीन होता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही सारा प्रबन्ध करती है। शान्ति तथा क़ानून की रक्षा की ज़िम्मेवारी कलेक्टर पर है। यदि वह योग्य तथा अनुभवशील है और अपने ज़िले की उन्नति करना चाहता है तो बोर्ड के सहयोग से बहुत कुछ कर सकता है। ज़िले में

मिडल तक की शिक्षा, सफ़ाई, सड़कें, बाज़ार, खेती, मवेशी, स्वास्थ्य आदि का प्रबन्ध बोर्ड के अधिकार में रक्खा गया है। वह चाहे तो ज़िले की सभी प्रकार से उन्नति कर सकती है। इन कार्यों को करने के लिये बोर्ड को कई ज़रियों से आमदनी होती है। प्रान्तीय सरकार ज़िले से जितनी मालगुज़ारी वसूल करती है उसमें फ़ी रुपया एक आना वह बोर्ड को देती है। इसके अलावे वह समय-समय पर और भी सहायता देती है। यदि बोर्ड अपने ज़िले की विशेष उन्नति के लिये कोई योजना बनाये तो प्रान्तीय सरकार उसमें काफ़ी सहायता करती है। ज़िले के स्कूलों की सारी फ़ीस बोर्ड के पास आती है। नदी के घाटों, जंगलों, तालाबों तथा मवेशीख़ानों से जो आमदनी होती है वह बोर्ड को मिलती है। ज़िले के किसानों तथा धनी-मानी लोगों पर बोर्ड आय-कर (Property Tax) लगाती है। महाजनों तथा सवारियों पर भी टैक्स लगाया जाता है। इतने पर भी बोर्ड को पैसे की हमेशा कमी रहती है। ज़िले में जैसी उन्नति होनी चाहिये वैसी वह नहीं कर पाती।

बोर्ड को जो कुछ आय होती है वह कई आवश्यक कार्यों में लगाई जाती है। सबसे अधिक ख़र्च शिक्षा और सड़कों पर होता है। नई-नई सड़कें बनवाने, पुरानी सड़कों की मरम्मत कराने तथा इनके दोनों किनारों पर पेड़ लगवाने में बोर्ड को काफ़ी धन ख़र्च करना पड़ता है। स्वास्थ्य और सफ़ाई के लिये अस्पताल, औषधालय तथा निरीक्षक रखने पड़ते हैं। चूँकि बोर्ड को अपना सारा प्रबन्ध गाँवों की भलाई के लिये करना है, इसलिये खेती की उन्नति का भी उसे ध्यान रखना पड़ता है। हिन्दोस्तान की ९० फ़ी सदी जनता गावों में

ही रहती है। ७५ फ़ी सदी आदमी खेती से अपनी गुज़र करते हैं। ऐसी दशा में बोर्ड कृषि-उन्नति को नहीं भूल सकती। अपने ज़िले में वह अच्छे क़िस्म के मवेशियों को फैलाती है। स्थान-स्थान पर नुमायश का प्रबन्ध करके अच्छे-अच्छे बीज तथा पौधों का प्रचार करती है।

म्युनिसिपैलिटी

जिस प्रकार ज़िले में गाँवों का प्रबन्ध डिस्ट्रिक्ट बोर्ड करती है उसी तरह शहरों का प्रबन्ध म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल बोर्ड करती है। शहर के ही निवासी अपना प्रतिनिधि चुन कर इस बोर्ड में भेजते हैं। बोर्ड के मेम्बर अपना सभापति या चेयरमैन स्वयं चुनते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव ३ वर्ष के लिये होता है। बोर्ड का कार्य शहर की सफ़ाई आदि का प्रबन्ध करना है। कई कमीटियों द्वारा बोर्ड अपना काम करती है। प्रत्येक कार्य के लिये ३ या ४ सदस्यों की एक कमीटी होती है। शिक्षा, सफ़ाई, टैक्स, रोशनी, पानी आदि की कई कमीटियाँ होती हैं। हर कमीटी का एक चेयरमैन होता है। बोर्ड के मेम्बर तथा चेयरमैन वे ही हो सकते हैं जो शहर की सीमा के अन्दर स्थाई रूप से रहते हों और म्युनिसिपैलिटी को एक निश्चित रक़म हर साल टैक्स के रूप में देते हों। हिन्दोस्तान में लगभग ७०० म्युनिसिपल बोर्ड हैं।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकार और कर्त्तव्यों में कोई भेद नहीं है। चूँकि ग्राम और शहर की आवश्यकतायें भिन्न-भिन्न हैं इसलिये इन बोर्डों के कर्त्तव्य भी दो प्रकार के हैं। शहर में मिडिल तक की शिक्षा, सफ़ाई, रोशनी, पानी, पार्क, हवा, स्वास्थ्य आदि का प्रबन्ध म्युनिसिपल बोर्ड को करना पड़ता है। इनके अतिरिक्त

सड़कें बनवाना, मुहल्लों का नाम रखना, घरों पर नम्बर लगाना भी इनका कार्य है। म्युनिसिपल बोर्ड की आमदनी कई ज़रियों से होती है। प्रान्तीय सरकार प्रति वर्ष इसे कुछ इमदाद देती है। इसके अतिरिक्त बोर्ड शहर निवासियों पर तरह-तरह के टैक्स लगाती है। शहर में चलने वाले मोटर, ताँगे, इक्के, साइकिल आदि सवारियों पर टैक्स लगाये जाते हैं। शहर में जिनके पास मकान हैं उनसे भी टैक्स लिया जाता है। दूकानदारों से टैक्स वसूल किया जाता है। शहर की सीमा के अन्दर जितनी भी चीज़ें बाहर से आती हैं उन सब पर टैक्स लगाया जाता है। कुछ म्युनिसिपैलिटियाँ तो मरने और पैदाइश पर भी टैक्स लेती हैं।

इतने ज़रिये होने पर भी म्युनिसिपल बोर्ड को पैसे की हमेशा कमी रहती है। तरह-तरह के उपायों से वह अपनी आय बढ़ाने की कोशिश करती है। शहरों के अन्दर इतने आदमी निवास करते हैं कि यदि उनका उचित प्रबन्ध न किया जाय तो वे एक दिन भी नहीं रह सकते। दो चार मील के ही घेरे में लाखों आदमी रहते हैं। म्युनिसिपल बोर्ड को इनकी सफ़ाई तथा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसके लिये उसे खुली हवा और स्वच्छ पानी का इन्तज़ाम करना पड़ता है। वह इस बात की देख-रेख रखती है कि कोई व्यापारी शहर में गन्दी चीज़ें न बेंचे। सफ़ाई के लिये वह तरह-तरह के नियम बनाती है ताकि लोग मनमाना गन्दगी न फैलायें। खुली हवा के लिये बोर्ड जगह-जगह पर पार्क बनवाती है। सफ़ाई के लिये इन्सपेक्टर तथा सैकड़ों कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं। शिक्षा के लिये स्कूलों का प्रबन्ध किया जाता है। बीमारियों से बचने के लिये

अस्पताल और औषधालय खोले जाते हैं। मनोविनोद के लिये व्यायामशालायें और क्लब स्थापित किये जाते हैं। जो म्यूनिसिपल बोर्ड उन्नतिशील हैं वे नुमायश और अजायबघर का भी प्रबन्ध करते हैं।

बोर्डों की कमज़ोरियाँ

ज़िला तथा म्युनिसिपल बोर्डों के अन्दर आज अनेक कमज़ोरियाँ दिखाई पड़ती हैं। इन्हीं के कारण बोर्ड बदनाम और असफल हो रहे हैं। सबसे बड़ी कमज़ोरी सदस्यों में पाई जाती है। कहने के लिये मेम्बर सेवा भाव से बोर्डों में जाते हैं लेकिन वहाँ अपने स्वार्थ की ही चिन्ता रखते हैं। उनकी अधिकतर कोशिश यही रहती है कि दूसरा कोई योग्य से योग्य व्यक्ति भी बोर्ड का मेम्बर न बनने पाये। वे यह भी चाहते हैं कि उन्हीं के सम्बन्धियों तथा परिचित व्यक्तियों को नौकरियाँ और ठीके दिये जायँ। यहाँ तक सुनने में आया है कि बोर्ड के मेम्बर अनुचित तरीक़े से धन भी पैदा करते हैं। कई बोर्डों में कर्मचारियों को तीन-तीन चार-चार महीने तक के वेतन नहीं दिये जाते। कहीं-कहीं पर इनमें दलबन्दियाँ भी पाई जाती हैं। निःस्वार्थ कहलाते हुये भी बोर्ड के मेम्बर स्वार्थ से परिपूर्ण होते हैं।

इन कमज़ोरियों को दूर करना कोई कठिन नहीं है। इनमें आसानी से सुधार किये जा सकते हैं। जो व्यक्ति बोर्ड में आयें उनकी योग्यता और रहन-सहन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये। जनता उन्हीं व्यक्तियों को इन बोर्डों में भेजे जो सेवा की भावना रखते हों और जिन्हें पद और धन की लालसा न हो। यद्यपि ऐसे लोगों का अभाव है लेकिन शिक्षा तथा राष्ट्रीयता की वृद्धि के साथ इनकी संख्या बढ़ती जायेगी। प्रान्तीय सरकार इस विषय में बहुत ही

सख़्ती से काम ले कि कोई भी स्वार्थी व्यक्ति बोर्ड में न रहने पाये। यदि कोई मेम्बर बोर्ड से बेजा लाभ उठाये तो उसे कड़ा से कड़ा दण्ड मिलना चाहिये। मेम्बरों के लिये यह नियम हो कि वे अपने सम्बन्धियों को कोई कार्य बोर्डों में न दे सकें। यदि आवश्यकता हो तो बोर्ड के सभी सदस्यों को कुछ वेतन या भत्ता दिया जाय। इससे ग़रीब सेवकों को भी बोर्ड में आने का अवसर प्राप्त होगा। बोर्डों को अपनी आमदनी बढ़ाने की उतनी चिन्ता नहीं करनी चाहिये जितनी ग़रीब जनता की आर्थिक दशा की। वर्तमान गरीबी मे तरह-तरह के टैक्स लगा कर सीमेन्ट की सड़कों और लम्बे चौड़े पार्कों का कोई महत्व नहीं है।

जिन शहरों की आबादी १०,००० से कम है वे क़स्बे कहलाते हैं। इन क़स्बों का प्रबन्ध करने के लिये नोटिफाइड एरिया बनाई गईं हैं। इनके भी कर्त्तव्य छोटे पैमाने पर वे ही हैं जो शहरों में म्युनिसिपैलिटियों के।

कारपोरेशन

बम्बई, मद्रास, कराची और कलकत्ता इन शहरों में कारपोरेशन की स्थापना की गई है। जिस प्रकार और शहरों का प्रबन्ध म्युनिसिपैलिटियाँ करती हैं उसी तरह इन चारों शहरों का प्रबन्ध ४ कारपोरेशन द्वारा होता है। चूँकि ये शहर काफ़ी बड़े हैं और इनका प्रबन्ध भी जटिल है इसलिये कारपोरेशन के अधिकार भी अधिक हैं। इसके सदस्य कमिश्नर कहलाते हैं। कलकत्ता कारपोरेशन को छोड़कर अन्य कारपोरेशनों में सरकार के नामज़द सदस्य अधिक संख्या में होते हैं। इसका सभापति 'मेयर' कहलाता है।

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट

कुछ बड़े-बड़े शहरों में म्युनिसिपैलिटियों के अतिरिक्त इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट स्थापित किये गये हैं। इसके सदस्य प्रान्तीय सरकार, म्युनिसिपैलिटी तथा व्यापारिक संस्थाओं द्वारा नामज़द किये जाते हैं। इसका कार्य शहर की विशेष उन्नति करना है। शहर की सड़कों को चौड़ी करवाना, घनी बस्तियों को तोड़ कर साफ़ और खुली बनाना, ग़रीब और मज़दूरों के लिये मकानों की व्यवस्था करना तथा बड़े-बड़े पार्क आदि बनवाना इसके मुख्य कार्य हैं। ट्रस्ट को इन कार्यों के लिये सरकारी आय पर ही निर्भर रहना पड़ता है। केवल थोड़ी बहुत आय नई बस्तियों तथा बाज़ारों से उसे हो जाती है। जिन शहरों में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाये गये हैं उनमें निवासियों को हवा रोशनी तथा मनोविनोद की अधिक सुविधायें प्राप्त हुई हैं।

पोर्ट ट्रस्ट

बन्दरगाहों के प्रबन्ध के लिये पोर्ट ट्रस्ट बनाये गये हैं। प्रत्येक बन्दरगाह पर बाहरी मुल्कों से चीज़ें जहाज़ों में आती हैं। यहीं से देशी चीज़ें बाहर को भेजी जाती हैं। इनकी देख-रेख का प्रबन्ध पोर्ट ट्रस्ट करता है। हर बन्दरगाह में एक पोर्ट ट्रस्ट है। इसके सभी सदस्य अँग्रेज़ होते हैं केवल यही एक स्थानीय संस्था है जो अभी तक सरकार के ही हाथों में है। ट्रस्ट के कार्य बड़ी ही ज़िम्मेवारी के हैं। इसका प्रबन्ध वहीं के निवासियों के हाथ में होना चाहिये।

सारांश

जनता को शासन सम्बन्धी शिक्षा देने तथा स्थानीय विषयों का प्रबन्ध अपने आप करने के लिये स्थानीय स्वराज्य (Local Self-

Government) की प्रथा चलाई गई है। जो व्यक्ति जहाँ स्थाई रूप से रहता है वह वहाँ के रसम रवाज़, रहन-सहन आदि से भलीभाँति परिचित होता है। वह अपनी आवश्यकताओं को दूसरों से अधिक समझता है। इसीलिये स्थानीय स्वराज्य बहुत ही आवश्यक है। शहर और गाँव दोनों में ये स्थानीय स्वराज्य संस्थायें स्थापित की गई हैं। गाँवों में पंचायतें और ज़िले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की स्थापना की गई है। पंचायत में गाँव के सबसे योग्य और चरित्रवान ५ या ७ व्यक्ति होते हैं। इसका कार्य गाँव के छोटे छोटे झगड़ों को फ़ैसल करना, सफ़ाई और रक्षा करना है। इसे सफल बनाने के लिये पंचायत को और भी अधिकार मिलने चाहिये।

ज़िले के प्रबन्ध के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की स्थापना की गई है। ज़िले भर से जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इस बोर्ड में आते हैं। ये अपना सभापति (Chairman) स्वयं चुनते हैं। बोर्ड का कर्त्तव्य अपने ज़िले में मिडिल तक की शिक्षा, सड़कें, सफ़ाई, स्वास्थ्य, बाज़ार, खेती आदि का प्रबन्ध करना है। यदि बोर्ड में जनता के सच्चे सेवक आ जायें तो वे ग्रामीण जनता की अधिक उन्नति कर सकते हैं। बोर्ड की आमदनी के ज़रिये प्रान्तीय सरकार की इमदाद, तथा विभिन्न टैक्स हैं। चूँकि ६० फ़ी सदी जनता गाँवों में ही निवास करती है इसलिये बोर्ड की ज़िम्मेवारी बहुत बड़ी है। शहर के प्रबन्ध के लिये म्युनिसिपैलिटियाँ बनाई गई हैं। ब्रिटिश भारत में लगभग ७०० म्युनिसिपैलिटियाँ हैं। शहर के रहने वाले स्वयं बोर्ड के सदस्य होते हैं। इसका कार्य शहर की सफ़ाई, रोशनी, शिक्षा, हवा, तथा सड़कों आदि का प्रबन्ध करना है। शहर के निवासियों पर तरह-तरह के टैक्स लगा कर म्युनिसिपैलिटी धन इकट्ठा करती है और इन्हीं से जनता की भलाई का प्रबन्ध करती है।

कलकत्ता, मद्रास, कराची और बम्बई इन चार शहरों में म्युनिसिपैलिटियां नहीं हैं। इनमें प्रत्येक शहर का प्रबन्ध जो स्थानीय स्वराज्य-संस्था करती है उसका नाम कारपोरेशन है। बड़े पैमाने पर इसके भी

कार्य वे ही हैं जो अन्य शहरों में म्युनिसिपैलिटियों के हैं। कुछ बड़े-बड़े शहरों में म्युनिसिपैलिटी के अतिरिक्त शहर की विशेष उन्नति के लिये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई है। बन्दरगाहों का प्रबन्ध पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। प्रत्येक बन्दरगाह में एक पोर्ट ट्रस्ट स्थापित किया गया है। इसके सभी सदस्य अँगरेज़ होते हैं।

प्रश्न

१—'स्थानीय स्वराज्य' का तात्पर्य क्या है? इसकी क्या आवश्यकता है?

(What is meant by Local Self-Government, and why is it necessary?)

२—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के संगठन तथा कर्तव्यों की तुलना कीजिये।

(Compare the organization and functions of a Municipal Board to that of a District Board.)

३—वर्तमान स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में कौन-कौन सी कमज़ोरियाँ हैं? उन्हें दूर करने के उचित रास्ते बतलाइये।

(What are the main defects in the present Local Boards and how can they be removed?)

४—हिन्दोस्तान में ग्राम पंचायतों का क्या महत्व है? ग्रामोन्नति में इसकी आवश्यकता कैसे अनिवार्य है?

(Describe the importance of Village Punchayat in India. Why is it essential for the development of the villages?)

५—ज़िला और म्युनिसिपल बोर्ड के आय-व्यय के कौन-कौन से ज़रिये हैं? इनकी आय कैसे और क्यों बढ़ाई जा सकती है?

(What are the sources of income and expenditure of a District and Municipal Board? How can their income be increased and for what purposes?)

अध्याय १५

शिक्षा, स्वास्थ्य और सफ़ाई

सरकार का मुख्य कर्तव्य देश की रक्षा और शान्ति रखना है। इसके लिये वह प्रजा पर नाना प्रकार का टैक्स लगाती है। परन्तु इन्हीं कार्यों से कोई सरकार लोकप्रिय नहीं बन सकती। उसे प्रजा की उन्नति के लिये कुछ और भी करना पड़ता है। कोई भी सरकार इन्हें पूरा किये बिना जनता की वास्तविक उन्नति नहीं कर सकती। इसीलिये सरकार को नागरिक की शिक्षा, उसके स्वास्थ्य और सफ़ाई—इन सबका ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ तक कि वह अनागरिकों को भी ये सुविधायें प्रदान करती है। इनकी देख-रेख के लिये सरकार एक अलग विभाग रखती है। जिस देश के नागरिक अधिक शिक्षित, स्वस्थ और साफ़ होते हैं वहाँ की सरकार प्रशंसनीय कहलाती है।

शिक्षा का उद्देश्य

जिस प्रकार शरीर की उन्नति के लिये व्यायाम की आवश्यकता होती है उसी प्रकार बुद्धि विकास तथा चरित्र निर्माण के लिये शिक्षा की आवश्यकता है। इसका तात्पर्य यही नहीं है कि केवल लिखना पढ़ना आ जाय। पूर्ण शिक्षा वह है जिससे शरीर, हृदय, और मस्तिष्क (Hand, Heart and Head) तीनों का विकास हो। शरीर का प्रत्येक अंग पुष्ट होता जाय, हृदय में अधिक से अधिक

सहानुभूति और दयालुता आती जाय तथा मस्तिष्क में विभिन्न विषयों की जानकारी हो—इसी का नाम शिक्षा है। मनुष्य की जितनी भी आवश्यकतायें हैं उन सबकी पूर्ति शिक्षा से होनी चाहिये। अशिक्षित मनुष्य पशु-तुल्य है। ज्ञान से ही मानव समाज की समस्यायें सुलझाई जा सकती है। शिक्षा का निर्माण इसीलिये किया गया कि मनुष्य अपने असभ्य जीवन से सभ्यता की ओर बढ़े। संस्कृत के एक श्लोक का तात्पर्य यह है कि ऐ मनुष्यो! असत्य से सत्य की ओर बढ़ो, अन्धेरे से प्रकाश में आओ, मृत्यु से अमरत्व को प्राप्त करो। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के अन्दर सरलता और समता की भावना पैदा करना है। हर मनुष्य अपने को इतना ऊँचा बना ले कि दूसरों को भी अपने समान समझे। उनकी मुसीबतों में उनका साथ दे। शिक्षा से मनुष्य के अन्दर इतनी शक्ति आ जानी चाहिये जिससे वह स्वतन्त्र और स्वावलम्बी जीवन व्यतीत कर सके।

वर्तमान शिक्षा

भारतवर्ष गावों का देश है। कृषि इसका प्रधान व्यवसाय है। इस देश में वही शिक्षा व्यापक और उपयोगी हो सकती है जो इन दोनों के अनुकूल हो। जो शिक्षा केवल शहरी होगी या जिसमें ग्रामीणता का अभाव होगा वह हमारे किसी काम की नहीं है। हमें इस बात की सबसे अधिक जरूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गावों में शिक्षित होकर रहें। वहीं अपने घरेलू काम धन्धों की उन्नति करें। उनके अन्दर इतना विकास हो जाय कि वे शान्ति पूर्वक आपस में मिल जुलकर रह सकें, और पंचायतों द्वारा अपने दैनिक शासन को चला सकें।

इस कसौटी पर जब हम अपनी वर्तमान शिक्षा प्रणाली को कसते हैं तो इसके अन्दर अनेक कमज़ोरियाँ दिखाई पड़ती हैं। विदेशी भाषा को माध्यम बनाकर हमारे देश की ९० प्रतिशत् जनता अशिक्षित पड़ी हुई है। जहाँ संसार के उन्नतिशील देशों की जनता सौ प्रतिशत् शिक्षित है वहाँ हमारे देश में केवल १० फ़ी सदी आदमी शिक्षित हैं। स्त्रियों में यह शिक्षा केवल ३ प्रतिशत है। वर्तमान शिक्षा इतनी महँगी है कि हिन्दोस्तान ऐसे ग़रीब देश के लिये वह सर्वथा बेकार है। पढ़े-लिखे लोग देश की रहन-सहन को छोड़कर एक विशेष साँचे में ढल जाते हैं। नौकरी उनका एकमात्र उद्देश्य हो जाता है। इसी का परिणाम है कि इतनी कम शिक्षा होते हुये भी शिक्षित लोग बेकार हैं। आधुनिक शिक्षा विलासिता और व्यक्तिगत स्वार्थ को अधिक महत्व देती है। पढ़े-लिखे लोग दूसरों के लिये जीवन बिताना नहीं जानते। हमें जिस सरल और मोटे-झोटे जीवन की आवश्यकता है उसका समावेश वर्तमान शिक्षा में थोड़ा भी नहीं मिलता। पढ़े-लिखे लोग गावों के जीवन से उदासीन हो जाते हैं। काम में उनकी अरुचि हो जाती है। किसी भी दृष्टि से यह शिक्षा प्रणाली व्यापक नहीं बनाई जा सकती। इससे न तो हमारी आर्थिक दशा में सुधार हो सकता है और न हमारी संस्कृति की रक्षा ही हो सकती है।

इन्हीं कमज़ोरियों को दूर करने के लिये हमें एक नई शिक्षा की आवश्यकता है। जिस राष्ट्र के नवयुवक शिक्षित होकर भी बेकार रहेंगे वह कदापि उन्नति नहीं कर सकता। इसीलिये कुछ वर्षों से 'बुनियादी शिक्षा' (Basic Education) की प्रणाली चालू की जा रही है। इसके अन्दर हाथ के काम धन्धों पर अधिक ज़ोर दिया

जाता है। इस शिक्षा का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी कोई न कोई हाथ का हुनर जाने। उसी के द्वारा उसे अन्य विषयों का ज्ञान कराया जाय। अभी तक इस शिक्षा में कोई उन्नति नहीं दिखाई पड़ती। कारण यह है कि लोगों में अभी पुरानी शिक्षा का प्रलोभन है। दूसरे वे 'बुनियादी शिक्षा' के महत्व को नहीं समझते। यह बात उनकी समझ में नहीं आती कि भारतीय राष्ट्र के लिये शिक्षा का निर्माण गावों में होना चाहिये, आक्सफ़ोर्ड और कैम्ब्रिज़ में नहीं। जब तक शिक्षा राष्ट्र के अनुकूल न होगी तब तक शिक्षा और राष्ट्र दोनों में जीवन पैदा नहीं हो सकता। जिन अंग्रेजी विश्वविद्यालयों की हम नक़ल करते हैं उनका उद्देश्य हमसे भिन्न है। इङ्गलैंड, जर्मनी, जापान आदि देशों के पास बड़े-बड़े साम्राज्य हैं, विदेशों में उनके बड़े-बड़े व्यापार हैं। इनको चलाने के लिये उन्हें नौकर तैयार करने पड़ते हैं। लेकिन हमारे देश में ये दोनों बातें नहीं हैं। इसीलिये हमारे शिक्षित नवयुवक बेकार रहते हैं। जब तक यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य नौकरी है तब तक इसकी उन्नति रुकी रहेगी। हमारी शिक्षा का उद्देश्य 'नौकर' पैदा करना न होकर 'सेवक' पैदा करना होना चाहिये।

शिक्षा संगठन

वर्तमान शिक्षा का संगठन तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। विश्वविद्यालय, माध्यमिक और आरम्भिक। बी० ए० से ऊपर की शिक्षा विश्वविद्यालयों में दी जाती है। समूचे ब्रिटिश भारत में कुल १६ विश्वविद्यालय हैं। प्रान्तीय सरकारों से इन्हें सहायता

मिलती है। प्रान्त का गवर्नर अपने प्रान्त के सभी विश्वविद्यालयों का चान्सलर (यूनीवर्सिटी का प्रधान) होता है। हैदराबाद और हिन्दू विश्वविद्यालय पर यह नियम लागू नहीं होता। अपने प्रबन्ध में विश्वविद्यालय पूरी तरह स्वतन्त्र हैं। सबसे अधिक विश्वविद्यालय संयुक्तप्रान्त में हैं। १६ में ५ विश्वविद्यालय इसी सूबे में हैं। एफ० ए० तक की शिक्षा का प्रबन्ध प्रत्येक प्रान्त में एक बोर्ड को (High School and Intermediate Board) दिया गया है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि शिक्षा एक प्रान्तीय विषय है। केन्द्रीय सरकार से इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रान्तीय सरकार का एक मन्त्री (Education Minister) शिक्षा विभाग का प्रधान होता है। उसकी मातहती में शिक्षा-डाइरेक्टर (Director of Public Instructions) काम करता है। वास्तव में यही व्यक्ति सूबे में शिक्षा को चलाता है। इसके नीचे इन्सपेक्टर, डिप्टी इन्सपेक्टर आदि पदाधिकारी शिक्षा की देख-रेख करते हैं। इस माध्यमिक शिक्षा के लिये प्रत्येक ज़िले में एक गवर्नमेंट हाई स्कूल खोला गया है। माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम अब हिन्दी और उर्दू भी कर दिया गया है।

मिडिल तक की शिक्षा आरम्भिक शिक्षा कहलाती है। इसका माध्यम हिन्दी और उर्दू है। इसका प्रबन्ध ज़िला बोर्डों को सौंपा गया है। वे जैसा चाहें इसका प्रबन्ध कर सकते हैं। परन्तु प्रान्तीय सरकार इनकी देख-रेख रखती है। अधिकतर विद्यार्थी आरम्भिक शिक्षा के बाद जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। पैसे की कमी तथा कौटुम्बिक परिस्थिति से बाध्य होकर वे आगे नहीं पढ़ सकते। इसी-

लिये आरम्भिक शिक्षा का महत्व सबसे अधिक है। इसी पर अधिक से अधिक रुपया ख़र्च होना चाहिये। यदि इसका संगठन ठीक तौर से किया जाय और इसके लिये ग्रामोपयुक्त कोई प्रणाली निकाल ली जाय तो शिक्षा का महत्व कहीं बढ़ जाय। आरम्भिक शिक्षा समाप्त करके जो लोग जीवन में प्रवेश कर जाते हैं वे शिक्षा से कोई लाभ नहीं उठाते। उतना समय मानों बेकार व्यतीत हो गया। इसीलिये शिक्षा को व्यापक बनाने के लिये आरम्भिक शिक्षा की रूप-रेखा किसी और प्रकार की होनी चाहिये।

स्वास्थ्य और सफ़ाई

प्रान्तीय सरकार का एक विभाग स्वास्थ्य और सफ़ाई का प्रबन्ध करता है। इसका नाम स्वास्थ्य विभाग (Public Health Department) है। यह विभाग इस बात की देख-रेख रखता है कि गावों तथा शहरों में सफ़ाई रहे। लोग गन्दी चीज़ों का प्रयोग न करें। चूँकि सफ़ाई और स्वास्थ्य सम्बन्धी बातें हमारे दैनिक जीवन से सम्बन्ध रखती हैं इसलिये प्रान्तीय सरकार ने इनका प्रबन्ध ज़िला तथा म्युनिसिपल बोर्डों को दे रक्खा है। फिर भी इनकी निगरानी के लिये प्रत्येक ज़िले में एक 'स्वास्थ्य अफ़सर' (Health officer) होता है। देश के किसी भी हिस्से में कोई बीमारी फैल जाय तो उसका बुरा असर सारे देश पर हो सकता है। इसीलिये यह विभाग बीमारियों को रोकने के लिये तरह-तरह के उपाय सोचता है। जगह-जगह पर अस्पताल और औषधालय खोले गये हैं। प्लेग, हैज़ा, चेचक आदि छूत की बीमारियों से बचने के लिये टीके लगाये जाते हैं। गावों में पटवारियों को सख़्त हिदायत है कि कोई आदमी अपने दरवाज़े पर

कूड़ा इकट्ठा न करे। शहरों में म्युनिसिपैलिटियाँ इसका प्रबन्ध करती हैं। ये खाने-पीने की चीज़ों का निरीक्षण करती रहती हैं। शुद्ध घी, दूध, फल आदि का प्रबन्ध करने के लिये कुछ म्युनिसिपल बोर्ड व्यापार भी करते हैं। इसे म्युनिसिपल व्यापार (Municipal Trading) कहते हैं। इसका उद्देश्य मुनाफ़ा करना नहीं बल्कि जनता को सुविधा देना है। हवा, पानी, रोशनी आदि के लिये भी उचित प्रबन्ध किया जाता है।

शिक्षा तथा धन की कमी के कारण हमारे देश की रहन-सहन अभी काफ़ी पिछड़ी हुई है। लोग स्वास्थ्य सम्बन्धी छोटे-छोटे नियमों तक को नहीं जानते। गावों की ग़रीब जनता अभी तक अन्धेरे और बन्द घरों में रहती है। यह ठीक है कि वहाँ काफ़ी खुली हवा और रोशनी उन्हें मिल जाती है, फिर भी पर्दे की प्रथा के कारण स्त्रियाँ अपना जीवन घरों में ही व्यतीत करती हैं। शिक्षित लोगों को चाहिये कि वे गावों में नये-नये तरह के खुले हुये मकान नमूने के तौर पर बनवायें। सन्तोष की बात है कि प्रान्तीय सरकार का ग्राम उद्योग विभाग (Rural Development) इस दिशा में कुछ कर रहा है। स्त्रियों के बच्चे होने के समय जिस इहतयात की ज़रूरत होती है वह ग्रामीण स्त्री-पुरुषों को मालूम नहीं है। यही कारण है कि अधिकतर बच्चे एक वर्ष की ही आयु में मर जाते हैं। बच्चों के मरने की इतनी बड़ी संख्या संसार के किसी भी देश में नहीं पाई जाती। खान-पान की बातों में भी हम लापरवाही करते हैं। इससे स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही है, अनेक तरह की बीमारियाँ भी होती हैं। नुमायशों द्वारा गन्दगी के बुरे परिणामों को प्रान्तीय सरकार दिखलाती रहती है। आम जनता को इससे लाभ

स्वास्थ्य न केवल व्यक्ति का बल्कि राष्ट्र का एक अमूल्य धन है। इसके बिना सुख के सभी साधन बेकार हैं। जिस राष्ट्र में कमज़ोर और बीमार व्यक्ति अधिक संख्या में रहेंगे वह उन्नति नहीं कर सकता। यूनान देश के स्पार्टा नगर में सरकार का यह हुक्म था कि कमज़ोर बच्चे मार डाले जायँ। चूँकि मनुष्य की सभ्यता अब काफ़ी आगे चली गई है इसलिये कमज़ोरों को मारकर राष्ट्र को बनाना ठीक नहीं। अब हमें उनको स्वस्थ्य और निरोग करना चाहिये। यदि खान-पान और सफ़ाई का ध्यान रक्खा जाय तो बीमारियाँ कम से कम पैदा होंगी। अधिक से अधिक अस्पताल और औषधालय बनवाने से अच्छा है कि सरकार लोगों की सफ़ाई और उनके खान-पान का प्रबन्ध करे। जो पैसा बीमारियों को अच्छा करने पर ख़र्च किया जाता है उसका अधिक हिस्सा बीमारियों को रोकने पर ख़र्च होना चाहिये। अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि 'बीमारी से बचना उसे अच्छा करने से बेहतर है' (Prevention is better than cure).

सरकार जो धन अस्पतालों और औषधियों पर खर्च करती है वह काफ़ी नहीं है। निम्नलिखित कर्यों में उसे कुछ और भी धनव्यय करना चाहिये। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सफ़ाई के नियम बनाये जायँ। छोटी-छोटी पुस्तकों को सरकार वितरण करे। स्कूलों में अध्यापकों को यह सख़्त हिदायत हो कि वे किसी गन्दे लड़के को क्लास में न बैठायें। शिक्षा की सूची में सफ़ाई भी एक विषय रक्खा जाय। गावों में अशिक्षित जनता को रात में जादू बत्ती (Magic Lantern) से सफ़ाई पर व्याख्यान दिये जायँ। साफ़ रहने के वे नियम बनाये जायँ जिन्हें वे अमल में ला सकें। खेल-

कूद के लिये गावों में तरह-तरह के सामान बाँटे जायँ। इनसे मनोरंजन के अतिरिक्त स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। शहरों में भी ये नियम काम में लाये जा सकते हैं। स्वास्थ्य और सफ़ाई के लिये सरकार चाहे जितना भी प्रयत्न करे, उसे पूरी सफलता नहीं मिल सकती। जब तक जनता में व्यापक शिक्षा (Popular Education) का प्रचार न होगा और उसकी आर्थिक दशा ठीक न होगी तब तक सफ़ाई का पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता। 'भूखा मनुष्य रोटी चाहता है सफ़ेद कपड़े नहीं'। फिर भी जिस परिस्थिति में हम हैं उसके अनुसार अपने को स्वस्थ और साफ़ रख सकते हैं।

सारांश

जैसे शरीर को पुष्ट करने के लिये व्यायाम आवश्यक है उसी तरह चरित्र निर्माण के लिये शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी करना नहीं है। इससे हमारे अन्दर सरलता, सज्जनता, सद्भाव आदि गुणों की वृद्धि होनी चाहिये। शिक्षित वह है जो दूसरों के लिये अपना जीवन व्यतीत करता है। वर्तमान शिक्षा हमारे देश के लिये घातक है। न तो उसके अन्दर ग्रामीणता है और न हमारा चरित्र ही उससे बनता है। वह व्यापार का एक साधन मात्र रह गई है। इतनी महँगी शिक्षा न तो देश-व्यापी हो सकती है और न उससे कोई लाभ ही है। पढ़े-लिखे लोग काहिल और विलासी अधिक होते जा रहे हैं। यही कारण है कि १० फ़ी सदी शिक्षा में ही वे आज बेकार हैं। विदेशी भाषा के चक्कर में पड़कर वे मातृभाषा द्वारा अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते। इन्हीं कमज़ोरियों को दूर करने के लिये राष्ट्रभाषा तथा 'बुनियादी शिक्षा' पर अधिक से अधिक ज़ोर दिया जा रहा है।

शिक्षा प्रान्तीय विषय है। प्रान्तीय सरकार का एक मन्त्री

(Education Minister) इस विभाग का प्रधान होता है। इसके नीचे शिक्षा-डाइरेक्टर इसका निरीक्षण करता है। सम्पूर्ण शिक्षा तीन श्रेणियों में विभाजित की गई है। विश्वविद्यालय, माध्यमिक और आरम्भिक। समूचे हिन्दोस्तान में कुल १६ विश्वविद्यालय हैं। माध्यमिक शिक्षा की ज़िम्मेवारी प्रत्येक प्रान्त में एक बोर्ड को (High School and Intermediate Board) दी गई है। आरम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध ज़िला बोर्ड करते हैं। चूंकि पैसे की कमी तथा कौटुम्बिक परिस्थिति के कारण अधिकतर विद्यार्थी आरम्भिक शिक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सकते, इसलिये सरकार को सब से अधिक रुपया इसी पर ख़र्च करना चाहिये। साथ ही आरम्भिक शिक्षा का कोर्स ऐसा बनना चाहिये जिससे विद्यार्थी जीवन में पूरा-पूरा लाभ उठा सकें।

स्वास्थ्य और सफ़ाई की ज़िम्मेवारी प्रान्तीय सरकार के हाथ में है। प्रत्येक ज़िले में एक स्वास्थ्य अफ़सर (Health Officer) होता है। वह गावों तथा शहरों में सफ़ाई की देख-रेख करता है। ये दोनों कार्य ज़िला बोर्डों को सुपुर्द कर दिये गये हैं। हवा, रोशनी, पानी, खाने पीने की चीज़ों, अस्पताल आदि का प्रबन्ध ज़िला बोर्ड करते हैं। प्रान्तीय सरकार भी अपनी ओर से अस्पताल खोलती है। देश में व्यापक शिक्षा के अभाव और ग़रीबी के कारण लोग स्वास्थ्य और सफ़ाई पर कम ध्यान देते हैं। गावों में इनका सर्वथा अभाव है। सरकार को चाहिये कि जो रुपया वह बीमारियों को अच्छा करने पर ख़र्च करती है वह लोगों के स्वास्थ्य पर ख़र्च करे। व्यायाम के साधन, स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तिकाओं के प्रचार तथा गृहनिर्माण के नये ढङ्ग पर उसे अधिक ज़ोर देना चाहिये।

प्रश्न

१—शिक्षा का तात्पर्य क्या है? क्या इस उद्देश्य को सामने रखकर हमारे देश में वर्तमान शिक्षा दी जा रही है?

(What is the ultimate object of education? How far this object is being followed in our present system of education?)

२—वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कौन-कौन सी कमज़ोरियाँ हैं। उन्हें दूर करने का क्या इलाज किया जा रहा है?

(Find out the main defects in our present educational system. What remedies have been suggested to wipe them out?)

३—वर्तमान शिक्षा-संगठन का वर्णन कीजिये और प्रत्येक श्रेणी की उपयोगिता पर अपने विचार प्रकट कीजिये।

(Describe the organization of education in your province and discuss the importance of all the three divisons in our system.)

४—किन-किन उपायों द्वारा प्रान्तीय सरकार जनता के स्वास्थ्य और सफ़ाई का प्रबन्ध करती है? इसमें पूरी सफलता न मिलने का क्या कारण है?

(By what means does the provincial government improve the health and sanitation of the people? What are the hindrances in it?)

अध्याय १६

क़ानून और न्यायालय

सरकार को चलाने के लिये क़ानूनों की आवश्यकता पड़ती है। इसी से राजा और प्रजा के अधिकार स्पष्ट किये जाते हैं। सरकारी कर्मचारी इन्हीं क़ानूनों द्वारा अपना कर्तव्य पालन करते हैं। प्रजा के प्रतिनिधि स्वयं इन क़ानूनों को बनाते हैं। इसीलिये कहा जाता है कि प्रजातन्त्र (Democracy) के अन्दर जनता स्वयं अपना शासन करती है। वही अपने ऊपर टैक्स लगाती है, वही सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करती है और वही क़ानून भी बनाती है। जिस देश में प्रजा को कोई अधिकार नहीं दिया गया है और राजा अपनी इच्छानुसार क़ानूनों को बनाता है वहाँ न तो शान्ति रह सकती है और न किसी प्रकार की उन्नति हो सकती है। कुछ लोग क़ानूनों को बन्धन समझते हैं, परन्तु उनका विचार ग़लत है। यदि क़ानून न हों तो कमज़ोर की बलवानों से और ग़रीबों की अमीरों से रक्षा नहीं हो सकती। क़ानूनों की देख-रेख के लिये सरकार को अनेक कर्मचारी रखने पड़ते हैं। जो इन्हें भंग करता है उसे कचहरियों में दंड दिया जाता है।

क़ानूनों का महत्व

क़ानून किसी को परीशान करने के लिये नहीं बनाये गये हैं। इनका उद्देश्य देश में शान्ति रखना है। यदि कोई व्यक्ति जंगल या पर्वत की गुफ़ा में अकेले निवास करे तो उसे शायद किसी नियम की आवश्यकता न होगी। न तो वह किसी को दबा सकता है और न उसे कोई हानि पहुँचा सकता है। परन्तु समाज में ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो हज़ारों आदमी एक साथ रहते हैं। हर काम में एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इतने आदमियों को जब साथ-साथ रहना है तो कुछ नियम भी आवश्यक हैं। इसीलिये धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक नियम बनाये जाते हैं। राजनैतिक नियमों को ही क़ानून कहते हैं। इनका निर्माण धर्म और समाज के अनुसार किया जाता है।

जहाँ हज़ारों आदमियों का रात दिन का सम्पर्क है वहाँ आपस में मत-भेद भी होगा। सम्भव है दो व्यक्ति लड़ भी जायँ। हो सकता है किसी सम्पत्ति के लिये दो या चार दावेदार खड़े हो जायँ। यह भी मुमकिन है कि किसी सीधे-सादे भले मानुष व्यक्ति को कोई मूर्ख और बलवान दबाने की चेष्टा करे। हर आदमी को किसी न किसी मर्यादा के अन्दर रहकर काम करना चाहिये। न हम किसी की स्वतन्त्रता में बाधा डालें और न दूसरा ही हमारी आज़ादी को रोके। इन तमाम बातों के लिये सरकार को नियम बनाने पड़ते हैं। इनकी देख-रेख के लिये पुलीस और फ़ौज तक रखनी पड़ती है। समाज में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के लोग रहते हैं। नियमपूर्वक जीवन व्यतीत करना प्रत्येक की उन्नति के लिये आवश्यक है। लेकिन अधिकतर लोग इस

नियमित जीवन के महत्व को नहीं समझते। वे दूसरों को अकारण तंग करते हैं, उनका धन छीन लेते हैं और उनकी उन्नति में रुकावटें डालते हैं। इन्हीं व्यक्तियों को सही रास्ते पर लाने के लिये क़ानून बनाने पड़ते हैं। यदि सभी मनुष्य अपने-अपने कर्तव्यों को समझने लगें और कोई किसी को हानि न पहुँचाये तो क़ानून की कोई आवश्यकता नहीं है। उस दशा में कचहरियों, थानों, पुलीस आदि की क़तई ज़रूरत नहीं होगी। परन्तु समाज में ऐसा होना स्वप्न की बात है। जब तक मनुष्य के अन्दर विकार हैं तब तक उन्हें रोकने के लिये क़ानून ज़रूरी हैं।

क़ानूनों का पालन

क़ानूनों का पालन लोग कई दृष्टियों से करते हैं। जो शिक्षित और समझदार हैं वे समाज की मर्यादा के लिये इनका पालन करते हैं। वे जानते हैं कि दूसरों को कष्ट पहुँचाना दोष है और नियमों का पालन समाज की उन्नति के लिये ज़रूरी है। इसीलिये वे क़ानूनों की इज़्ज़त करते हैं और प्रत्येक दशा में इनका पालन करते हैं। जो अशिक्षित हैं और क़ानूनों के महत्व को नहीं समझते वे भय के कारण इनका पालन करते हैं। वे जानते हैं कि यदि वे चोरी करेंगे या किसी को मारेंगे तो पुलीस उन्हें गिरफ़्तार करेगी और जेल भोगना होगा। इसी डर के कारण वे जल्दी किसी क़ानून को नहीं तोड़ते। लेकिन जब उन्हें मौक़ा मिलता है तो वे इन्हें भंग भी करते हैं। कुछ लोग अपने स्वभाव के कारण इनका पालन करते हैं। मनुष्य अनादि काल से समाज में रह रहा है। सैकड़ों तरह के नियमों का उसे पालन करना पड़ता है। नियम-पालन

उसका स्वभाव बन गया है। सरकारी क़ानूनों को मानने में उसे कोई कठिनाई नहीं होती। इन्हीं तीन कोटियों में समाज के सम्पूर्ण व्यक्ति आ जाते हैं। क़ानूनों का पालन सबको करना पड़ता है। जो ऐसा नहीं करते उन्हें दंड दिया जाता है।

दंड विधि

कोई बड़ा से बड़ा अपराध क्यों न करे कचहरियों के अतिरिक्त किसी सरकारी कर्मचारी को उसे दंड देने का अधिकार नहीं है। अपराधी कचहरी में न्यायाधीश के सामने लाया जाता है। उसके अपराध पर विचार होता है। पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं को सोच कर अपराध साबित होने पर क़ानून के अनुसार उसे दंड दिया जाता है। लेकिन इस दंड देने का अर्थ यह नहीं है कि अपराधी को परीशान करने के लिये ऐसा किया जाता है। दंड का उद्देश्य सुधार है। कोई विचारवान मनुष्य क़ानून को जल्दी नहीं तोड़ता। यह बात स्वतः सिद्ध है कि जो क़ानूनों को तोड़ते हैं वे या तो उतावलेपन में आकर ऐसा करते हैं अथवा अज्ञानतावश। दोनों दशाओं में उनकी कमज़ोरी है। इसी कमज़ोरी को दूर करने के लिये कचहरियाँ दंड देती हैं। दंड से एक प्रकार की चेतावनी दी जाती है कि आइन्दा ऐसा नहीं करना चाहिये। अपराधी दंड पाकर कुछ तो लज्जावश और कुछ चेतावनी के कारण आगे के लिये सुधर जाता है।

दूसरों को बता देने के लिये भी अपराधी को दंड दिया जाता है। जब किसी चोर या दुष्ट को सज़ा मिलती है तो दूसरे सचेत हो जाते हैं और जल्दी क़ानूनों को नहीं तोड़ते। इसी उदाहरण के लिये प्राचीन

काल में सज़ायें बहुत ही सख़्त दी जाती थीं। अपराधी के हाथ पैर काट लिये जाते थे। आम जनता के सामने उसे फाँसी दी जाती थी। परन्तु वर्तमान समय में ऐसा नहीं किया जाता। केवल जान से मारने के अपराध में लोगों को फाँसी दो जाती है। अंग-भग का दंड बिलकुल नहीं दिया जाता। आजकल दंड का एकमात्र उद्देश्य यह है कि अपराधी अपनी ग़लतियों को महसूस करे और भविष्य में फिर ऐसा न करे। यही होना भी चाहिये। बुरे से बुरे मनुष्य का सुधार किया जा सकता है। समाज सोच विचार कर लोगों को ऐसी शिक्षा दे और उनके अन्दर ऐसे भाव पैदा करे कि वे क़ानूनों के महत्व को समझें। अपराध एक बीमारी है और उसकी दवा हो सकती है। जेल अपराधियों के अस्पताल हैं। सरकार को समाज में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिये जिससे अपराधों को संख्या कम होती जाय।

न्यायालय

ऊपर कहा गया है कि दड केवल कचहरियों में दिया जाता है। जजों को ही दंड देने का अधिकार है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि न्यायालय केवल दंड देने के लिये बनाये जाते हैं। 'न्यायालय' शब्द का अर्थ है 'न्याय का घर', अर्थात् जहाँ न्याय होता हो। न्याय की आवश्यकता पग-पग पर पड़ती है। जहाँ भी किसी के अधिकार अथवा अपराधों के जाँच की आवश्यकता होती है वहाँ न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। न्यायालय दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जिनमें फ़ौजदारी के मुक़दमे और दूसरे वे जिनमें दीवानी या माल के मुक़दमें फ़ैसल किये जाते हैं। पहली को फ़ौजदारी अदालत

(Criminal Court) और दूसरी को दीवानी अदालत (Civil Court) कहते हैं। कुछ अदालतों में दीवानी और फ़ौजदारी दोनों तरह के मुक़दमे फ़ैसल किये जाते हैं। इन अदालतों के अधिकार भिन्न-भिन्न होते हैं। कुछ में मुक़दमे शुरू हो सकते हैं, परन्तु अपील नहीं की जा सकती। कुछ में केवल अपील ही होती है। नीचे से ऊपर तक न्यायालयों का एक जाल सा फैला हुआ है। जैसे छोटे या बड़े मुक़दमे होते हैं उसी तरह के छोटे और बड़े न्यायालय भी बनाये गये हैं।

कचहरियों में न्याय तभी हो सकता है जब कि न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से मुक़दमों का फ़ैसला करें। उनके दिलों में नीच-ऊँच, धनी-ग़रीब, परिचित-अपरिचित तथा छोटे-बड़े का भेद भाव न हो। न्याय सबके लिये समान रूप से होना चाहिये। यह तभी सम्भव है जब कि न्यायाधीश में असाधारण योग्यता हो। उन्हें कम से कम इतना वेतन ज़रूर मिले ताकि वे घूस आदि न लें। पैसे की कमी के कारण कोई भी उनसे न्याय को ख़रीद सकता है। न्याय करने में जजों को जल्दी नहीं करनी चाहिये। निहायत ठंडे दिल से दोनों पक्ष पर उन्हें विचार करना चाहिये। किसी बनावटी अथवा आर्तभाव को पहचानने की उनमें शक्ति होनी चाहिये। प्रत्येक दशा में क़ानून के अतिरिक्त व्यावहारिक बुद्धि (Common Sense) का प्रयोग ज़रूरी है। न्यायाधीश कभी भी एक पक्ष की बातों को सुनकर अपना विचार निश्चित न कर लें। न्याय पर ही राज्य की नींव है। इसीलिये उनकी ज़िम्मेवारी राज्य में सबसे अधिक है।

न्यायालयों का संगठन

हिन्दोस्तान के लिये अपील की सबसे बड़ी अदालत 'प्रिवी कौंसिल' (Privy Council) है। इसमें कोई मुक़दमें आरम्भ नहीं किये जाते। यह न्यायालय इंगलैंड में है। ब्रिटिश साम्राज्य में सभी देशों की अन्तिम अपील इसी में की जाती है। हाईकोर्ट में फ़ैसल होने के बाद किसी मुक़दमें की अपील इसमें की जा सकती है, परन्तु इसके लिये हाईकोर्ट की आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती है। केवल माल के मुक़दमें प्रिवी कौंसिल में अपील किये जाते हैं। फ़ौजदारी के मुक़दमें तभी अपील किये जाते हैं जब किसी क़ानूनी दाव पेच का झगड़ा होता है। १०,००० रुपये से कम के मुक़दमें प्रिवी कौंसिल में अपील नहीं किये जा सकते। भारतीय लोकमत इस न्यायालय के विरुद्ध है। देश के बाहर सबसे बड़ी अदालत रहने से न्याय कराने में असुविधा होती है। विदेशी वातावरण में भारतीय मुक़दमों का तत्व नहीं समझा जा सकता।

हिन्दोस्तान में सबसे बड़ी अदालत संघ न्यायालय (Federal Court) है। जब से इस देश में संघ-शासन-विधान बनाया गया है तभी से इस न्यायालय की स्थापना हुई है। किसी भी संघ शासन में संघ न्यायालय का होना अनिवार्य है। मुक़दमों को फ़ैसल करने के लिये नहीं बल्कि वैधानिक कठिनाइयों (Constitutional Difficulties) को सुलझाने के लिये यह न्यायालय बनाया जाता है। भारतीय संघ न्यायालय में अधिक से अधिक ७ जज नियुक्त किये जा सकते हैं। इनकी नियुक्ति ब्रिटिश

सम्राट स्वयं करता है। चूँकि संघ शासन अभी पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया है इसलिये वर्तमान समय में इसमें केवल ३ जज नियुक्त किये गये हैं। एक हिन्दू, एक मुसलमान और प्रधान जज एक अंग्रेज़ हैं। जब कभी संघ शासन की धाराओं के स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो यही न्यायालय इसे करेगा। इसके अलावे दो प्रकार के और भी मुक़दमें इसमें फ़ैसल किये जायेंगे। यदि हाईकोर्ट किसी मुक़दमें में क़ानून के स्पष्टीकरण की आवश्यकता समझे तो वह उसे संघ न्यायालय में भेज सकती है। ब्रिटिश भारत से ५०,००० रुपये से ऊपर के मुक़दमें हाईकोर्ट के फ़ैसले के बाद संघ न्यायालय में उस दशा में अपील किये जयेंगे जब कि संघ धारा सभा इस प्रकार का कोई विधान बना दे। कुछ मुक़दमों की अपील संघ न्यायालय से प्रिवी कौंसिल में की जा सकती है।

संघ न्यायालय के नीचे प्रान्तीय अदालतें हैं। प्रान्त की सबसे बड़ी अदालत हाईकोर्ट कहलाती है। इसे दीवानी और फौज़दारी दोनों तरह के मुक़दमें फ़ैसल करने का अधिकार होता है। हाईकोर्ट में अधिक से अधिक २० जज तक नियुक्त किये जा सकते हैं। इनकी नियुक्ति सम्राट् स्वयं करता है। प्रधान जज को ५,००० रुपया मासिक और बाक़ी जजों को ४,००० रुपया मासिक वेतन दिया जाता है। केवल कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रधान जज को ६,००० रुपया मासिक वेतन मिलता है। हिन्दोस्तान में कलकत्ता, मदरास, बम्बई, इलाहाबाद, लाहौर, पटना, और नागपुर कुल ७ हाईकोर्ट हैं। १९३५ ई० से अवध के चीफ़कोर्ट तथा सीमाप्रान्त और सिन्ध के जुडीशियल कमिश्नर कोर्ट को भी हाईकोर्ट का दर्जा दे दिया गया है।

६० वर्ष की आयु तक जज इन अदालतों में कार्य कर सकते हैं। हाईकोर्ट में नये मुक़दमें तथा अपील दोनों ही फ़ैसल किये जाते हैं। इसकी आज्ञा के बिना किसी भी व्यक्ति को फाँसी की सज़ा नहीं दी जा सकती। प्रान्त की अन्य अदालतें इसकी मातहती में कार्य करती हैं। हाईकोर्ट के जज प्रान्त में दौरा करके यह देखते रहते हैं कि ज़िले की अदालतें ठीक ठीक न्याय करती हैं या नहीं। किसी मुक़दमें को एक कचहरी से दूसरी कचहरी में बदलने का अधिकार केवल हाईकोर्ट को है।

हाईकोर्ट के नीचे ज़िले की अदालतें होती हैं। ज़िले में फौज़दारी की सबसे बड़ी अदालत 'सेशन कोर्ट' कहलाती है। दीवानी की सबसे बड़ी अदालत का नाम 'डिस्ट्रिक्ट कोर्ट' है। आमतौर से ये दोनों अदालतें एक ही में शामिल रक्खी गई हैं और एक ही जज दोनों पदों पर काम करता है। जिस समय वह फ़ौजदारी के मुक़दमें करता है उस समय वह सेशन जज कहलाता है और जिस समय दीवानी के मुक़दमें करता है उस समय उसे डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। इसके नीचे मुन्सिफ़ कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट होती हैं। मजिस्ट्रेट के अधिकार अव्वल, दोयम और सोयम तीन प्रकार के होते हैं। अव्वल दर्जे के मजिस्ट्रेट को २ साल की सज़ा और १००० रुपया जुर्माना, दोयम दर्जे के मजिस्ट्रेट को ६ महीने की सज़ा और २०० रुपया जुर्माना, तथा सोयम दर्जे के मजिस्ट्रेट को एक महीने की सज़ा और ५० रुपया जुर्माना करने का अधिकार दिया गया है। इन पदों पर अवैतनिक मजिस्ट्रेट (Honorary Magistrate) भी रक्खे जाते हैं। ज़िले के कलेक्टर को अव्वल दर्जे के मजिस्ट्रेट का अधिकार दिया गया है।

इन कचहरियों के अलावा बड़े शहरों में छोटे-छोटे मुक़दमें फ़ैसल करने के लिये मामूली कचहरियाँ (Small Cause Courts) होती हैं। इनमें दीवानी और फ़ौजदारी के छोटे-छोटे मुक़दमें आते हैं। इनके फ़ैसले की अपील नहीं की जा सकती। गावों में साधारण मुक़दमों का निपटारा करने के लिये 'ग्राम पंचायतें' बनाई गई हैं। इन्हें अधिक से अधिक १० रुपया तक जुर्माना करने का अधिकार है। जेल की सज़ा देने का इन्हें अधिकार नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि 'ग्राम पंचायतों' का महत्व किसी बड़ी अदालत से कम नहीं है। यदि सरकार इन्हें पूरा अधिकार दे दे और आम जनता इसके महत्व को समझे तो ७५ फ़ी सदी मुक़दमें इन्हीं पंचायतों में समाप्त हो जायँ। लोगों की व्यर्थ की परीशानी और ख़र्च की ज़रूरत न हो। पंचायतें सबसे अच्छा न्याय कर सकती हैं। गावों में लोग यह अच्छी तरह जानते हैं कि कौन व्यक्ति किस स्वभाव का है। पंचों को दोनों पक्ष की बातों में सचाई निकालने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती। परन्तु पंचायत बनाने में इस बात का ध्यान रखना होगा कि गाँव के सच्चे और ईमानदार आदमी इसमें शरीक किये जायँ। यदि प्रत्येक गाँव में इस तरह की पंचायत बना दी जाय तो किसान और मज़दूरों की गाढ़ी कमाई कचहरियों में जाने से बच जाय। हिन्दोस्तान ऐसे ग्रामीण देश में 'ग्राम पंचायतों' का महत्व और भी अधिक है।

सारांश

राज्य में क़ानून निहायत ज़रूरी हैं। बिना किसी नियम के समाज में शान्ति नहीं रह सकती। कुछ लोग अपने कर्तव्यों का ठीक-ठीक

पालन नहीं करते। वे दूसरों की स्वतन्त्रता में बाधा डालते हैं। ऐसी दशा में सरकार को कुछ ऐसे क़ानून बनाने पड़ते हैं जिनसे ग़रीबों की धनिकों से और कमज़ोरों की बलवानों से रक्षा हो। यह विचार ग़लत है कि क़ानून बन्धन है। जनता स्वयं अपनी आवश्यकतानुसार इसे बनाती है। क़ानूनों का पालन कई दृष्टियों से लोग करते हैं। कुछ मर्यादावश, कुछ भयवश और कुछ स्वभाव के कारण इनका पालन करते हैं। शिक्षित और समझदार व्यक्ति क़ानूनों को समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता समझकर इनका पालन करते हैं।

जो लोग क़ानूनों को भग करते हैं उन्हें कचहरियाँ दंड देती हैं। प्राचीन काल में दंड का नियम बहुत ही सख़्त था। आमतौर से अंग-भंग का दंड दिया जाता था। लोगों के हाथ, पैर, नाक आदि काट लिये जाते थे। परन्तु सभ्यता के विकास के साथ दंड का रूप बदलता गया। आजकल केवल हत्या करने के अपराध में फाँसी की सज़ा दी जाती है। अन्य अपराधों में या तो जुर्माना किया जाता है या जेल की सजा दी जाती है। दंड का उद्देश्य अपराधी को ज़ेर करना नहीं है। यह इसलिये दिया जाता है कि वह अपनी ग़लतियों को महसूस करे और फिर ऐसी ग़लती न करे। कचहरियों में अपराधी की बातों पर पूरा-पूरा विचार किया जाता है। न्याय करने में किसी तरह का पक्षपात नहीं किया जाता। सरकार की नींव न्याय पर ही क़ायम है। इसीलिये कचहरियों में जजों को पूरा वेतन दिया जाता है कि वे घूस न लें। नीच-ऊँच, छोटे-बड़े, धनी-ग़रीब, का अन्तर करने की उन्हें आज्ञा नहीं है।

हमारे देश की अपील की सबसे बड़ी अदालत प्रिवी कौंसिल है। यह इङ्गलैंड में बनाई गई है। १९३५ ई० से संघ-शासन-विधान के साथ

संघ न्यायालय (Federal Court) की स्थापना की गई है। यह न्यायालय केवल वैधानिक कठिनाइयों को सुलझाने के लिये बनाया गया है। प्रान्त की सबसे बड़ी अदालत हाईकोर्ट कहलाती है। हिन्दोस्तान में कुल ७ हाईकोर्ट हैं। इनका कार्य नये मुकदमें तथा अपील, दीवानी और फ़ौजदारी दोनों तरह के मुक़दमें फ़ैसल करना है। हाईकोर्ट के नीचे प्रत्येक ज़िले में फ़ौज़दारी के मुक़दमों की सबसे बड़ी अदालत का नाम 'सेशन कोर्ट' और दीवानी के मुक़दमों की सबसे बड़ी अदालत का नाम 'डिस्ट्रिक्ट कोर्ट' है। ये दोनों अदालतें आमतौर से एक ही में शामिल रक्खी गई हैं। बड़े शहरों में छोटे-छोटे मुक़दमों को फ़ैसल करने के लिये मामूली अदालतें (Small Cause Courts) होती हैं। गावों में साधारण मुक़दमों का निपटारा 'ग्राम पंचायतें' करती हैं।

प्रश्न

१—क़ानूनों का क्या उद्देश्य है? किस प्रकार ये कमज़ोर और दुखियों की सहायता के लिये बनाये गये हैं?

(What is the ultimate object of law? In what ways it protects the poor and the oppressed?)

२—दंड क्यों दिये जाते हैं? अपराधी को क्यों नहीं समझा बुझाकर छोड़ दिया जाता?

(Discuss the different theories of punishment and show why is a criminal not pardoned after a few advices given to him?)

३—हमारे देश में न्यायालयों का संगठन किस प्रकार किया गया है? प्रत्येक न्यायालय का सूक्ष्म वर्णन कीजिये।

(How is Judiciary organized in India? Discuss the organization and functions of each court.)

४—न्याय विभाग में 'ग्राम पंचायतों' का क्या स्थान है ? इनकी उपयोगिता हमारे देश में क्योंकर अधिक है ?

(Describe the importance of 'village Punchayat' in Judicial organization. Why is 'Punchayat System' more suitable to Indian condition ?)

५—'न्याय पर ही सरकार की नीव है।' इसकी व्याख्या कीजिये और यह भी बतलाइये कि जजों में कौन-कौन से गुण आवश्यक हैं।

('Justice is the foundation of state'. Explain this proposition and describe the main qualities necessary in a judicial officer.

अध्याय १७

सरकारी नौकरियाँ तथा आय-व्यय

किसी देश का शासन वहाँ के शासकों पर निर्भर है। शासन विधान अच्छा या बुरा कुछ भी हो यदि शासक नेक नीयती से कार्य करते हैं तो प्रजा को कोई कष्ट नहीं हो सकता। इन्हीं शासकों को सरकारी कर्मचारी कहते हैं। गाँव के चौकीदार से लेकर गवर्नर-जनरल तक इसके अन्दर शामिल हैं। इनमें जितनी ही योग्यता और ज़िम्मेवारी होगी देश का शासन उतना ही अच्छा होगा। इसके विपरीत यदि ये अत्याचारी और स्वार्थी होंगे तो प्रजा की दशा उतनी ही ख़राब होगी। देश की उन्नति पर जितना प्रभाव सरकारी कर्मचारियों का पड़ता है उतना ही सरकार की आय और व्यय सम्बन्धी नीति का। प्रजा का धन उसी की भलाई के लिये ख़र्च होना चाहिये। यदि सरकार अधिक से अधिक टैक्स लगाकर यह धन विदेशों में ख़र्च करती है, अपने कर्मचारियों में बाँट देती है अथवा बड़ी-बड़ी फ़ौजें रखती है तो देश के व्यापार को धक्का पहुँचेगा और जनता की आर्थिक दशा गिरती जायगी। इस अध्याय में इन्हीं दोनों प्रश्नों पर विचार किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव

वैसे तो समाज में एक दूसरे का प्रभाव सब पर पड़ता है,

परन्तु सरकारी नौकरों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। सरकार के किसी न किसी विभाग से प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से अपना सम्बन्ध रखता है। कुछ विभाग ऐसे भी हैं जिनसे हर आदमी का कुछ न कुछ सम्बन्ध होता है। कचहरियाँ, डाकघर, पुलीस इनसे जनता का रोज़ का सम्बन्ध रहता है। तात्पर्य यह है कि सरकारी कर्मचारियों से हर समय जनता के काम निकलते रहते हैं। कभी टैक्स वसूल करने वाले से काम पड़ता है, कभी पटवारी की शरण लेनी पड़ती है, कभी थानेदार से काम पड़ता है, इत्यादि इत्यादि। इन कर्मचारियों को तरह-तरह के अधिकार प्राप्त होते हैं। इन्हीं का प्रयोग वे हर काम में करते हैं। ऐसी दशा में कर्मचारियों का प्रभाव आम जनता पर गहरा पड़ता है। यदि इनका स्वभाव नम्र है और जनता के साथ वे सहानुभूति का व्यवहार करते हैं तो प्रजा को इनसे सुख पहुँचेगा। बहुत सी सामाजिक तथा व्यक्तिगत कठिनाइयां इनके द्वारा सुलझती रहेंगी। लेकिन यदि वे पदलोलुप तथा रुपये के भूखे हैं तो प्रजा पर नाना प्रकार के अत्याचार होंगे। इनके विकृत स्वभाव के कारण समाज में तरह-तरह की बुराइयाँ फैलेंगी। इससे अच्छी से अच्छी सरकार असफल सिद्ध होगी।

कर्मचारियों के स्वभाव से बढ़कर इनकी योग्यता का असर पड़ता है। यदि ये अपने कार्यों में अयोग्य हैं तो प्रजा को हद दरजे की तकलीफ़ होगी। अच्छे से अच्छे कामों का महत्व भुला दिया जायगा। अकसर देखा जाता है कि जो कर्मचारी जितना ही योग्य है वह प्रजा को उतना ही अधिक लाभ पहुँचाता है। यह योग्यता केवल पदवियों पर निर्भर नहीं है। इसका तात्पर्य व्यावहारिक ज्ञान तथा

सामाजिक उत्तरदायित्व से है। जिसके अन्दर जितनी ही अधिक लगन है वह उतनी ही तत्परता के साथ अपना काम करेगा। इसीलिये इनकी नियुक्ति के समय सरकार को बहुत ही जाँच पड़ताल करने की आवश्यकता है।

सरकारी नौकरियों का विभाजन

सरकारी नौकरियाँ तीन श्रेणियों में विभाजित की गई हैं। अखिल भारतीय, प्रान्तीय तथा साधारण नौकरियाँ। पहिले प्रकार की नौकरियाँ भारत मन्त्री के हाथों में रक्खी गई हैं। इन कर्मचारियों का वेतन, समय तथा नियम—इन सबको वही निश्चित करता है। यद्यपि ये कर्मचारी केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के अन्दर कार्य करते हैं, फिर भी इन सरकारों का पूरा अधिकार इन पर नहीं है। यह एक अजीब सी बात है कि नौकर मालिक के अधिकार से बाहर हो। १९३५ से इन कर्मचारियों की नियुक्ति 'संघ पबलिक सरविस कमीशन' द्वारा की जाती है। कमीशन परीक्षा द्वारा योग्य से योग्य व्यक्तियों को चुन लेता है। प्रान्तीय नौकरियाँ वे हैं जो प्रान्तीय सरकार के अन्दर रक्खी गई हैं। इन कर्मचारियों की नियुक्ति अब प्रान्तीय पबलिक सरविस कमीशन द्वारा होती है। प्रत्येक प्रान्त में इस प्रकार का एक कमीशन स्थापित किया गया है। यदि दो प्रान्त आपस में सहमत हों तो एक ही कमीशन से अपना काम चला सकते हैं। सिन्ध और बम्बई प्रान्तों ने एक ही कमीशन रक्खा है।

संघ पबलिक सरविस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर-जनरल और प्रान्तीय पबलिक सरविस कमीशन के सदस्यों की

नियुक्ति प्रान्त का गवर्नर करता है। सदस्यों के लिये यह नियम है कि वे कम से कम १० वर्ष तक किसी सरकारी पद पर कार्य कर चुके हों। साधारण कर्मचारियों की नियुक्ति बड़े-बड़े पदाधिकारी अपने-अपने विभाग में स्वयं कर लेते हैं। गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की नियुक्ति सम्राट् स्वयं करता है।

कर्मचारियों का वेतन

हिन्दोस्तान में सरकारी कर्मचारियों को जितना वेतन दिया जाता है उतना संसार के किसी भी देश में नहीं दिया जाता। जितना वेतन गवर्नर जनरल को मिलता है उतना अमेरिका का प्रेसीडेन्ट अथवा खुद ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं पाता। आफ़िसों में साधारण क्लार्क तक का वेतन सैकड़ों रुपये मासिक रक्खा गया है। इतने ग़रीब देश में, जिसमें हर आदमी की औसत दैनिक आय केवल ७ पैसे रोज़ है, इतनी लम्बी-लम्बी तनख़ाहें उचित नहीं कही जा सकतीं। कुछ तो अंग्रेज़ कर्मचारियों की सुविधा के लिये और कुछ सरकारी नौकरी को आकर्षित करने के लिये सरकार ने ऐसा किया है। इससे देश को दो बड़ी हानियाँ उठानी पड़ती हैं। एक तो प्रजा का धन थोड़े से कर्मचारियों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रजा का धन उसकी भलाई पर नहीं लग पाता। दूसरे, देश के सबसे प्रतिभाशाली और होनहार नवयुवक सरकारी कामों में खिंच जाते हैं। अधिकार और धन के लोभ के कारण उन्हें सरकारी नौकरी सबसे अच्छी मालूम पड़ती है। अन्य देशों में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति देश के सार्वजनिक कामों में लगते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग व्यापार करते हैं। सबमें निम्नकोटि के लोग सरकारी नौकरियों में जाते हैं। हमारे देश में इसके बिलकुल

विपरीत होता है। यही वजह है कि यहाँ का सार्वजनिक जीवन ऊँचा नहीं है।

एक ओर तो सरकार को पैसे की कमी रहती है और दूसरी ओर वह अपने कर्मचारियों को लम्बा-लम्बा वेतन देती है, ये दोनों बातें समझ में नहीं आतीं। इसीलिये १९३७ ई० में जब प्रान्तों में कांग्रेस ने सरकार को चलाने का भार लिया तो मन्त्रियों का वेतन ५,००० रुपये मासिक से घटाकर ५०० रुपया मासिक कर दिया। कांग्रेसी मन्त्रियों ने केवल ५०० रुपये महीने लेकर निहायत अच्छी तरह अपने कार्यों को चलाया। आज भी कांग्रेस का यह कहना है कि हमारे देश में वर्तमान परिस्थिति को देखते हुये किसी भी कर्मचारी का वेतन ५०० रुपये महीने से अधिक नहीं होना चाहिये। परन्तु यहाँ तो गवर्नर-जनरल का वेतन क़रीब २१००० रुपये महीने तक निश्चित किया गया है। यदि ये बड़ी-बड़ी तनख़ाहें भारतीयों को दी जातीं तब भी थोड़ा सन्तोष होता कि देश का धन देश में तो रहता है। परन्तु यहाँ तो बड़े-बड़े पद अधिकतर अंग्रेज़ भाइयों को ही दिये जाते हैं। दो चार वर्ष काम करने के बाद इंगलैंड में बैठे हुये ये लम्बी पेन्शन के हक़दार हो जाते हैं। इनकी तनख़ाह का एक पाई भी इस देश में ख़र्च नहीं होता।

नौकरियों में सुधार

हमारे देश में सरकारी नौकरियों में कुछ सुधार की आवश्यकता है। परन्तु यह तब तक सम्भव नहीं है जब तक सरकार की शासन सम्बन्धी वर्तमान नीति बदल न दी जाय। एक तो लम्बी-लम्बी तनख़ाहें कम करनी होंगी। जब तक सरकारी नौकरियाँ आकर्षित

करती रहेंगी तब तक दीपक के पतंग की तरह देश के शिक्षित और होनहार नवयुवक अपना अमूल्य जीवन उन्हीं की आशा में नष्ट करते रहेंगे। नौकरियों में दूसरी आवश्यकता भारतीय-करण (Indianization) की है। भारतीय-करण का अर्थ है सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक भारतवासियों को स्थान देना। अभी तक हमारे देश में विदेशियों को ही ऊँचे-ऊँचे पद दिये जाते हैं। फ़ौज में जितना धन विदेशी सिपाहियों पर ख़र्च किया जाता है उसे भारतीय-करण द्वारा काफ़ी घटाया जा सकता है। सरकार को देशी और विदेशी कर्मचारियों में अधिकार या वेतन सम्बन्धी भेद-भाव नहीं करना चाहिये। यदि भारतीय-करण कर दिया जाय तो इससे हमारे देश को दो तरह के लाभ होंगे। एक तो देश के कितने ही बेकार शिक्षित काम में लग जायेंगे। दूसरे, जब भारतीय कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्य करेंगे तो राष्ट्रीय-भावना की वृद्धि होगी।

सरकारी आय-व्यय

हमारे प्राचीन आचार्यों का मत है कि 'राजा का व्यवहार प्रजा से ऐसा होना चाहिये जैसा माली का पौधों से।' माली पेड़ों को सींच-गोड़ कर हरा भरा करता है। जब वे फलते-फूलते हैं तो पके हुये फलों तथा खिले हुये फूलों को वह तोड़ लेता है। उसका कार्य भी चल जाता है और बगीचे की शोभा भी बनी रहती है। गाय को जब ग्वाला अच्छी तरह खिला पिला देता है तो वह स्वयं उसे बहुमूल्य दूध देती है। इसी प्रकार राजा का यह कर्तव्य है कि वह प्रजा की आर्थिक दशा को अधिक से अधिक ठीक रक्खे। उसी में से टैक्स के रूप में थोड़ा वह भी ले ले। इससे प्रजा को मालूम भी न होगा और सरकार का कार्य

भी चलता रहेगा। सरकारी आय का इससे ऊँचा सिद्धान्त कोई दूसरा नहीं हो सकता। जिस सरकार की नीति तरह तरह के टैक्स लगाकर प्रजा को निर्धन और निर्जीव बनाने की है वह प्रजा की हितैषी नहीं कहला सकती।

सरकारी आय तीन श्रेणियों में बाँटी जा सकती है। केन्द्रीय, प्रान्तीय और स्थानीय। कुछ टैक्सों को वसूल करने का अधिकार केवल केन्द्रीय सरकार को है। आयात-निर्यात कर, अफ़ीम कर, नमक कर, इनकम टैक्स, रेल कर, टकसाल कर, रियासतों का ख़िराज, डाक और तार से आय इत्यादि केन्द्रीय सरकार की आय के ज़रिये हैं। भूमि कर, खेती की आय पर टैक्स, मकान कर, पेशा कर, व्यापार कर, पशु कर, आमोद-प्रमोद कर, कचहरियों से आय आदि प्रान्तीय सरकार की आय के ज़रिये हैं। कुछ ऐसे भी ज़रिये हैं जिनकी आय केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों सरकारों में विभाजित कर दी जाती है। स्थानीय सरकार की आय के ज़रियों पर पिछले अध्याय में विचार किया गया है। जिस प्रकार सरकार की आय के कई ज़रिये हैं उसी प्रकार उसके ख़र्च भी हैं। शासन, फ़ौज, पुलीस, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफ़ाई, मकान, कृषि, रेल, तार, डाक, सूद इत्यादि ख़र्च के ज़रिये हैं। भारत सरकार के ऊपर १,३०० करोड़ रुपये का क़र्ज़ है। इसे भारतीय ख़ज़ाने से चुकाना है। लगभग १४ करोड़ रुपया प्रति वर्ष इसकी सूद दी जाती है। लगभग ४० करोड़ रुपया प्रति वर्ष रक्षा विभाग पर ख़र्च किया जाता है। १९४१-४२ ई० में यह ख़र्च ८४ करोड़ कर दिया गया था।

भारत सरकार की आय और व्यय दोनों की नीति दोष पूर्ण है। अप्रत्यक्ष कर की इतनी भरमार है कि ग़रीब किसान और

मज़दूरों को टैक्स से ही फ़ुरसत नहीं मिलती। कठिन परिश्रम करने पर भी उन्हें पेट भर भोजन और शरीर ढकने को वस्त्र नहीं मिलता। देश में कल कारख़ानों की वृद्धि में भी बाधा पड़ती है। कितने ही व्यापार टैक्स के भार से पनपने नहीं पाते। यही दशा ख़र्च की भी है। प्रजा से वसूल किया गया धन अनुत्पादक कार्यों में अधिक लगाया जाता है। फ़ौज, हथियार, वेतन, सूद, विदेशी ख़र्च आदि मदों में इतना धन ख़र्च किया जाता है कि उत्पादक कार्यों में पैसे की हमेशा कमी रहती है। शिक्षा, व्यवसाय, कृषि, ग्रामोन्नति तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों में बहुत थोड़ी रक़म ख़र्च की जाती है। प्रजा की कमाई उसकी भलाई में ख़र्च नहीं की जाती। जब तक सरकार इस नीति का अनुसरण नहीं करेगी तब तक वह लोकप्रिय नहीं बन सकती।

सारांश

सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव आम जनता पर बहुत ही गहरा पड़ता है। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति से उनका सम्पर्क रहता है और उन्हें तरह तरह के अधिकार प्राप्त होते हैं इसलिये उनके विचारों का प्रभाव अनिवार्य है। इसीलिये सरकार को बहुत ही छान-बीन कर इन्हें नियुक्त करना चाहिये। योग्य से योग्य व्यक्ति यदि मिल सकें तो उनसे प्रजा की अधिक भलाई हो सकती है। हमारे देश में सरकारी कर्मचारियों का वेतन सबसे अधिक है। एक निर्धन देश में इतने महँगे शासन की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस का यह नियम बहुत ही ठीक है कि वर्तमान परिस्थिति में बड़े से बड़े कर्मचारी का वेतन ५०० रुपये मासिक से अधिक नहीं होना चाहिये। प्रान्तीय शासन में कांग्रेसी मन्त्रियों ने ५००० रुपये मासिक के स्थान पर केवल ५०० रुपये मासिक लेकर काम किया था।

सरकारी कर्मचारियों का वेतन घटाने की विशेष आवश्यकता हैं। इसी से अन्य सार्वजनिक कामों के लिये पैसे की बचत होगी। नौकरियों में भारतीय करण की भी आवश्यकता है। जब तक विदेशियों को ही बड़े-बड़े पद मिलते रहेंगे तब तक न तो शिक्षित बेकारों को काम मिलेगा और न राष्ट्रीयता की वृद्धि होगी।

भारत सरकार की आय आयात निर्यात् कर, अफ़ीम कर, नमक कर, इनकमटैक्स, रेल कर, टकसाल कर, रियासतों का ख़िराज, डाक और तार आदि ज़रियों से होती है। प्रान्तीय सरकार की आमदनी भूमिकर, खेती की आय, मकान कर, पेशाकर, व्यापार कर, मनोरंजन कर, आदि ज़रियों से होती है। स्थानीय सरकार की आमदनी स्थानीय ज़रियों से होती है। जिस नीति से सरकार टैक्स लगाती है वह ग़रीब जनता के लिये घातक है। यही दशा व्यय की भी है। फ़ौज, शासन, और वेतन पर ही इतना रुपया ख़र्च कर दिया जाता है कि लोकहित के कामों में पैसे की हमेशा कमी रहती है। इसी से देश के कारोबार पनपने नहीं पाते।

प्रश्न

१—सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव आम जनता पर क्यों अधिक पड़ता है? ऐसी दशा में उनकी नियुक्ति के समय सरकार को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिये?

(What are the causes of the great influence which government servants have in the public? In such circumstances what are the duties of a government in their appointments?)

२—हमारे देश में सरकारी नौकरियों में कौन-कौन सी बुराइयाँ है? इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है?

(What are the defects in our government services? How can they be removed?)

३—नौकरियों में 'भारतीय करण' से क्या तात्पर्य है ? इससे क्या-लाभ हैं ?

(What is meant by 'Indianization of services' ? What are its advantages ?

४—भारत सरकार की आय-व्यय नीति की व्याख्या कीजिये और इसका प्रभाव भारतीय व्यापार और किसानों पर दिखलाइये ।

(Comment on the income and expenditure policy of the Indian Government and show its effects on the Indian trade and peasants.)

५—भारतीय सरकारी आय का विभाजन और केन्द्रीय सरकार की आय के ज़रियों का सूक्ष्म वर्णन कीजिये ।

(What are the divisions of the government income according to its location ? Discuss briefly the sources of income to the Government of India.

अध्याय १८

भारतीय रियासतें

हिन्दोस्तान के नक़शे में कुछ जगहें पीले रंग से रंगी हुई दिखाई पड़ती हैं। इन्हें देशी रियासतें कहते हैं। इनकी संख्या ५६२ है। इनमें १०९ बड़ी-बड़ी रियासतें हैं। कुछ रियासतें तो बड़े-बड़े ब्रिटिश प्रान्तों के बराबर है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनका क्षेत्रफल केवल ३० एकड़ है। कुल रियासतों का क्षेत्रफल ७ लाख वर्ग मील से भी अधिक है। इनकी जन संख्या ८ करोड़ से कुछ ऊपर है। अर्थात् देशी रियासतों की आबादी हिन्दोस्तान की $\frac{१}{५}$ है। राजनैतिक दृष्टि से इन रियासतों का बहुत बड़ा महत्व है। लगभग सभी रियासतें ब्रिटिश शासन काल में बनाई गई हैं। ब्रिटिश सरकार से इनका सम्बन्ध, इनकी शासन पद्धति तथा इनके राजनैतिक महत्व को हमें जानना चाहिये। वर्तमान समय में, जब कि इनका और ब्रिटिश प्रान्तों का एक सम्मिलित संघ-शासन बनाया गया है इनका महत्व और भी बढ़ जाता है।

रियासतों का राजनैतिक महत्व

वर्तमान युग राष्ट्रीयता का युग कहलाता है। भारतवर्ष एक सुसंगठित राष्ट्र बनने जा रहा है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतवासी इस संगठन के अन्दर आ जाय। अब तक देशी रियासतों

और ब्रिटिश प्रान्तों में किसी भी प्रकार का सहयगो न था। ब्रिटिश सरकार दो नीति से इन पर शासन करती रही है। लेकिन १९३५ ई० के संघ-शासन विधान के अनुसार दोनों एक शासन सूत्र में बाँध दिये गये हैं। राष्ट्रीय दृष्टि से हमारा यह सौभाग्य है कि प्रान्तों और रियासतों की जन संख्या में विचारों का आदान प्रदान होगा। दोनों एक दूसरे के सुख दुःख में साथ देंगे। यदि रियासतों को छोड़कर हिन्दोस्तान के बाक़ी हिस्से को राजनैतिक स्वतन्त्रता दे दी जाय तो पूरा हिन्दोस्तान स्वतन्त्र नहीं कहला सकता। इस देश की पूरी उन्नति तभी होगी जब प्रान्तों और रियासतों दोनों में इसकी झलक दिखाई पड़े। ब्रिटिश प्रान्तों को प्रान्तीय स्वराज्य मिल जाय और देशी रियासतों की जनता छोटे-छोटे अधिकारों तक के लिये तरसती रहे तो इससे इस देश का सिर ऊँचा नहीं हो सकता। ये रियासतें सूबों के बीच-बीच में इस तरह फैली हुई हैं कि इन्हें छोड़ कर हम सम्पूर्ण देश की उन्नति कदापि नहीं कर सकते।

रियासतों का शासन प्रबंध

कुछ इनी-गिनी देशी रियासतों में प्रजातन्त्रवादी शासन है। वहाँ के राजा प्रजा की भलाई का ध्यान रखते हैं। सभी राजनैतिक कार्यों में प्रजा के प्रतिनिधियों से राय ली जाती है। इनमें "प्रजा मंडल" की स्थापना की गई है। "प्रजा मंडल" जनता का एक संगठन है जिससे सलाह लेकर राजा प्रजा पर शासन करता है। जनता की राय का इसमें सम्मान किया जाता है। लेकिन ऐसे राज्य बहुत कम हैं। रियासतों का शासन प्रबन्ध इतना दूषित है कि वहाँ की जनता छोटे-छोटे अधिकारों तक के लिये तरसती रहती है। किसी विषय में जनता

की राय नहीं ली जाती। राजा सालों अपनी रियासत से बाहर रहते हैं। उनका समय या तो नैनीताल और शिमले में बीतता है या योरप के भ्रमण में। उनकी अनुपस्थिति में राज्य-कर्मचारी प्रजा पर तरह-तरह के अत्याचार करते हैं। प्रजा से बेजा तरीक़े से धन वसूल करते हैं। उनकी किसी भी चीज़ को वे मनमाना तरीक़े पर लेते रहते हैं। राजा इतना विलासी जीवन व्यतीत करते हैं कि प्रजा से लिया हुआ टैक्स उनके व्यक्तिगत ख़र्च में ही लग जाता है।

रियासतों में शासन प्रबन्ध पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। राजमहल के ख़र्च के लिये प्रजा पर तरह-तरह के टैक्स लगाये जाते हैं। अधिकतर रियासतों में प्रजा को कोई संगठन बनाने तक का अधिकार नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारियों के अत्याचार का विरोध करता है तो कचहरियों में उसकी सुनाई तक नहीं होती। राजा के शब्द ही क़ानून समझे जाते हैं। कचहरियों में न्याय उसी की इच्छा से होता है। सरकारी कर्मचारी रात दिन राजा की ही जी हुज़ूरी करते रहते हैं। प्रजा को इस बात का पता तक नहीं चलता कि उससे लिया हुआ टैक्स कहाँ चला जाता है। यही वजह है कि शासन प्रबन्ध की कमी के कारण रियासतों की जनता आज पिछड़ी हुई दिखाई पड़ती है। उसके अन्दर शिक्षा और कारोबार का अभाव है। उसकी आर्थिक दशा बिगड़ी हुई है। उसके विचार दबे हुये हैं। अपने उचित तथा जन्मसिद्ध अधिकारों तक की वह माँग पेश नहीं कर सकती।

रियासतें और ब्रिटिश सरकार

सभी रियासतें ब्रिटिश सरकार के आधीन हैं। केन्द्रीय सरकार में राजनैतिक विभाग (Political Department) इनका प्रबन्ध

करता है। वायसराय स्वयम् इस विभाग का प्रधान है। वैसे तो वायसराय सभी रियासतों की निगरानी रखता है, परन्तु उसका सम्बन्ध इनसे भिन्न-भिन्न प्रकार का है। मैसूर, ग्वालियर, हैदराबाद, कश्मीर, बड़ौदा और शिकम—इन ६ रियासतों से भारत सरकार सीधा सम्बन्ध रखती है। उपरोक्त प्रत्येक रियासत में भारत सरकार की ओर से एक रेज़ीडेन्ट रहता है। छोटी-छोटी रियासतों के अलग-अलग समूह बनाये गये हैं। प्रत्येक समूह को एजेन्सी कहते हैं। हर एजेन्सी में गवर्नर जनरल का एक एजेन्ट (A. G. G.) रहता है। इसकी सहायता के लिये कई छोटे रेज़ीडेन्टस (Political Agents) होते हैं। कुछ रियासतें प्रान्तीय सरकारों के अधिकार में रक्खी गई हैं। वहाँ भी पोलिटिकल एजेन्टस होते हैं। इनमें जो रियासतें बहुत ही छोटी हैं उनकी देख-रेख कलेक्टर या कमिश्नर करते हैं।

देशी रियासतों में भारत सरकार की ओर से जो सरकारी कर्मचारी रक्खे गये हैं उनका कार्य राजाओं को सलाह देना है। इसके अतिरिक्त वे भारत सरकार को इन रियासतों की शासन सम्बन्धी सूचनायें देते रहते हैं। रियासत और भारत सरकार के बीच में पत्र व्यवहार आदि इन्हीं के द्वारा किया जाता है। कुछ रियासतों से भारत सरकार सालाना कर लेती है। ये कर कई शकल में लिये जाते हैं। अर्थात् रुपये, घोड़े, सिपाही आदि रूप में रियासतों को ये कर चुकाने पड़ते हैं। कश्मीर राज्य को प्रति वर्ष एक घोड़ा, १२ बकरियाँ और २ ऊनी शाल देने पड़ते हैं। ब्रिटिश सम्राट स्वयम् इन शालों को इस्तेमाल करते हैं। कुछ रियासतें कर से बिलकुल ही मुक्त हैं। ब्रिटिश सरकार की आरम्भ से ही यह नीति रही है कि जब तक रियासतों के

राजा उसके भक्त बने रहें तक वह उनके कार्यों में हस्तक्षेप न करे। इस प्रकार की सन्धि लगभग सभी रियासतों से ब्रिटिश सरकार ने की है। जब किसी रियासत का शासन प्रबन्ध ख़राब होने लगता है और वहाँ की प्रजा घबराने लगती है तो ब्रिटिश सरकार तुरन्त उसमें हस्तक्षेप करती है। राजा की सन्तान न होने पर ब्रिटिश सरकार ही उसका प्रबन्ध करती है। उसी की आज्ञा से कोई राजा गोद ले सकता है। कोई भी रियासत विदेशी राज्यों से अपना सम्बन्ध नहीं रख सकती और न अपने यहाँ किसी विदेशी को नौकर रख सकती है। रियासतें अपने यहाँ थोड़ी बहुत फ़ौज रखती हैं, फिर भी इनकी रक्षा की पूरी ज़िम्मेवारी ब्रिटिश सरकार के ऊपर है।

नरेन्द्र मंडल (Chamber of Princes)

१९१९ ई० तक देशी रियासतों के शासकों का कोई संगठन न था। १९१९ में जब भारतीय शासन विधान में सुधार किये गये तो यह योजना बनाई गई कि भारतीय राजा अपना एक संगठन बनायें। इसी के अनुसार १९२१ ई० में राजाओं ने अपना एक संगठन बनाया, जिसका नाम नरेन्द्र मंडल (Chamber of Princes) है। इसमें शामिल होने का अधिकार सभी राजाओं को प्राप्त नहीं है। केवल २३६ रियासतों को यह अधिकार दिया गया है कि वे इस मंडल की कारवाइयों में भाग ले सकें। बड़ी-बड़ी १०९ रियासतें एक-एक सदस्य मंडल में भेजती हैं। शेष १२७ रियासतें कुल १२ सदस्य भेजती हैं। राजा स्वयं मडल के सदस्य होते हैं। वायसराय इसका सभापति होता है। उसके नीचे चान्सलर और प्रोचान्सलर होते हैं। नरेन्द्र मंडल के कुल १२१ सदस्यों में से ७ सदस्यों की एक कमीटी वायसराय को

रियासतों के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये बना दी जाती है। मंडल के सदस्यों की बैठक साल में एक बार होती है। हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर आदि बड़ी-बड़ी रियासतें मंडल में शरीक़ नहीं हैं। इससे पता चलता है कि नरेन्द्र मंडल केवल चन्द राजाओं का ही एक संगठन है। इसमें हिन्दोस्तान के सभी राजाओं का हित शामिल नहीं है।

१९२८ ई० तक मंडल की सारी कारवाई गुप्त रक्खी जाती थी। इसके सदस्यों के अतिरिक्त कोई बाहरी व्यक्ति इसकी बैठकों में हिस्सा नहीं ले सकता था। परन्तु १९२८ के बाद आम जनता इसकी कार-वाइयों को सुन सकती है। इसका मुख्य कार्य देशी रियासतों की समस्याओं पर विचार करना है। जिन बातों का प्रभाव सभी रियासतों पर पड़ने वाला है उन पर मंडल विचार करता है। रियासत सम्बन्धी सभी बातों पर यह वायसराय को अपनी सम्मति देता रहता है। मडल सभी बातों पर विचार करने के लिये स्वतंत्र नहीं है। किसी रिया-सत की आन्तरिक दशा पर मंडल कुछ भी विचार नहीं कर सकता। रियासतों के साथ ब्रिटिश सम्राट की जो सन्धियाँ हुई हैं उन पर भी उसे विचार करने का अधिकार नहीं है। इन रुकावटों को देखते हुए यही मालूम पड़ता है कि मडल कोई प्रजातंत्रवादी संगठन नहीं है। इसे देशी राज्यों की उन्नति तथा जनता के अधिकारों की चिन्ता नहीं रहती। इसका ध्यान यही रहता है कि ब्रिटिश सरकार से रियासतों का सम्बन्ध एकसा क़ायम रहे।

रियासतें और संघ शासन

संघ शासन विधान में देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता

दी गई है कि वे चाहें तो इसमें शामिल हो सकती हैं। इसमें एक शर्त यह भी है कि यदि एक तिहाई रियासतें शरीक न होंगी तो संघ शासन हिन्दोस्तान पर लागू नहीं किया जायेगा। यही कारण है कि रियासतों को संघ में शामिल होने के लिये तरह-तरह के प्रलोभन दिये गये हैं। संघ धारा सभाओं में अनुपात से अधिक उन्हें स्थान दिया गया है। कुछ और भी नियम बना कर रियासतों को अधिक सुविधायें दी गई हैं। देशी राज्यों के सभी प्रतिनिधि, जो संघ धारा सभाओं में आयेंगे, राजाओं द्वारा नामज़द किये जायेंगे।

रियासतें बहुत दिनों से चाहती रही हैं कि ब्रिटिश प्रान्तों के साथ उनका सहयोग हो जाय। लेकिन साथ ही राजाओं की यह भी इच्छा रही है कि उनके अधिकारों में कोई कमी न पड़ने पाये। इस वर्तमान संघ शासन में ये दोनों बातें पाई जाती हैं। इसीलिये देशी रियासतों की जनता को वर्तमान संघ शासन से कोई लाभ न होगा। यह तो सभी जानते हैं कि रियासतों में प्रजा के अधिकार नहीं के बराबर हैं। राजा मनमानी करने के लिये पूरी तरह स्वतंत्र हैं। संघ शासन में राजाओं की इस निरंकुश स्वतंत्रता को कम करने का कोई ज़िक्र नहीं किया गया है। प्रजा को अपने प्रतिनिधि चुनने तक का अधिकार नहीं दिया गया है। इसीलिये संघ शासन रियासतों की जनता के हितों की रक्षा नहीं कर सकता। यदि उनकी स्वतंत्र राय ली जाय तो वे कभी भी इस शासन विधान को पसंद न करेंगे। रियासतों और ब्रिटिश प्रान्तों का सम्मिलित संघ शासन तभी सफल हो सकता है जब कि दोनों की प्रजा के हितों का पूरा-पूरा ध्यान रक्खा जाय। सबसे पहले इस बात की

आवश्यकता है कि रियासतों में प्रजातंत्रवादी शासन (Democratic Government) स्थापित किया जाय। राजाओं के अधिकार कम करके प्रजा के अधिकार बढ़ा दिये जायँ। प्रत्येक रियासत में एक प्रजा मंडल की स्थापना की जाय। प्रजा को इतनी सुविधायें देने के बाद संघ शासन उपयोगी हो सकता है।

रियासतों का भविष्य

भारतवर्ष एक राष्ट्र बनने जा रहा है। यहाँ के सभी आन्दोलनों को देखते हुए यह भली भाँति स्पष्ट है कि जनता में अपने अधिकारों की जागृति होने लगी है। ब्रिटिश प्रान्तों में यह लहर सबसे अधिक दिखाई देती है। तरह-तरह की रुकावटों के कारण देशी राज्यों में इस तरह की जागृति नहीं दिखाई पड़ती। हमें यह याद रखना चाहिये कि विचारों की प्रगति हवा और बिजली से भी तेज़ होती है। जो विचार संसार के किसी एक कोने में दबे हुए हैं, समय आने पर वे संसार भर में फैल सकते हैं। रियासतें और ब्रिटिश प्रान्त बिलकुल पास-पास हैं। यदि ब्रिटिश प्रान्तों में एकता, समानता और स्वतंत्रता की भावनायें आज फैल रही हैं तो निकट भविष्य में रियासतों में भी इनका प्रचार होगा। वहाँ की भी जनता अपने अधिकारों की माँग पेश करेगी और राजाओं को उन्हें स्वीकार करना होगा।

एक सुसंगठित राष्ट्र बनने के लिये किसी देश को यह आवश्यक है कि उसके सभी विभाग राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र तथा उन्नतिशील हों। भारतीय राष्ट्रीयता के अन्दर प्रान्त और रियासतें दोनों ही शामिल हैं। जब तक दोनों की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक उन्नति न होगी तब तक इनके सहयोग से भारतवर्ष एक राष्ट्र नहीं बन सकता।

यह सारी उन्नति भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है। जिन रियासतों में आज एकतंत्र शासन (Absolute Monarchy) दिखाई पड़ता है वहाँ प्रजातंत्रवादी शासन हुए बिना नहीं रह सकता। रियासतों और ब्रिटिश प्रान्तों का सहयोग क्रमशः बढ़ता जायेगा। एक दूसरे की उन्नति से दोनों लाभ उठायेंगे। तात्पर्य यह है कि रियासतों की जनता का भविष्य बहुत ही उज्वल है।

सारांश

हिन्दोस्तान तब तक एक सुसंगठित राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक बृटिश प्रान्तों और देशी रियासतों की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक उन्नति एक समान न हो जाय। इसीलिये रियासतों का राजनैतिक महत्व बहुत ही अधिक है। समूचे देश की १/५ जनता इन्हीं रियासतों में निवास करती है। राजाओं को मनमानी स्वतन्त्रता के कारण जनता के अधिकार नाम मात्र को रह गये हैं। उन्हें किसी भी प्रकार के संगठन आदि बनाने की आज्ञा नहीं है। वहाँ की आम जनता शिक्षा और विचारों में बहुत ही पीछे है।

केन्द्रीय सरकार का राजनैतिक विभाग (Political Department) रियासतों की देख रेख करता है। कुछ रियासतें भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध रखती हैं और कुछ के समूह बना दिये गये हैं, जिन्हें एजेन्सी कहते हैं। प्रत्येक एजेन्सी में एक एजेन्ट रहता है। लगभग सभी रियासतों में भारत सरकार की ओर से रेज़ीडेन्ट रक्खे गये हैं। कुछ रियासतें बृटिश सरकार को कर देती हैं और कुछ इससे मुक्त हैं। १९२१ ई० से राजाओं का एक संगठन बनाया गया है। इसे नरेन्द्र मंडल (Chamber of Princes) कहते हैं। इसमें कुल १२१ सदस्य हैं। केवल २३६ रियासतें इसमें शामिल की गई हैं। वायसराय स्वयं इस मंडल का सभापति

है। इसका उद्देश्य रियासतों के हित पर विचार करना तथा वायसराय को इसकी सलाह देना है। यह कोई प्रजातन्त्रवादी संगठन नहीं है।

भारतीय-संघ शासन विधान के अनुसार रियासतें भी इसमें शामिल कर दी गई हैं। उन्हें बृटिश प्रान्तों से अधिक सुविधायें प्रदान की गई हैं। फिर भी रियासतों की जनता के हितों का ध्यान नहीं रक्खा गया है। देश की वर्तमान राष्ट्रीय प्रगति को देखते हुए रियासतों का भविष्य बहुत ही उज्वल दिखाई पड़ता है। निकट भविष्य में रियासतों में प्रजातन्त्रवादी शासन हुए बिना नहीं रह सकता।

प्रश्न

१—देशी रियासतों के वर्तमान शासन प्रबन्ध का वर्णन कीजिये। क्या आप इसे प्रजातन्त्रवादी कह सकते हैं?

(Describe the present Administration of the Indian States. Do you regard it as Democratic?)

२—देशी रियासतों का भारत सरकार से क्या सम्बन्ध है?

(How are the Indian States related to the Government of India?)

३—नरेन्द्र मंडल की बनावट तथा इस के कर्तव्यों का वर्णन कीजिये।

(How is the Chamber of Princes constituted and what are its functions?)

४—वर्तमान भारतीय संघ शासन विधान के अन्दर देशी रियासतों का क्या स्थान है?

(What is the position of the Indian States in the present Indian Federal constitution?)

५—देशी रियसतों की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक उन्नति का भविष्य कैसा है?

(What do you think about the future of the Indian States with regard to their social, political and Economic progress?

अध्याय १९

राष्ट्रीय आन्दोलन

एक उच्च नागरिक की हैसियत से हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम अपने देश के सभी आन्दोलनों की थोड़ी बहुत जानकारी रक्खें। कारण यह है कि इन्हीं से हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि जनसमूह के विचार क्या हैं और किस प्रकार के संगठन द्वारा वह अपने देश का उत्थान करना चाहता है। आन्दोलन देश की उन्नति के सूचक हैं। इन्हीं के द्वारा जनता अपने विचारों को संगठित रूप से प्रकट करती है। इन्हीं से राष्ट्र की उन्नति होती है। एक दबी हुई क़ौम किसी भी तरह का आन्दोलन नहीं चला सकती। जब तक किसी जाति के अन्दर जीवन और उत्साह नहीं होता और जब तक उसे उन्नति की तड़प नहीं होती तब तक वह अपने विचारों को संगठित करने का कष्ट नहीं उठाती। विचारों को संगठित करना कोई खेल नहीं है। इसके लिये तरह-तरह के विरोधों का सामना करना पड़ता है, लोगों की टीका-टिप्पणी बर्दाश्त करनी पड़ती है और कभी-कभी योग्य से योग्य व्यक्तियों को अपने प्राणों तक की आहुति दे देनी पड़ती है।

हिन्दोस्तान में राष्ट्रीय भावना

पिछले अध्याय में यह कहा गया है कि हिन्दोस्तान को वर्तमान

राष्ट्रीयता का जन्म १६वीं सदी के अन्तिम काल में हुआ था। पूर्वीय और पश्चिमी सभ्यता के मिलन से भारतवासियों के अन्दर नये विचार और नई रहन-सहन का श्रीगणेश हुआ। वर्तमान राष्ट्रीयता का जन्म पहले पहल योरप में हुआ था। योरप निवासियों के सम्पर्क तथा इसाई मिश्नरियों के प्रयत्न से भारतवासियो में भी यह भावना जाग्रत हुई। विज्ञान की उन्नति ने भी इस पर अपना प्रभाव डाला। आवागमन की सुविधायें पाकर कितने ही भारतवासी विदेशों में जाकर वहाँ की बहुत सी नई बातें सीखकर अपने देश को लौटे। जब उन्होंने अन्य राष्ट्रों का अपने देश से मुक़ाबिला किया तो उन्हें अपने अन्दर बहुत सी कमज़ोरियाँ नज़र आईं। वैज्ञानिकों का मत है कि अपनी कमी को महसूस करना उन्नति के पथ पर अग्रसर होना है। भारतवासियों में कुछ लोगों का ध्यान इन कमज़ोरियों की ओर गया। विभिन्न सम्प्रदायों तथा जातियों में कुछ ऐसे सुधारक अथवा नेता उत्पन्न हुए जिन्होंने अपने सम्प्रदाय को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। हिन्दू, मुसलमान, पारसी—इन सभी सम्प्रदायों में नये-नये सुधार और नई-नई भावनायें दृष्टिगोचर होने लगीं।

भारतीय समाज सुधार

यद्यपि भारतीय समाज एक है और इसमें हिन्दू, मुसलमान, इसाई और पारसी सभी शामिल हैं लेकिन यह विभिन्न सम्प्रदायों और जातियों में बँटा हुआ है। योरपीय राष्ट्रों की देखा देखी जब भारत-वासियों के अन्दर समाज सुधार की भावना जाग्रत हुई तो सबसे पहिले हिन्दुओं में इसका प्रादुर्भाव हुआ। बंगाल प्रान्त के एक प्रसिद्ध समाज-सुधारक राजा राममोहन राय ने इस बात को

आवश्यकता महसूस की कि हिन्दू समाज में सुधार की आवश्यकता है। छुआछूत, नीच-ऊँच, बालविवाह, सती प्रथा, प्राचीन परिपाटियाँ— ये सारी बातें उनकी नज़रों में खटकने लगीं। उन्होंने हिन्दू समाज का ध्यान योरपनिवासियों की ओर आकर्षित किया। इसाई समाज से वे इतने प्रभावित थे कि उनकी बहुत सी बातें वे भारतीय समाज में लाना चाहते थे। उन्होंने ब्रह्मसमाज की स्थापना की। इसी के द्वारा समाज सुधार का कार्य आरम्भ किया। मुसलमान और पारसी सम्प्रदायों के अन्दर भी इस तरह के सुधार आरम्भ किये गये। सर सैय्यद अहमद ख़ाँ और नेशरवान जी ताता इनके नेता हुए। इन सबको यह महसूस होने लगा कि जब तक भारतीय समाज में सुधार न किये जायेंगे तब तक वह योरप के वैज्ञानिक आविष्कारों तथा राष्ट्रीय भावनाओं से लाभ नहीं उठा सकता। ब्रिटिश राज्य की नींव उन्हें इतनी स्थाई दिखाई पड़ने लगी कि वे उससे उदासीन रहने में अपनी बेवकूफ़ी समझने लगे। परिणाम यह हुआ कि समूचे हिन्दोस्तान में समाज सुधार की एक लहर दिखाई पड़ने लगी।

राष्ट्रीय भावना

विभिन्न सम्प्रदायों में समाज-सुधार का कार्य चलता रहा लेकिन कुछ समय बाद इसका विरोध भी आरम्भ हो गया। विरोधियों का कहना था कि भारतवासियों को योरप की नक़ल करने की आवश्यकता नहीं है। इसाई मिश्नरियों की हरकतों ने उन्हें और भी चौकन्ना कर दिया। इस विरोधी विचार धारा को लेकर स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज का आन्दोलन आरम्भ किया। समाज सुधार के वे पूरे पक्षपाती थे। बालविवाह, छुआछूत, सती प्रथा आदि कमज़ोरियों को

वे भी निकाल बाहर करना चाहते थे। लेकिन वे इस बात के कट्टर विरोधी थे कि अपनी धार्मिक क्रियाओं और आर्य संस्कृति को छोड़कर हम आँख मूँद कर योरपनिवासियों की नक़ल करें। उन्होंने इस बात का एलान किया कि भारतीय संस्कृति स्वयं एक ऊँची चीज़ है। भारत-वासियों को आर्यसन्तान की हैसियत से अपने प्राचीन गौरव को अपनाना चाहिये। साथ ही उन्हें नये वैज्ञानिक अनुसन्धानों से लाभ भी उठाना चाहिये।

इस विरोधी आवाज़ ने हिन्दुस्तानियों को थोड़ी देर के लिये भौचक्का सा कर दिया। अब तक वे आँख मूद कर योरप निवासियों की नक़ल कर रहे थे। अपने अन्दर उन्हें कोई महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई नहीं पड़ती थी। परन्तु धन्यवाद है उस महर्षि को जिसकी बुलन्द आवाज़ ने भारतवासियों पर जादू का काम किया। वे अपने अन्दर आत्म-सम्मान और आत्मगौरव महसूस करने लगे। उन्हें यह विश्वास होने लगा कि उनके अन्दर भी एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो दुनिया के मुक़ाबिले में उनका सर ऊँचा कर सकती है। भारत की प्राचीन संस्कृति तथा इसके वैभव को याद कर उनकी आँखों से आँसू टपकने लगे। अब उन्होंने इस बात पर कमर बाँधी कि इस देश की खोई हुई मर्य्यादा की फिर से खोज करनी चाहिये। काफ़ी समय तक सोचने के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि जब तक यह देश राजनैतिक गुलाम रहेगा तब तक अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी राजनैतिक गुलामी को दूर करने के लिये राष्ट्रीय भावना की उत्पत्ति हुई।

राष्ट्रीय आन्दोलन

समाज सुधारों का परिणाम यह हुआ कि देश में राष्ट्रीय भावनाओं की जागृति हुई। १८८५ ई० में कांग्रेस का जन्म हुआ। आरम्भ में इसका उद्देश्य जो कुछ भी रहा हो परन्तु इसका अंतिम लक्ष्य हिन्दोस्तान को पूर्णरूप से आज़ाद करना है। इस उद्देश्य की पूर्त्ति के लिये इसकी नीति समय-समय पर बदलती रही है। कभी तो इसने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया और कभी इससे सहयोग। स्वयं कांग्रेस में भी कई विचार धारायें चल पड़ीं। गाँधीवाद, समाजवाद, नेहरूवाद इत्यादि इसके चन्द उदाहरण हैं। उद्देश्य सबका एक है, अन्तर केवल तरीक़ों का है। समाजवादी चाहे जैसे हो अपने लक्ष्य पर पहुँचना चाहते हैं। किसी भी दशा में वे बृटिश सरकार से सहयोग नहीं करना चाहते। शान्त तथा अशान्त जिस भी तरीक़े से हो वे देश को आज़ाद करना चाहते हैं। इसके विपरीत गाँधीवाद लक्ष्य से बढ़कर तरीक़े पर ज़ोर देता है। गाँधीवादियों का कहना है कि अपने मार्ग को शुद्ध और शान्तिमय रखना चाहिये। किसी लक्ष्य पर पहुँचने के लिये इससे बढ़कर ऊँचा रास्ता कोई दूसरा नहीं है। वे सत्य और अहिंसा द्वारा अपने देश को आज़ाद करना चाहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे ब्रिटिश सरकार से सहयोग भी करते रहते हैं।

राष्ट्रीय आन्दोलन की लहर काफ़ी अरसे तक बिना किसी ठोस बुनियाद के थी। भारतवासियों को यह सुझाई नहीं पड़ता था कि ब्रिटिश सरकार के विरोध के अतिरिक्त उन्हें और क्या करना

है। इसकी पूर्ति महात्मा गाँधी ने की। उन्होंने यह सलाह दी कि हमारा काम केवल ब्रिटिश सरकार को दूर करना ही नहीं बल्कि कुछ रचनात्मक कामों को भी करना है (Our work should not be only destructive, but constructive as well.) उनका कहना था कि जब तक हमारे देश में तरह-तरह के कारोबार की वृद्धि न होगी और करोड़ों भूखे तथा नंगे किसान मज़दूरों को पेट भर रोटी न मिलेगी तब तक मुल्क की आज़ादी कोसों दूर रहेगी। यही सोचकर उन्होने चर्खा आन्दोलन तथा ग्रामोन्नति का सन्देश सुनाया। अब भी वे इसी नीति में विश्वास करते हैं। भारतवासियों ने भी उनके इस उसूल पर अमल करना आरम्भ किया और विभिन्न प्रकार के घरेलू कारोबार जीवित किये जाने लगे। देश के हज़ारों व्यक्ति आज इन कार्यों में लगे हुए हैं और लाखों की इनसे रोज़ी चलती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह तरीक़ा निहायत ठोस और दूरदर्शितापूर्ण है।

किसी उद्देश्य पर पहुँचने के लिये अनेक मार्ग निकाले जा सकते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ वही है जिसमें बिना किसी को हानि पहुँचाये अपने कार्य की सिद्धि हो। भारतवर्ष को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिये यह आवश्यक है कि इस देश की सभी राजनैतिक शक्ति भारतवासियों के हाथ में आ जाय। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम ब्रिटेन निवासियों के साथ किसी तरह का अमानुषिक बर्ताव करें। उनसे मनुष्य का सा व्यवहार करते हुए हम अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। शर्त केवल यह है कि हमारे अन्दर सच्ची राष्ट्रीय भावना हो और हम कठिनाइयाँ सहन करने के लिये

तैयार हों। राष्ट्रीय आन्दोलन अब भी जारी है। देखें कब तक हम अपने देश को एक स्वतंत्र और उन्नतशील राष्ट्र के रूप में पाते हैं।

हमारा कर्त्तव्य

यदि हम किसी कार्य में सहयोग देना चाहें तो कई तरीक़ों से ऐसा कर सकते हैं। युद्ध में सब लोग सैनिक का ही कार्य नहीं करते। कोई बन्दूक लेकर दुश्मन पर हमला करता है, कोई घायल सिपाहियों की सेवा करता है, कोई भोजन तैयार करता है, कोई सामान की रखवाली करता है और कोई सिपाहियों को उत्साह और जोश दिलाता है। यह तो लड़ाई के मैदान की बात रही। दोनों दलों के सम्पूर्ण देशवासी भी उनकी कम सहायता नहीं करते। लड़ाई का सारा ख़र्च उन्हीं से लिया जाता है, लड़ाई के सामान वे ही बनाते हैं तथा नये-नये सैनिक उन्हीं में से भरती किये जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में सहयोग देना चाहते हैं तो प्रत्येक स्थान से ऐसा कर सकते हैं। कुछ बातें तो ऐसी हैं जिन्हें प्रत्येक भारतवासी, क्या विद्यार्थी, क्या नौकर और क्या किसान, सभी कर सकते हैं। विदेशी चीज़ों का परित्याग और देशी चीज़ों का उपयोग सभी कर सकते हैं। घरेलू कारोबार की वृद्धि में धनी मानी लोग पैसे से और किसान तथा मज़दूर शारीरिक बल से सहयोग दे सकते हैं। विद्यार्थी अपनी राष्ट्रीय प्रगति का सन्देश आम जनता को सुना सकते हैं और स्वयं मीटिंगों तथा सभाओं में उपस्थित होकर राष्ट्रीय सन्देश को सुन सकते हैं।

सारांश

यदि किसी देश में तरह तरह के समाज सुधार हो रहे हों और लोग अपनी कमज़ोरियों को महसूस करते हों तो हमें यह यक़ीन करना चाहिये कि वह देश उन्नति के मार्ग पर है। १६ वीं सदी के अन्त में हिन्दोस्तान में तरह-तरह के सामाजिक सुधार आरम्भ किये गये। पूर्वीय और पश्चिमी सभ्यता के मिलन, आवागमन के साधन तथा नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण उन्हें यह दिखाई पड़ने लगा कि जब तक वे अपनी चन्द कमज़ोरियों को निकाल बाहर नहीं करते तब तक योरप की राष्ट्रीय भावना से वे लाभ नहीं उठा सकते। हिन्दू, मुसलमान तथा पारसी सम्प्रदायों में नये नये सुधार होने लगे। छुआछूत, नीच-ऊँच, सतीप्रथा, बाल-विवाह आदि बुराइयाँ दूर की जाने लगीं। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली। सर सैय्यद अहमद ख़ां और नेशरवान जी ताता ने क्रमशः मुसलमान तथा पारसी सम्प्रदायों में समाज सुधार का कार्य आरम्भ किया।

कुछ समय बाद स्वामी दयानन्द सरस्वती ने लोगों को इस बात की चेतावनी दी कि उन्हें सभी मानी में योरप की नक़ल करने की आवश्यकता नहीं है। भारतवासियों के अन्दर स्वयं एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो संसार के किसी भी देशवासियों से कम महत्व नहीं रखती। प्राचीन आर्य संस्कृति तथा धार्मिक क्रियाओं की इन्हों ने भूरि भूरि प्रशंसा की। लोग भौचक्के से रह गये। परिणाम यह हुआ कि आर्यसमाज के आन्दोलन ने देश में राष्ट्रीयता की लहर फैला दी। लोग यह महसूस करने लगे कि जब तक हिन्दोस्तान को राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त न होगी तब तक यह देश अपने प्राचीन गौरव तथा वैभव को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी उद्देश्य को लेकर १८८५ ई० में कॉंग्रेस की नींव पड़ी। तभी से यह आन्दोलन जारी है। इसका सिद्धान्त समय-समय पर बदलता रहा है। कुछ वर्षों से रचनात्मक कार्यों की उन्नति पर सब से अधिक ज़ोर दिया जाने लगा है। प्रत्येक भारतवासी

किसी न किसी रूप में अपने स्थान पर रहते हुए भी इस राष्ट्रीय आन्दोलन में सहयोग दे सकता है।

प्रश्न

१—हिन्दोस्तान में समाज-सुधार सम्बन्धी आन्दोलन क्यों चलाये गये ?

(What were the causes that led to the social reforms in India ?)

२—आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि हिन्दोस्तान की राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिये रचनात्मक कार्य अनिवार्य हैं ?

(How do you prove that constructive work is essential for the political emancipation of India ?)

३—हिन्दोस्तान में राष्ट्रीय जागृति के क्या कारण हैं ? किस सीमा तक भारतवासी इसमें सफल हुये हैं ?

(Which forces led to the national awakening in the Indian people and how far have they achieved their destiny ?)

४—विद्यार्थी और किसान राष्ट्रीय आन्दोलन में कैसे सहायक हो सकते हैं ?

(In what ways students and farmers in India can help their national movement ?)

५—किसी गुलाम देश को स्वतन्त्र बनाने का सबसे ऊँचा सिद्धान्त कौन सा है ?

(Which is the best method to liberate a slave nation from the political bondage ?)

Technical Terms

Adjournment Motion	स्थगित प्रस्ताव	تحریک التوا
Administration	शासन प्रबन्ध	انتظام - نظم و نسق
Administrator	शासक	منتظم - مہتمم
Advisory Council	सलाहकारी सभा	مشاورتی کونسل
Alien	अनागरिक	غیر ملکی
Allegiance	राजभक्ति	اطاعت - وفاداری
Ambassador	राजदूत	سفیر
Anarchy	अराजकता	طوائف الملوکی
Aristocracy	कुलीनतन्त्र	طبقہ امرا کی حکومت
Autocracy	निरंकुशतन्त्र	استبدادی حکومت
Bureaucracy	नौकरशाही	دفتری حکومت -
Bye-law	उपनियम	مقامی قانون
Chamber	सभा; सभा भवन	ایوان
C.I.D. (Criminal Investigation Department)	गुप्तचर विभाग	خفیہ محکمہ
Citizen	नागरिक	شہری یعنی شہر کا رہنے والا
Citizenship	नागरिकता	شہریت

Civics	नागरिक शास्त्र	علم تمدن
Cabinet	मन्त्रिमण्डल	کابینہ
Civil Administration	दीवानी शासन	حکومت دیوانی
Civil Liberty	नागरिक स्वतन्त्रता	شہری آزادی
Civil War	गृहयुद्ध	خانہ جنگی
Colony	उपनिवेश	نوآبادی
Communal Representation	साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व	فرقہ‌دارانہ نمایندگی
Communism	समष्टिवाद	اشتمالیت
Conscription	अनिवार्य सैनिक सेवा	جبری فوجي خدمات
Constitution	शासन विधान	آئین - دستور
Constituency	निर्वाचन क्षेत्र	حلقہ انتخاب
Coronation	राजतिलक	تاج پوشي
Constituent Assembly	विधान परिषद	مجلس وضع دستور
Crown	सम्राट	تاج
Democracy	प्रजातंत्र; लोकतंत्र	جمہوریت - جمہوری سلطنت
Despot	अत्याचारी शासक	مستبد-مطلق العنان فرمانروا
Dyarchy	दोहरा शासन	دو عملي حکومت
Dictator	तानाशाह	آمر

Diplomacy	कूट नीति	حکمت عملی
Department	विभाग	محکمہ - شعبہ
Dissolve	भंग करना	منتشر کرنا
Dominion Status	उपनिवेशिक	درجہ نوآبادیات
Election	निर्वाचन, चुनाव	انتخاب
Electorate	निर्वाचक	انتخاب کنندگان
Electoral Roll	निर्वाचक सूची	فہرست انتخاب کنندگان
Empire	साम्राज्य	مملکت - سلطنت
Executive	कार्यकारिणी	عاملانہ
Ex-Officio	पद के कारण	بہ لحاظ منصب
Federation	संघ	وفاق
Federal Constitution	संघ शासन विधान	وفاقی دستور
Federal Court	संघ न्यायालय	وفاقی عدالت
Franchise	मताधिकार	انتخاب میں حق رائےدہی
Government	सरकार	حکومت
Home Government	गृह सरकार	ملکی حکومت
House of Lords	लार्ड सभा	دارالامراء - دیوان خاص
House of Commons	कामन सभा	دارالعوام - دیوان عام
Imperialism	साम्राज्यवाद	شہنشاہیت
Inauguration	राज्याभिषेक	افتتاح
India House	भारत मन्त्री का दफ़्तर	ایوان ہند - دارالہند

Indianization	भारतीयकरण	هندوستانی بنانے کا کام
Instrument of Accession	देशी रियासतों का सुलहनामा	دیسی ریاستوں کا شرطنامہ
Instrument of Instructions	आदेश पत्र	دستاویز هدایات
Indirect Election	अप्रत्यक्ष निर्वाचन	بالواسطہ انتخاب
Individualism	व्यक्तिवाद	انفرادیت
International	अन्तर्राष्ट्रीय	بین الاقوامی
Judicial	न्याय सम्बन्धी	عدالتی
Judiciary	न्यायालय विभाग	عدالتی صیغہ
Judicature	न्यायालय	عدالت
King	राजा; बादशाह	بادشاہ
Kingdom	राज्य	بادشاهت
Law	क़ानून	قانون
League of Nations	राष्ट्र-संघ	جمیعت الاقوام
Legislature	व्यवस्थापिका सभा; धारा सभा	مجلس قانون ساز
Lobby Talk	अफ़वाह	قیاسی بات چیت -
Local Self-Government	स्थानीय स्वराज्य; स्वायत्त शासन	مقامی خوداختیاری حکومت
Local Boards	ज़िला और म्युनिसिपल बोर्ड	مقامی بورڈ

Majority	बहुमत	اکثریت
Minority	अल्पमत	اقلیت
Managing Committee	प्रबन्ध समिति	مجلس انتظامیہ
Martial Law	फ़ौजी क़ानून	فوجی قانون
Masses	जन-साधारण	عوام الناس
Member	सदस्य	رکن - ممبر
Minister	मन्त्री	وزیر
Ministry	मन्त्रि मण्डल	وزارت
Monarch	राजा; बादशाह	مطلق العنان بادشاہ
Monarchy	राजतन्त्र	مطلق العنان حکومت
Nation	राष्ट्र	قوم - ملت
Nationality	राष्ट्रीयता	قومیت
Natural Law	प्राकृतिक नियम	قانون قدرت
Naturalization	नागरिक-करण	شہری حقوق دینا
Neutral	तटस्थ	غیر جانبدار
Non-Party Man	निष्पक्ष व्यक्ति	غیر جانبدار شخص
Oligarchy	अल्प-जन-तन्त्र	چندسری حکومت
Organization	संगठन	ادارہ
Outlaw	क़ानून से वंचित	خارج القانون
Pacifism	शान्तिवाद	امن پسندی
Paramount	सर्वोच्च	برتر - اعلیٰ
Party	दल	جماعت

Patriot	देशभक्त	محب وطن
Patriotism	देशभक्ति	وطن پرستی
Plebiscite	सर्वसाधारण मत	راے شماری
Policy	नीति	دستورالعمل - پالیسي
Political	राजनैतिक	سیاسی
Politician	राजनीतिज्ञ	سیاست‌داں
Polity	राज्य	نظام حکومت
Politics	राजनीति शास्त्र	سیاسیات
Polling Station	निर्वाचन स्थान	ووٹ دینے کي جگہ
Port-folio	मन्त्री का कार्य विभाग	قلمدان وزارت
Premier (Prime Minister)	प्रधान मन्त्री	وزیر اعظم
President	सभापति	صدر
Procedure	कार्यविधि; कार्य पद्धति	ضابطہ
Prorogue	अनिश्चित समय के लिये बैठक स्थगित करना	ملتوی کرنا (اسمبلی یا پارلیمنٹ کا)
Public Debt	सरकारी ऋण	ملکی قرضہ
Provincial Autonomy	प्रान्तीय स्वराज्य	صوبجاتی آزادی
Public	जनता	عوام
Public Bill	ग़ैर-सरकारी बिल	مسودۂ عوام
Public life	सार्वजनिक जीवन	قومي زندگي

Public Finance	राजस्व	ملکی سرمایہ
Quorum	कोरम; कार्य-निर्वाहक संख्या	نصاب - کورم (جلسہ کي وہ تعداد جو فیصلہ کے لئے ضروری ہو)
Re-election	पुनर्निर्वाचन	جدید انتخاب
Referendum	लोकमत	عوام کا مشورہ
Regal	राज्य सम्बन्धी	شاهانہ
Repatriation	स्वदेश प्रत्यागमन	وطن واپس آنا
Repeal	रद्द करना	منسوخ کرنا
Representative	प्रतिनिधि	نمائندہ
Representation	प्रतिनिधित्व	نمائندگی
Republic	गणतन्त्र	جمهوري سلطنت
Resolution	प्रस्ताव	قرار داد
Revolution	क्रान्ति	انقلاب
Right	अधिकार	حق
Rigid Constitution	अपरिवर्तनशील शासन विधान	غیر متغیر دستور
Second Chamber (Upper Chamber)	बड़ी धारा सभा	ایوان بالا
Secretary of State for India	भारत मन्त्री	وزیر هند
Select Committee	निर्वाचित समिति	مجلس منتخبہ
Socialism	समाजवाद	اشتراکیت

Society	समाज	سماج
Standing Committee	स्थाई समिति	مستقل مجلس
Sovereign	राजा; बादशाह	سلطان - بادشاہ
Sovereignty	राजसत्ता	فرمانروائي
State	राज्य	رياست
Statesman	राजनीतिज्ञ	مدبر
Suffrage	मत; मताधिकार	حق رائےدهي
Terrorism	आतंकवाद	دهشت پسندی
Theory	सिद्धान्त	نظريه
Tyrant	अत्याचारी शासक	ظالم يا جابر بادشاہ
Unitary Government	एक सभात्मक सरकार	حكومت فرديه
Veto	रद्द करना	رد كرنا
Vote	मत	رائے
White Hall	पार्लियामेंन्ट भवन	برطانی پارلیمنٹ کی عمارت
White House	अमेरिका के प्रेसीडेन्ट के रहने का मकान	صدر امريكه كي قيامگاہ